रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122022-241312 CG-DL-E-22122022-241312

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 800] No. 800] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2022/पौष 1, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2022/ PAUSA 1, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 22 दिसम्बर. 2022

सं. 112/2022-सीमाश्ल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 897(अ).—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा: -

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.- (1) इन नियमों को सीमाशुल्क टैरिफ (भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के तहत माल की उत्पत्ति का निर्धारण) नियम, 2022 कहा जाएगा।
- (2) ये 29 दिसंबर, 2022 से लागू होंगे।
- 2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
- (क) **"समझौता"** का अर्थ भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता है;
- (ख) "मरीकल्चर सहित एक्काकल्चर" का अर्थ मछली, मोलस्क, क्रस्टेशियन, अन्य जलीय अकशेरुकी और बीज स्टॉक से जलीय पौधों सहित जलीय जीवों का पालन खेती है, जिसमें गैर-पक्षियों से आयातित बीज स्टॉक, जैसे अंडे, फ्राई, फिंगरलिंग या लार्वा, उत्पादन बढ़ाने के लिए पालन-पोषण या विकास प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप द्वारा जैसे नियमित स्टॉकिंग, फीर्डिंग या शिकारियों से सुरक्षा शामिल हैं;

8586 GI/2022 (1)

- (ग) **"सीआईएफ मूल्य या लागत, बीमा और माल ढुलाई मूल्य"** का अर्थ माल की लागत सहित आयात के बंदरगाह पर मालवाहक से बाहर लोड होने पर माल के लिए निर्यातक को वास्तव में भुगतान या देय मूल्य, गंतव्य के नामित बंदरगाह पर माल पहुंचाने के लिए आवश्यक बीमा और माल ढुलाई से है;
- (घ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ भारत के लिए, वाणिज्य विभाग से है;
- (ङ) **"सीमाशुल्क प्रशासन"** का अर्थ है:
 - (i) ऑस्ट्रेलिया के लिए, गृह मामलों का विभाग और उसके उत्तराधिकारी; तथा
 - (ii) भारत के लिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाश्ल्क बोर्ड (सीबीआईसी);
- (च) **"सीमाशुल्क मूल्यांकन समझौते"** का अर्थ है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एण्ड ट्रेड 1994 के अनुच्छेद VII के कार्यान्वयन पर समझौता, जिसे डब्ल्यूटीओ समझौते के अनुबंध 1क में निर्धारित किया गया है;
- (छ) "दिन" का अर्थ है कैलेंडर के दिन, जिसमें सप्ताहांत और छुट्टियां शामिल हैं;
- (ज) **"एफओबी मूल्य या फ्री-ऑन-बोर्ड मूल्य"** का अर्थ है कि वस्तु के लिए निर्यातक को वास्तव में भुगतान किया गया या भुगतान योग्य मूल्य जब माल को निर्यात के नामित बंदरगाह पर वाहक पर लोड किया जाता है, जिसमें माल की लागत और माल को वाहक पर लाने के लिए आवश्यक सभी लागतें शामिल हैं;
- (झ) **"विनिमेय माल या सामग्री"** का अर्थ ऐसी वस्तुओं या सामग्रियों से है जिनका वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए विनिमेय किया जाता है और जिनमें ऐसे गुण अनिवार्यत विद्मान हैं;
- (ञ) **"जीएटीटी 1994"** का अर्थ डब्ल्यूटीओ समझौते के अनुबंध 1क में निर्धारित शुल्क और व्यापार 1994 पर किया गया सामान्य समझौते से है;
- (ट) "आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत" का अर्थ उन सिद्धांतों से है जो आम सहमित से या किसी पक्षकार के क्षेत्र में राजस्व, व्यय, लागत, संपत्ति और देनदारियों; सूचना का प्रकटीकरण; और वित्तीय विवरणों की तैयारी की रिकॉर्डिंग के संबंध में पर्याप्त आधिकारिक समर्थन के साथ मान्यता प्राप्त हैं। इन सिद्धांतों में सामान्य अनुप्रयोग के लिए व्यापक दिशानिर्देश के साथ ही विस्तृत मानक, अभ्यास और प्रक्रियाएं भी शामिल हो सकती हैं;
- (ठ) "माल" का अर्थ किसी भी माल, उत्पाद, वस्तु या सामग्री से है।
- (ड) "हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस)" का अर्थ हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन और कोर्डिंग सिस्टम पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में परिभाषित हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन और कोर्डिंग सिस्टम है, जिसमें इसकी व्याख्या के सामान्य नियम और कानूनी नोट शामिल हैं, जिसमें सेक्शन नोट्स और चैप्टर नोट्स शामिल हैं, जैसा कि पक्षकारों द्वारा उनके संबंधित कानूनों में अपनाया और कार्यान्वित किया गया है;
- (ढ) "अप्रत्यक्ष सामग्री" का अर्थ किसी वस्तु के उत्पादन, परीक्षण या निरीक्षण में उपयोग की जाने वाली सामग्री है, किन्तु ऐसी सामग्री से है जो कि वस्तु में भौतिक रूप से शामिल न हो; या इमारतों के रखरखाव या उपकरणों के संचालन में उपयोग की जाने वाली सामग्री, किसी वस्तु के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सामग्री से है जिसमें निम्नलिखित को भी शामिल किया गया है,-
 - (i) ईंधन, ऊर्जा, उत्प्रेरक और विलायक;
 - (ii) वस्तु का परीक्षण या निरीक्षण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, डिवाइस और आपूर्ति;
 - (iii) दस्ताने, चश्मा, जूते, कपड़े, सुरक्षा उपकरण और आपूर्तियाँ;
 - (iv) औजार, डाई और मोल्डुस;
 - (v) उपकरणों और भवनों के रखरखाव में उपयोग किए जाने वाले अतिरिक्त पुर्जे और सामग्री;
 - (vi) लुब्रीकेंट, ग्रीस, कंपाउंडिंग सामग्री और अन्य सामग्री जो उत्पादन में उपयोग की जाती है या उपकरण और भवनों को संचालित करने के लिए उपयोग की जाती है; तथा

- कोई अन्य सामग्री जो वस्तु में शामिल नहीं है लेकिन वस्तु के उत्पादन में उसके उपयोग को उचित रूप से (vii) उस उत्पादन का हिस्सा होने के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है:
- "जारी करने वाला निकाय या प्राधिकरण (यथा उपयुक्त)" का अर्थ समय-समय पर अधिसूचित किए गए मूलत: (ण) उत्पादन के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रत्येक पक्षकार द्वारा नामित निकाय या प्राधिकरण है;
- "सामग्री" का अर्थ ऐसे माल से है जिसका उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, जो भौतिक रूप से शामिल या (त) किसी अन्य प्रकार माल के उत्पादन में उपयोग किया जाता है:
- (थ) "गैर-मूलत: उत्पादित माल या गैर-मूलत: उत्पादित सामग्री" का अर्थ किसी ऐसे माल या सामग्री से है जो इन नियमों के अनुसार उत्पत्ति के रूप में योग्य नहीं है, जिसमें अनिर्धारित मूलत: उत्पादित माल या सामग्री शामिल
- **"मूलत: उत्पादित माल या सामग्री"** का अर्थ किसी ऐसे माल या सामग्री से है जो इन नियमों के अनुसार उत्पत्ति के (द) रूप में अर्हता प्राप्त करता है:
- "पैर्किंग सामग्री और आवागमन और शिपमेंट के लिए कंटेनर" का अर्थ उस माल से है जो आवागमन के दौरान (ध) किसी अन्य प्रकार के माल की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें पैकेजिंग सामग्री या कंटेनर शामिल नहीं होते हैं जिसमें खुदरा बिक्री के लिए किसी माल को पैक किया जाता है:
- **"पक्षकारों"** का अर्थ भारत गणराज्य की सरकार ("भारत") और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ("ऑस्ट्रेलिया") से है; (न)
- **"पक्षकार"** का अर्थ भारत गणराज्य की सरकार ("भारत") या ऑस्ट्रेलिया की सरकार ("ऑस्ट्रेलिया") से है; (प)
- "उत्पादक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो किसी वस्तु के उत्पादन में संलग्न हो; (फ)
- **"उत्पादन"** का अर्थ है किसी वस्तु को उगाना, खेती करना, उठाना, खनन, कटाई, मछली पकड़ना, फँसाना, शिकार (ब) करना, पकड़ना, एकत्र करना, प्रजनन करना, निकालना, मत्स्य पालन, एकत्र करना, निर्माण, प्रसंस्करण या संयोजन करने से है;
- **"वरियतापरक टैरिफ संव्यवहार"** का अर्थ है प्रत्येक पक्षकार की टैरिफ प्रतिबद्धताओं के अनुसार मूलत: उत्पादित (भ) माल पर लागू सीमाश्ल्क दर से है।
- "अर्हक मूल्य सामग्री (क्यूवीसी)" का अर्थ प्रतिशत के रूप में व्यक्त किसी माल की योग्यता मूल्य सामग्री से है; (甲)
- "क्षेत्र" का अर्थ है. (य)
 - ऑस्ट्रेलिया के संबंध में, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र, (i)
 - नॉरफ़ॉक द्वीप के क्षेत्र, क्रिसमस द्वीप के क्षेत्र, कोकोस (कीलिंग) द्वीप समृह के क्षेत्र, एशमोर और (क) कार्टियर द्वीप समूह, हर्ड द्वीप और मैकडॉनल्ड द्वीप समूह के क्षेत्र और कोरल समुद्री द्वीप समूह के क्षेत्र के अलावा सभी बाहरी क्षेत्रों को छोड़कर सागर द्वीप क्षेत्र; तथा
 - ऑस्ट्रेलिया के प्रादेशिक समुद्र, सन्निहित क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय शेल्फ सहित, (ख) जिस पर ऑस्ट्रेलिया 10 दिसंबर, 1982 तारीख को मोंटेगो खाड़ी में किए गए समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार संप्रभुता, संप्रभु अधिकार या अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है; तथा
 - भारत के संबंध में, भारतीय गणराज्य का क्षेत्र, भारत के संविधान के अनुसार, इसके भूमि क्षेत्र, इसके (ii) क्षेत्रीय जल और इसके ऊपर के हवाई क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय शेल्फ सहित अन्य समुद्री क्षेत्रों सहित जिस पर भारत गणराज्य की संप्रभुता, संप्रभु अधिकार, और/या अनन्य अधिकार क्षेत्र, इसके लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार, और अंतरराष्ट्रीय कानून, जिसमें मोंटेगो खाड़ी में, 10 दिसंबर, 1982 को किए गए संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन शामिल है;
- "गैर-मूलत: उत्पादित सामग्री का मूल्य" का अर्थ है गैर-मूलत: उत्पादित सामग्री का मूल्य, जिसमें माल के उत्पादन (यक) में उपयोग की जाने वाली अनिर्धारित उत्पत्ति की सामग्री शामिल है:

- (यख) "मूलत: उत्पादित सामग्री का मूल्य" का अर्थ एक या दोनों पक्षों के क्षेत्र में माल के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली मूलत: सामग्री का मूल्य है;
- (यग) "डब्ल्यूटीओ" का अर्थ विश्व व्यापार संगठन से है; तथा
- (यघ) **"डब्ल्यूटीओ समझौते"** का अर्थ 15 अप्रैल, 1994 को मराकेश में किया गया विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करने वाला मराकेश समझौता है।
- (2) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, -
 - (क) टैरिफ वर्गीकरण का आधार हार्मोनाइज्ड सिस्टम है; तथा
 - (ख) इन नियमों में निर्दिष्ट किसी भी लागत और मूल्य को उस पक्षकार के क्षेत्र में जहां माल उत्पादन किया जाता है, लागू आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार दर्ज और बनाए रखा जाएगा।
- **3. मूलत: माल.-** इन नियमों में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, किसी माल को यह माना जाएगा कि इसका यहां मूलतः उत्पादन हुआ है यदि, -
 - (क) नियम 5 में दिए गए अनुसार, एक या दोनों पक्षकारों के क्षेत्र में पूरी तरह से प्राप्त या उत्पादित हो; या
 - (ख) गैर-मूलत: सामग्रियों का उपयोग करके पूरी तरह से एक या दोनों पक्षों के क्षेत्र में उत्पादित हो, बशर्ते नियम 4 या अनुबंध-ख में उत्पत्ति के विशिष्ट उत्पाद नियमों की सभी लागू आवश्यकताओं को पूरा करता हो।
- 4. माल जो पूरी तरह से उत्पादित या प्राप्त नहीं किया गया है.- उस माल जिसकी नियम 3 के खंड (क) के तहत उत्पत्ति की स्थिति नहीं है और जो अनुबंध- ख के अंतर्गत नहीं आते हैं, उस माल को मूल माना जाएगा यदि सभी गैर-मूल सामग्रियों में हार्मोनाइज्ड सिस्टम के टैरिफ सब-हेर्डिंग (सीटीअसएच) स्तर में कम से कम परिवर्तन हुआ हो, और नियम 7 के तहत माल का क्यूवीसी एफओबी मूल्य बिल्ड-अप फॉर्मूला के अनुसार पैंतीस प्रतिशत या बिल्ड-डाउन फॉर्मूला के अनुसार पैंतालीस प्रतिशत से कम न हो:

बशर्ते कि माल के निर्माण की अंतिम उत्पादन प्रक्रिया निर्यातक पक्षकार के क्षेत्र के भीतर हुई हो।

- 5. **पूर्ण रूप से प्राप्त या उत्पादित माल.-** नियम 3 के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित माल को एक या दोनों पक्षकारों के क्षेत्र में पूर्ण रूप से प्राप्त या उत्पादित माना जाएगा, अर्थात् :-
 - (क) फल, फूल, सब्जियां, पेड़, समुद्री शैवाल, कवक, शैवाल और वहां उगाए गए और काटे गए, उठाए गए या एकत्र किए गए जीवित पौधों सहित पौधे से बने उत्पाद;
 - (ख) वहां पैदा हुए और पाले गए जीवित जानवर;
 - (ग) वहां पैदा हुए और पाले गए जीवित जानवरों से प्राप्त उत्पाद;
 - (घ) शिकार, फँसाने, मछली पकड़ने, मत्स्य पालन, इकट्ठा करने, या वहां कब्जा करने से प्राप्त माल;
 - (ङ) खनिज और अन्य प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ, जो खंड (क) से (घ) में शामिल नहीं हैं, वहां की मिट्टी या पानी, समुद्रतल या अवभूमि से निकाला या लिया जाता है;
 - (च) मछली, शंख, और अन्य समुद्री जीवन, प्रत्येक पक्षकार के क्षेत्रों की बाहरी सीमाओं से परे समुद्र, समुद्र तल या अवभूमि से निकाला या लिया जाता है, और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, जहाजों द्वारा गैर-पक्षकारों के क्षेत्रीय समुद्र के बाहर किसी पक्षकार के साथ पंजीकृत, सूचीबद्ध या दर्ज हैं और उस पक्षकार का झंडा फहराने के हकदार हैं;
 - (छ) किसी पक्षकार के साथ पंजीकृत, सूचीबद्ध या रिकॉर्ड किए गए कारखाने के जहाज पर उत्पादित माल और खंड (च) में निर्दिष्ट माल से उस पक्षकार का झंडा फहराने का हकदार है;
 - (ज) किसी पक्षकार के प्रादेशिक समुद्र के बाहर समुद्र की तलहटी या समुद्र तल के नीचे अवमृदा से निकाली गई या ली गई मछली, शेलफिश और अन्य समुद्री जीवन के अलावा अन्य माल:

बशर्ते कि प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार पक्षकार के पास समुद्र तल के नीचे ऐसे समुद्री तल या अवमृदा का दोहन करने का अधिकार हो;

- (झ) वहां उत्पादन या खपत से प्राप्त अपशिष्ट और स्क्रैप:
 - बशर्ते कि ऐसे माल केवल कच्चे माल की वसूली या पुनर्चक्रण उद्देश्यों के लिए उपयुक्त हों; तथा
- (ञ) उत्पादन के किसी भी स्तर पर खंड (क) से (झ) या उनके डेरिवेटिव्स में निर्दिष्ट उत्पादों से एक या दोनों पक्षकारों के क्षेत्र में उत्पादित माल।
- 6. **संचय.-** इन नियमों की शर्तों के तहत एक पक्षकार के क्षेत्र में विशेष रूप से उत्पन्न होने वाले माल और सामग्री, और दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में किसी माल के उत्पादन में शामिल होने पर दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में उत्पन्न माना जाएगा।
- 7. योग्यता मूल्य सामग्री की गणना.- (1) जहां इन नियमों में योग्यता मूल्य सामग्री की आवश्यकता निर्दिष्ट है, संबंधित अनुबंधों सहित, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई माल मूलत: उत्पादित है, योग्यता मूल्य सामग्री की गणना निम्न विधियों में से एक का उपयोग करके की जाएगी, अर्थात्:-
 - (क) बिल्ड-डाउन फॉर्मूला : गैर-मूलत: उत्पादित सामग्री के मूल्य के आधार पर [क्यूवीसी= (एफओबी मूल्य - गैर मूल सामग्री का मूल्य) x 100] (एफओबी मूल्य)
 - (ख) बिल्ड-अप फॉर्मूला: मूलत: उत्पादित सामग्री के मूल्य के आधार पर

[क्यूवीसी= <u>गैर मूल सामग्री का मूल्य)</u> x 100]

(एफओबी मूल्य)

- (2) योग्यता मूल्य सामग्री की गणना के प्रयोजनों के लिए सभी प्रकार के मूल्य सीमाशुल्क मूल्यांकन समझौते के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।
- (3) सभी लागतों को उस पक्षकार के क्षेत्र में लागू आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप दर्ज और बनाए रखा जाएगा जहां माल का उत्पादन किया जाता है।
- (4) यदि एक गैर-मूलत: उत्पादित सामग्री का उपयोग किसी माल के उत्पादन में किया जाता है, तो यह निर्धारित करने के लिए मूलत: उत्पादित सामग्री के मूल्य में निम्नलिखित जोड़ा जा सकता है कि क्या माल क्यूवीसी आवश्यकता को पूरा करता है, -
 - (क) एक या दोनों पक्षकारों के क्षेत्र में किए गए गैर-मूलत: उत्पादित सामग्रियों के उत्पादन का मूल्य; तथा
 - (ख) एक या अधिक उत्पादकों द्वारा एक या दोनों पक्षकारों के क्षेत्र में गैर-मूलत: उत्पादित सामग्री के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली मूलत: उत्पादित सामग्री का मूल्य।
- (5) उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री का मूल्य होगा, -
 - (क) आयातित सामग्री के लिए, सीआईएफ मूल्य;
 - (ख) किसी पक्षकार के क्षेत्र के भीतर प्राप्त सामग्री के लिए, -
 - (i) उस पक्षकार में जहां उत्पादक स्थित है, उत्पादक द्वारा भुगतान की गई या देय कीमत;
 - (ii) खंड (क) में आयातित सामग्री के लिए निर्धारित मूल्य; या
 - (iii) पक्षकार के क्षेत्र में भुगतान या देय जल्द से जल्द निश्चित मूल्य; तथा
 - (ग) उस सामग्री के लिए जो स्व-निर्मित हैं, सामग्री के उत्पादन में होने वाली सभी लागतें, जिसमें सामान्य व्यय शामिल हैं।
- (6) मूलत: उत्पादित सामग्री के लिए, निम्नलिखित खर्च सामग्री के मूल्य में जोड़ा जाएगा, यदि उप-नियम (5) के तहत शामिल नहीं है, अर्थात् :-

- (क) माल के उत्पादक के स्थान पर माल के परिवहन में किए गए माल, बीमा, पैर्किंग और अन्य परिवहन संबंधी लागतों की लागत;
- (ख) किसी पक्षकार के क्षेत्र में भुगतान की गई सामग्री पर शुल्क, करों और सीमाशुल्क ब्रोकरेज फीस, शुल्कों के अलावा जो छूट दी गई हैं, वापस कर दी गई हैं, वापसी योग्य हैं, या अन्यथा वसूली योग्य हैं, जिसमें शुल्क या भुगतान किए गए या देय कर के खिलाफ क्रेडिट शामिल है; तथा
- (ग) माल के उत्पादन में सामग्री के उपयोग से उत्पन्न अपशिष्ट और खराब होने की लागत, पुन: प्रयोज्य स्क्रैप या उप-उत्पाद का मूल्य घटाकर।
- (7) गैर-मूलत: उत्पादित सामग्री या अनिर्धारित मूल की सामग्री के लिए, सामग्री के मूल्य से निम्नलिखित व्यय घटाया जाएगा अर्थात् :-
 - (क) माल के उत्पादक के स्थान पर माल के परिवहन, बीमा, पैर्किंग की लागत और अन्य परिवहन संबंधित लागत;
 - (ख) किसी पक्षकार के क्षेत्र में भुगतान की गई सामग्री पर शुल्क, करों और सीमाशुल्क ब्रोकरेज फीस, शुल्कों के अलावा जो छूट दी गई हैं, वापस कर दी गई हैं, वापसी योग्य हैं, या अन्यथा वसूली योग्य हैं, जिसमें शुल्क या भुगतान किए गए या देय कर के खिलाफ क्रेडिट शामिल है; तथा
 - (ग) माल के उत्पादन में सामग्री के उपयोग से उत्पन्न अपशिष्ट और खराब होने की लागत, पुन: प्रयोज्य स्क्रैप या उप-उत्पाद का मूल्य घटाकर।
- (8) जहां उप-नियम (5) से (7) में सूचीबद्ध व्यय अज्ञात हैं या साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, तो इस प्रकार की लागत के लिए कोई समायोजन की अनुमति नहीं है।
- **8. न्यूनतम संचालन.-** (1) इन नियमों मे किसी भी बात के होते हुए भी, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए गैर-मूलत: उत्पादित सामग्री पर किए जाने वाले निम्नलिखित प्रचालनों को उस वस्तु को उद्गमित वस्तु की स्थिति प्रदान करने के लिए अपर्याप्त कार्य या प्रसंस्करण के रूप में माना जाएगा, यथा:-
 - (क) सुरक्षात्मक उपाय ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवहन या भंडारण के प्रयोजनों के लिए माल अच्छी स्थिति में रहे;
 - (ख) परिवहन या बिक्री के लिए माल की पैकेजिंग या प्रस्तुतिकरण;
 - (ग) सरल प्रक्रियाएं, जिसमें छनाई, जांच, छंटाई, वर्गीकरण, धार तेज करना, काटना, तोडना, पीसना, मोडना, लपेटन या खोलना आदि शामिल है;
 - (घ) कपड़ों के लिए : स्ट्रैप्स, बीड्स, कॉर्ड्स रिंग्स और आईलेट्स जैसे सहायक उपकरणों का संलग्न करना; कपडों की इस्त्री या प्रेसिंग करना;
 - (ङ) माल या उनकी पैकेजिंग पर चिह्नों, लेबलों, लोगो, या अन्य समान विशिष्ट चिन्हों को लगाना या मुद्रित करना;
 - (च) पानी या किसी ऐसे अन्य पदार्थ को मिलाकर सीमित रूप से तनु बनाना जो कि माल के विशिष्ट गुण को वास्तविक रूप से परिवर्तित नहीं करता हो;
 - (छ) उत्पादों को पार्ट्स में अलग-अलग करना;
 - (ज) पशुओं का वध;
 - (झ) साधारण पेंटिंग और पॉलिशिंग का संचालन;
 - (ञ) साधारण छालन, तराशी या शेलिंग;
 - (ट) माल का सरल मिश्रण, चाहे विभिन्न प्रकार का हो या नहीं; या
 - (ठ) खंड (क) से (ट) में विनिर्दिष्ट दो या दो से अधिक संचालनें का कोई संयोजन।

व्याख्या.- उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए, -

- (क) "सरल" उन गतिविधियों का वर्णन करता है जिनके लिए न तो विशेष कौशल की आवश्यकता होती है और न ही विशेष रूप से निर्मित मशीनों, सामग्री या ऐसे उपकरणों की जिन्हें इस गतिविधि को अंजाम देने के लिए स्थापित किया गया है।
- (ख) "सरल मिश्रण" उन गतिविधियों का वर्णन करता है जिनके लिए न तो विशेष कौशल की आवश्यकता होती है और न ही विशेष रूप से निर्मित मशीनों, सामग्री या ऐसे उपकरणों की जिन्हें इस गतिविधि को अंजाम देने के लिए स्थापित किया गया है। हालांकि, सरल मिश्रण में एक रासायनिक प्रतिक्रिया शामिल नहीं है। रासायनिक प्रतिक्रिया का मतलब एक प्रक्रिया है, जिसमें जैव रासायनिक प्रक्रिया शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप एक अणु एक नई संरचना के साथ होता है, चाहे इंट्रा आणविक बांड को तोड़कर और नए इंट्रा-आणविक बांड बनाकर, या अणु में परमाणुओं की स्थिति को बदलकर।
- (ग) "वध" का अर्थ केवल जानवरों के वध से है।
- (2) यह निर्धारित करते समय कि उस माल के प्रयोग से किए गए कार्य या प्रसंस्करण को उप-नियम (1) के अर्थ के भीतर अपर्याप्त माना जाना है या नहीं, किसी दिए गए माल पर किसी पक्ष में किए गए सभी कार्यों पर एक साथ विचार किया जाएगा।
- 9. न्यून करना.- (1) एक वस्तु, जो हार्मोनाइज्ड सिस्टम के अध्याय 50 से 63 के भीतर आने वाले सामानों को छोड़कर, अनुबंध- ख के अनुसार टैरिफ वर्गीकरण में बदलाव को संतुष्ट नहीं करती है, जैसा कि नियम 2 के तहत परिभाषित है, और यदि उसे वस्तु के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली गैर- मूलत: सामग्री का मूल्य वस्तु के एफओबी मूल्य से दस प्रतिशत से अधिक नहीं है और वस्तु इन नियमों में दी गई सभी लागू आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो वह वस्तु एक मूल माल होगी।
- (2) एक वस्तु जो हार्मोनाइज्ड सिस्टम के अध्याय 50 से 63 में वर्गीकृत है, और उसे वह मूल माल के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं है क्योंकि उत्पादन में उपयोग की जाने वाली कुछ गैर-उत्पत्ति सामग्री अनुबंध-ख में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, फिर भी वह एक मूल माल होगी यदि ऐसी सभी सामग्री का कुल वजन उस वस्तु के कुल वजन के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है।
- (3) यदि उप-नियम (1) या (2) में वर्णित एक वस्तु मूल्य सामग्री की आवश्यकता के भी अधीन है, तो उन गैर-मूल सामग्रियों को लागू योग्यता मूल्य सामग्री की आवश्यकता के लिए गैर-मूल सामग्रियों के मूल्य में शामिल किया जाएगा।
- 10. खुदरा बिक्री के लिए पैकेजिंग सामग्री और कंटेनरों की अहमियत.- (1) पैकेजिंग सामग्री और कंटेनर जिसमें खुदरा बिक्री के लिए एक माल पैक किया जाता है, यदि माल के साथ वर्गीकृत किया जाता है, तो यह निर्धारित करने में ध्यान नहीं दिया जाएगा कि क्या वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त गैर-मूल सामग्री अनुबंध-ख में निर्धारित टैरिफ वर्गीकरण आवश्यकताओं में परिवर्तन को अथवा लागू प्रक्रिया को पूरा करती है, या वस्तु को पूरी तरह से प्राप्त या उत्पादित किया गया है।
- (2) यदि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट वस्तु योग्य मूल्य सामग्री की आवश्यकता के अधीन है, तो वस्तु की योग्यता मूल्य सामग्री की गणना में, जैसा भी मामला हो, ऐसी पैकेजिंग सामग्री और कंटेनरों के मूल्य को मूल या गैर-मूल सामग्री के मूल्य के रूप में ध्यान में रखा जाएगा।
- 11. परिवहन और शिपमैंट के लिए पैकिंग सामग्री और कंटेनरों की अहमियत.- माल के परिवहन और शिपिंग के लिए पैकिंग सामग्री और कंटेनरों को यह निर्धारित करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा कि क्या वस्तु मूल सामग्री है।
- 12. **एक्सेसरीज, स्पेयर पार्ट्स और टूल्स.-** (1) मूलत: उत्पादित एक्सेसरीज, स्पेयर पार्ट्स या किसी माल के साथ दिए जाने वाले टूल्स,-
 - (क) यदि अनुबंध-ख में विनिर्दिष्ट मूल के लिए वस्तु टैरिफ वर्गीकरण आवश्यकता या उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकताओं में परिवर्तन के अधीन है, तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाएगा; और
 - (ख) यदि माल अहर्ता मूल्य अवयव अपेक्षा के अधीन है तो ऐसे माल के अहर्ता मूल्य अवयव की गणना करते समय इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा कि क्या ऐसी सामग्री मूलत: उत्पादित है या गैर-मूलत: उत्पादित है।

- (2) उप-नियम (1) केवल वहीं लागू होगा, जहां,-
 - (क) एक्सेसरीज, स्पेयर पार्ट्स, उपकरण और निर्देशात्मक या अन्य सूचनात्मक सामग्री जो मूल वस्तु के साथ दी गई हो उसका अलग से चालान नहीं किया जाता है; और
 - (ख) एक्सेसरीज, स्पेयर पार्ट्स, उपकरण और निर्देशात्मक या अन्य सूचनात्मक सामग्री की मात्रा और मूल्य जो कि वस्तु के साथ प्रस्तुत किए गए हैं वे वस्तु के लिए प्ररम्परागत हैं।
- 13. अप्रत्यक्ष सामग्रियां.- एक अप्रत्यक्ष सामग्री को मूल माना जाएगा बिना इस बात की परवाह किए कि यह कहां बनाया जाता है।
- **14**. **विनिमेय माल.-** (1) विनिमेय माल या सामग्री को मूल के आधार पर माना जाएगा,-
 - (क) वस्तु या सामग्री के भौतिक पृथक्करण के आधार पर; या
 - (ख) जहां उत्पादन किया जाता है वहां पक्ष के आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों में मान्यता प्राप्त किसी भी सूची प्रबंधन पद्धति का उपयोग, यदि मूल और गैर-मूल होने वाली विनिमेय माल या सामग्री आती हैं:

बशर्ते कि चयनित भण्डार प्रबंधक पद्धत्ति का उपयोग उस व्यक्ति के पूरे वित्तीय वर्ष में किया जाए जिसने भण्डार प्रबंधक पद्धत्ति का चयन किया था।

- (2) उप-नियम (1) के खंड (क) के तहत एक भण्डार प्रबंधक पद्धत्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई और माल या सामग्री मुल स्थिति प्राप्त न करे, अगर विनिमेय माल या सामग्रियों को भौतिक रूप से अलग कर दिया गया हो तो।
- **15.** प्रेषण.- (1) एक वस्तु नियम 3 के तहत निर्धारित अपनी मूल स्थिति को बनाए रखेगी यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी की गई हो, अर्थात् : -
 - (क) माल को सीधे निर्यात करने वाली पक्ष से आयात करने वाले पक्ष तक पहुँचाया गया है; या
 - (ख) माल को एक या एक से अधिक गैर-पार्टियों के माध्यम से ले जाया गया है;

बशर्ते कि आयात करने वाली पक्ष के कानूनों और विनियमों के अनुसार माल को अपलोड करने, पुनः रिलोड करने, भंडारण करने, फिर से पैक करने, कानून के अनुसार पुनः लेबल लगाने, भारों के विभाजन, भारों के समेकन के अलावा पार्टियों के क्षेत्रों के बाहर किसी भी आगामी उत्पादन या अन्य संचालन से नहीं गुजरना पड़ा हो या वस्तु को अच्छी स्थिति में रखने के लिए किसी अन्य कार्यवाही या किसी पक्ष के क्षेत्र में माल के परिवहन के लिए आवश्यक है और माल गैर-पार्टियों में सीमाशुल्क नियंत्रण में बना हुआ है।

- (2) उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुपालन को आयात करने वाली पक्ष के सीमाशुल्क प्रशासन को या तो गैर-पक्षों के सीमाशुल्क दस्तावेजों के साथ, या सीमाशुल्क प्रशासन के अनुरोध पर आयातक पक्ष के किसी अन्य उपयुक्त दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जाएगा।
- (3) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट उपयुक्त दस्तावेज में वाणिज्यिक शिपिंग या माल ढुलाई के दस्तावेज शामिल हो सकते हैं जैसे कि एयरवे बिल, बिल ऑफ लैडिंग, मल्टीमॉडल या संयुक्त परिवहन दस्तावेज, वस्तु के संबंध में मूल वाणिज्यिक चालान की एक प्रति, वित्तीय रिकार्ड्स, एक गैर-हेरफेर प्रमाणपत्र, आयातक पक्ष के सीमाशुल्क प्रशासन द्वारा अनुरोध किए जा सकने वाले रिकॉर्ड, या अन्य प्रासंगिक सहायक दस्तावेज़।
- **16. मूलतः उत्पादन का प्रमाण पत्र.-** (1) मूलतः उत्पादन का प्रमाण पत्र एक निर्यातक, उत्पादक, या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा एक आवेदन पर, एक निर्यात करने वाले पक्ष के जारी करने वाले निकाय या प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाएगा।
- (2) इसमें जारी करने वाले निकाय या प्राधिकरण के अधिकृत हस्ताक्षर और आधिकारिक मुहर होगी, जैसा भी उपयुक्त हो। हस्ताक्षर और मुहर को मैन्युअल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से लागू किया जाएगा।
- (3) मूलतः उत्पादन का प्रमाण पत्र होगा:
 - (क) लिखित या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में;

- (ख) अंग्रेजी भाषा में;
- (ग) यह निर्दिष्ट करें कि माल मूलतः उत्पन्न है और इन नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करता है;
- (घ) जैसा कि अनुलग्नक-क (न्यूनतम आवश्यक सूचना) में दिया गया है तत्संबंधी जानकारी और यह जानकारी अनुलग्नक-क के समान फॉर्मेट में दिया जाना चाहिए;
- (ङ) इसे पूरा करने या जारी करने की तारीख से बारह महीने तक वैध रहेगा ;
- (च) एक या कई माल के एकल आयात पर ही लागू होगा:बशर्ते कि प्रत्येक वस्तु अपने आप में अलग से एक मूल माल के रूप में योग्य हो; तथा
- (छ) निर्यातकर्ता पक्ष के जारीकर्ता निकाय या प्राधिकारी, जो भी यथोचित है, द्वारा इस पर मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र की अद्वितीय संख्या मुद्रित की गयी हो।
- (4) मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र में एकल आयात के लिए जारी किए गए दो या दो से अधिक चालान दर्शाए जा सकते हैं।
- 17. प्रमाणीकरण की प्रक्रियाएं.- (1) मूलतः उत्पादन का प्रमाण पत्र निर्यातक या उत्पादक द्वारा आयातक को अग्रेषित किया जाएगा। सीमाशुल्क प्रशासन मूल प्रति की मांग कर सकता है।
- (2) मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र पर न तो मिटाने और न ही अधिरोपण की अनुमित दी जाएगी। कोई भी परिवर्तन गलत सामग्री को हटाकर और कोई संयोजन, जो आवश्यक हो सकता है शामिल करके किया जाएगा। इस तरह के परिवर्तनों को मूल प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और जारी करने वाले उपयुक्त निकाय या प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। त्रुटिपूर्ण प्रमाणपत्र के स्थान पर नया प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है। बाद में किसी भी संयोजन को रोकने के लिए अप्रयुक्त स्थानों को काट दिया जाएगा।
- (3) मूलतः उत्पादन का प्रमाण पत्र निर्यात की तारीख से पहले या उसके पांच (5) कार्य दिवसों के भीतर जारी किया जाएगा। हालांकि, असाधारण मामलों में, जहां निर्यात के समय या अनैच्छिक त्रुटियों या चूक, या किसी अन्य वैध कारणों के परिणामस्वरूप, शिपमेंट की तारीख से पांच कार्य दिवसों के भीतर मूल प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, मूल प्रमाण पत्र पूर्वव्यापी प्रभाव से जारी किया जा सकता है। पूर्वव्यापी, मूल प्रमाण पत्र में "पूर्वव्यापी प्रभाव से जारी" शब्दों के साथ, जारी करने वाले निकाय या प्राधिकारी भी उन असाधारण परिस्थितियों पर लिखित कारणों को दर्ज करेंगे जिनके कारण प्रमाण पत्र पूर्वव्यापी प्रभाव से जारी किया गया था। शिपमेंट की तारीख से बारह महीने के भीतर उत्पत्ति का प्रमाण पत्र पूर्वव्यापी रूप से जारी किया जा सकता है।
- (4) मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र की चोरी, हानि या आकस्मिक विनाश के मामलों में, निर्यातक, उत्पादक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि, मूल प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि के भीतर, जारी करने वाले निकाय या प्राधिकरण को एक लिखित अनुरोध कर सकते हैं जिसने प्रमाणित प्रति के लिए मूल प्रमाणपत्र जारी किया है। प्रमाणित प्रति पर "प्रमाणित सत्य प्रति" शब्द होंगे। प्रमाणित प्रति की वैधता वही होगी जो मूल प्रमाण पत्र की है।
- **18. मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन.-** (1) मूलतः उत्पादन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, माल के निर्यातक या उत्पादक, जारीकर्ता निकाय या निर्यातक पक्ष के प्राधिकारी को अनुमोदित चैनल के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा या जमा करेगा, अर्थात् :-
 - (क) मूल को साबित करने के लिए उपयुक्त सहायक जानकारी और दस्तावेजों के साथ एक आवेदन, जिसमें लागतों का विभाजन और लाभ जैसे अन्य प्रासंगिक तत्व शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;
 - (ख) अनुबंध-क में उल्लेखित जानकारी और चालान में विवरण के अनुरूप; तथा
 - (ग) माल की उत्पत्ति स्थापित करने के लिए आवश्यक वाणिज्यिक चालान और अन्य दस्तावेज।
- (2) एक ही मूलतः उत्पादन प्रमाण पत्र पर घोषित कई वस्तुओं की अनुमित होगी: बशर्ते कि प्रत्येक वस्तु को अपने आप में अलग से योग्य होना चाहिए।

- (3) प्रत्येक पक्ष अपनी घरेलू प्रक्रियाओं के अनुसार और यदि उचित समझे तो अपने जारीकर्ता निकाय या प्राधिकरण को एक जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू करने की अनुमित दे सकता है ताकि किसी निर्यातक या उत्पादक द्वारा दर्ज की गई न्यूनतम सूचना आवश्यकताओं के पूर्व-निर्यात सत्यापन का चयन किया जा सके।
- (4) जारी करने वाला निकाय या प्राधिकरण, जैसा उपयुक्त हो, अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार, मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र के लिए प्रत्येक आवेदन की उचित जांच कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि, -
 - (क) आवेदन अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत पूर्ण और हस्ताक्षरित किया गया है;
 - (ख) माल की उत्पत्ति इन नियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप है; और
 - (ग) मूलतः प्रमाणीकरण में दी गई जानकारी सहायक जानकारी और प्राप्त किए गए दस्तावेज़ों से मेल खाती है।
- 19. गैर-पक्ष इनवॉइसिंग.- (1) आयात करने वाले पक्ष द्वारा वरीयतापरक टैरिफ संव्यवहार के दावे को केवल इस कारण से अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि इनवॉइस, निर्यातक या उत्पादक द्वारा जारी नहीं किया गया था:

बशर्ते कि माल इन नियमों की अपेक्षाओं पर खरा उतरता हो।

- (2) माल का निर्यातक "गैर-पक्ष चालान" का संकेत देगा और चालान जारी करने वाली कंपनी का नाम, पता और देश, मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र में एक अलग कॉलम में प्रदर्शित होगा।
- **20.** प्राधिकारी.- (1) मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र को किसी जारी करने वाले निकाय या प्राधिकरण द्वारा, जो उपयुक्त हो, जारी किया जाएगा।
- (2) प्रत्येक पक्ष इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर इन नियमों के अधीन मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पदाभिहित ऐसे निकाय या प्राधिकरण के प्राधिकृत व्यक्तियों के संपर्क पते विवरण की जानकारी जारीकर्ता निकाय या प्राधिकरण के दूसरे पक्ष के सीमाशुल्क प्रशासन को देगा।
- (3) दोनों पक्ष मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के नमूना मुहरों और हस्ताक्षरों का आदान-प्रदान करेंगे।
- (4) प्रत्येक पक्ष अपने जारी करने वाले निकाय या प्राधिकरण जैसा उपयुक्त हो में किसी भी परिवर्तन के बारे में तथा नाम, पदनाम, पते, अधिकृत व्यक्तियों के नमूना हस्ताक्षर या ऐसे जारी करने वाले निकाय या प्राधिकरण की मुहरों के बारे में दूसरे पक्ष को तुरंत सूचित करेगा।
- **21. वरीयतापरक टैरिफ संव्यवहार के लिए दावे.-** (1) जब तक कि अन्यथा नियम 28 में उपबंधित न हो, प्रत्येक पक्ष उत्पादन प्रमाण पत्र के आधार पर मूल माल के लिए इन नियमों के अनुसार वरीयतापरक टैरिफ संव्यवहार प्रदान करेगी।
- (2) जब तक इन नियमों में अन्यथा उपबंध नहीं किया जाता है, वरीयतापरक टैरिफ संव्यवहार का दावा करने के प्रयोजनों के लिए, एक आयातक पक्ष व्यवस्था करेगी कि एक आयातक, -
 - (क) एक घोषणा करें कि माल एक मूलतः माल के रूप में योग्य है;
 - (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट घोषणा के समय उसके पास में एक वैध मूलतः उत्पादन का प्रमाण पत्र हो;
 - (ग) पक्ष द्वारा आवश्यक होने पर आयातक पक्ष को मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रदान करें; तथा
 - (घ) यदि किसी आयातक पक्ष द्वारा अपेक्षित हो, तो प्रदर्शित करें कि नियम 15 की अपेक्षाओं को पूरा किया गया है।
- (3) एक आयातक पक्ष को आवश्यकता हो सकती है कि एक आयातक जो वरीयतापरक टैरिफ संव्यवहारका दावा करता है, दावे का समर्थन करने के लिए दस्तावेज और अन्य जानकारी प्रदान करेगा।

- 22. रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताएं.- (1) प्रत्येक पक्ष की यह अपेक्षा होगी कि, -
 - (क) इसके निर्यातक, उत्पादक और जारी करने वाले निकाय या प्राधिकरण, जैसा उपयुक्त हो, उत्पत्ति का प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से कम से कम पांच साल तक, या इसके प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के अनुसार लंबी अवधि के लिए, सभी रिकॉर्ड यह साबित करने के लिए आवश्यक हैं कि उस वस्तु जिसके लिए उत्पत्ति का प्रमाण पत्र जारी किया गया था, का उत्पादन हो रहा था; तथा
 - (ख) इसके आयातक माल के आयात की तारीख से कम से कम पांच साल के लिए, या इसके प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के अनुसार एक लंबी अवधि के लिए, यह साबित करने के लिए आवश्यक सभी रिकॉर्ड रखते हैं कि जिस वस्तु के लिए वरीयतापरक टैरिफ संव्यवहारका दावा किया गया था, का उत्पादन हो रहा था।
- (2) उप-नियम (1) में संदर्भित रिकॉर्ड को पक्ष के कानूनों और विनियमों के अनुसार शीघ्र पुनः होने वाले किसी भी माध्यम जैसे डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक या लिखित रूप में बनाए रखा जा सकता है।
- 23. मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र का अधित्याग.- मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी यदि आयात करने वाले पक्ष ने आवश्यकता को हटा दिया है या आयातक को उनके राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार उत्पादन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
- 24. निर्यातक या उत्पादक की बाध्यताएं.- (1) निर्यातक या उत्पादक अनुबंध-क में संदर्भित न्यूनतम सूचना आवश्यकताओं और नियम 18 में संदर्भित सहायक जानकारी और दस्तावेजों को मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रस्तुत करेगा जो इन नियमों के प्रावधानों के अनुरूप, निर्यात करने वाली पक्ष में, जारी करने वाले निकाय या प्राधिकरण द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार है।
- (2) कोई भी निर्यातक या उत्पादक जो गलत तरीके से किसी वस्तु के उत्पादन के निर्धारण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, निर्यातक पक्ष के कानूनों और विनियमों के तहत दंड का भागी होने के लिए उत्तरदायी हो सकता है।
- (3) निर्यातक या उत्पादक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख के वर्ष के अंत से शुरू करते हुए कम से कम पांच साल की अवधि के लिए न्यूनतम आवश्यक जानकारी, और सहायक दस्तावेजों को रखेंगे।
- (4) उत्पादन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, इन नियमों के तहत उत्पादन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले निर्यातक या उत्पादक, माल के उत्पादन और आपूर्ति के लिए उपयुक्त वाणिज्यिक लेखा रिकॉर्ड (साथ ही आपूर्तिकर्ताओं से प्रासंगिक रिकॉर्ड और दस्तावेज) बनाए रखेंगे जो अधिमानी प्रबंध के लिए योग्य हो और माल के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सामग्री (ओं) से संबंधित सभी वाणिज्यिक और सीमाशुल्क दस्तावेजों को रखेंगे, जिसमें सामग्री, श्रम, अन्य ओवरहेड्स और किसी भी अन्य प्रासंगिक तत्वों से संबंधित लागतों का ब्यौरा शामिल है, लेकिन इन तक ही सीमित नहीं है को उत्पादन प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से कम से कम पांच साल के लिए लाभ और संबंधित घटकों के रूप में रखेंगे। निर्यातक या उत्पादक, निर्यात करने वाली पक्ष या आयात करने वाली पक्ष के सीमाशुल्क प्रशासन के जारीकर्ता निकाय या प्राधिकरण के अनुरोध पर, माल की उत्पत्ति के सत्यापन को सक्षम करने के लिए निरीक्षण के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध कराएगा।
- (5) यदि निर्यातक या उत्पादक के पास यह मानने का कारण है कि मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र गलत सूचना पर आधारित है जो मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र की सत्यता या वैधता को प्रभावित कर सकता है, तो वे आयातक, जारीकर्ता निकाय, प्राधिकरण और आयात करने वाले पक्ष के सीमाशुल्क प्रशासन को किसी वस्तु जिस पर उत्पादन प्रमाण पत्र लागू है की स्थिति को प्रभावित करने वाले परिवर्तन के संबंध में तुरंत लिखित रूप में सूचना देंगे।
- 25. वरीयतापरक टैरिफ संव्यवहार के लिए आयात के पश्चात दावा (पोस्ट इम्पोर्टेशन क्लेम).- (1) आयातक वरीयतापरक टैरिफ संव्यवहार के लिए और किसी भी अतिरिक्त शुल्क की वापसी के लिए आवेदन कर सकता है यदि आयातक ने आयात के समय वरीयतापरक टैरिफ संव्यवहार का दावा नहीं किया हो,

बशर्ते कि माल अपने क्षेत्र में आयात किए जाने पर वरीयतापरक टैरिफ संव्यवहार के लिए योग्य हो।

- (2) उप-नियम (1) के तहत वरीयतापरक टैरिफ संव्यवहार के लिए शर्त के रूप में, आयातक पक्ष को यह आवश्यकता हो सकती है कि आयातक, आयात की तारीख के बारह महीने तक या इससे अधिक अवधि तक आयात करने वाले पक्ष के कानूनों और विनियमों में निर्दिष्ट हैं तो,-
 - (क) वरीयतापरक टैरिफ संव्यवहार के लिए दावा करना;
 - (ख) जहां भी लागू हो, उत्पत्ति का प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रदान करें; तथा
 - (ग) माल के आयात से संबंधित ऐसे अन्य दस्तावेज प्रदान करें जैसे भी आयात करने वाले पक्ष की आवश्यकता हो।
- (3) यदि आयातक के पास यह मानने का कारण है कि वरीयतापरक टैरिफ संव्यवहार का दावा गलत सूचना पर आधारित है जो उत्पादन प्रमाण पत्र की सटीकता या वैधता को प्रभावित कर सकता है, तो आयातक आयात दस्तावेज़ को ठीक करेगा और किसी भी सीमाशुल्क का भुगतान करेगा और यदि लागू हो, दंड का भुगतान करेगा।
- (4) वरीयतापरक टैरिफ संव्यवहार के दावे के संबंध में जुर्माना लगाने पर विचार करते समय, पार्टियों के सीमाशुल्क प्रशासन को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे कम करने वाले कारक के रूप में नियम 24 के उपनियम (3) अथवा उपनियम (5) के अनुसरण में तथा पक्ष द्वारा उस त्रुटि पता चलने से पहले दी गई स्वैच्छिक सूचना पर विचार करेंगे।

बशर्ते की एक आयातक द्वारा दी गई अधिसूचना के मामले में, आयातक त्रुटि को सुधारता है और बकाया शुल्क चुकाता है।

26. उत्पादन का सत्यापन.-

उत्पादन का सत्यापन प्रारंभ करना

- (1) यह निर्धारित करने के लिए कि क्या किसी पक्ष के क्षेत्र में दूसरे पक्ष के क्षेत्र से आयातित माल मूलतः उत्पादित माल की शर्तों को पूरा करता है, आयात करने वाले पक्ष का सीमाशुल्क प्रशासन जरूरी होने पर, निम्नलिखित क्रम में सत्यापन करा सकता है, -
 - (क) किसी जानकारी के लिए माल के आयातक के द्वारा किए जाने वाले लिखित अनुरोध/अनुरोधों पर;
 - (ख) ऐसी स्थिति में जहां कि आयात करने वाले पक्ष का सीमाशुल्क प्रशासन उपर्युक्त उपवाक्य (क) के अंतर्गत प्राप्त जानकारी की निर्धारन करने के लिए पर्याप्त नहीं मानता है और इसके अतिरिक्त जानकारी जिसमें लागत का ब्यौरा और लाभ जैसे अन्य सुसंगत अवयव आते हैं, की मांग को जरूरी समझता है, वहां निर्यात करने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी और जारी करने वाले निकाय या प्राधिकारी, जो यथोचित हो, से जानकारी के लिए लिखित अनुरोध;
 - (ग) ऐसी स्थिति में जहां कि आयात करने वाली पक्ष का सीमाशुल्क प्रशासन उपर्युक्त उपवाक्य (क) और (ख) के अंतर्गत प्राप्त जानकारी को नियम 3 और नियम 4 के अंतर्गत माल के मूलतः उत्पादन के निर्धारन के लिए पर्याप्त नहीं मानता है और अतिरिक्त जानकारी जिसमें लागत का ब्यौरा और अन्य सुसंगत अवयव जैसे कि लाभ भी आते हैं, को जरूरी समझता है, चाहे नियम 7 के अंतर्गत अपनायी गई विधि कुछ भी हो, वहां माल के निर्यातक या उत्पादन से जानकारी प्राप्त करने के लिए लिखित अनुरोध;
 - (घ) किसी अन्य पक्ष के भू-क्षेत्र में किसी निर्यातक या उत्पादक के परिसर का दौरा; या
 - (ङ) कोई अन्य प्रक्रिया जिस पर दोंनो पक्ष सहमत हों।
- (2) उप-नियम (1) के तहत एक सत्यापन उस समय किया जा सकता है जब सीमाशुल्क आयात घोषणा दर्ज किए जाने, या आयात करने वाले पक्ष के सीमाशुल्क प्रशासन द्वारा माल की रिहाई से पहले या बाद में की जाती है।
- (3) उप-नियम (1) के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, आयात करने वाले पक्ष का सीमाशुल्क प्रशासन, -
 - (क) निर्यात करने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी या जारीकर्ता निकाय या उपयुक्त प्राधिकरण से अनुरोध कर सकते हैं कि वे -
 - (i) मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता;

- (ii) मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र में निहित किसी भी जानकारी की सटीकता; या
- (iii) सहायक जानकारी और दस्तावेजों की प्रामाणिकता और सटीकता, जो नियम 4 के तहत माल की उत्पत्ति के निर्धारण के लिए लागतों और किसी भी अन्य प्रासंगिक तत्वों जैसे मुनाफे से संबंधित हो सकती है, भले ही अपनाई गई विधि कुछ भी हो, को सत्यापित करने में सहायता करें: तथा
- (ख) सक्षम प्राधिकारी या जारीकर्ता निकाय या प्राधिकरण, जैसा उपयुक्त हो, को निम्नलिखित कारण बताएगा -
 - (i) ऐसी सहायता क्यों मांगी गई है;
 - (ii) मूलतः उत्पादन का प्रमाण पत्र, या उसकी एक प्रति; तथा
 - (iii) ऐसी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आवश्यक कोई भी जानकारी और दस्तावेज़।
- (4) जहां उप-नियम (1) के खंड (ग) के तहत कोई लिखित अनुरोध किया जाता है, वहां आयात करने वाले पक्ष का सीमाशुल्क प्रशासन -
 - (क) यह सुनिश्चित करेगा कि अनुरोध की गई जानकारी निम्नलिखित नियमों की आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित जानकारी तक सीमित है, -
 - (i) मूलतः उत्पादन का प्रमाण पत्र;
 - (ii) इस दावे का समर्थन करने वाली सूचना कि वस्तु का मूलतः उत्पादन नियम 3 के अंतर्गत हो रहा है ;
 - (iii) नियम 9 के अंतर्गत सहिष्णुता की सीमा से संबंधित जानकारी ; तथा
 - (iv) नियम 15 के तहत गैर-परिवर्तन प्रावधानों के अनुपालन की पृष्टि करने वाली जानकारी ;
 - (ख) निर्यातक या उत्पादक को अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से कम से कम तीस दिन मांगी गई जानकारी प्रदान करने की अनुमति दें; तथा
 - (ग) अनुरोध के निर्यातक पक्ष के सीमाशुल्क प्रशासन को सूचित करें।

सत्यापन के अधीन माल की रिहाई

- (5) सत्यापन के दौरान, आयात करने वाले पक्ष अपने कानूनों और विनियमों के अनुसार किसी भी शुल्क या किसी सुरक्षा के प्रावधान के भुगतान के अधीन माल की रिहाई की अनुमित देगी। यदि सत्यापन के परिणामस्वरूप, आयात करने वाले पक्ष यह निर्धारित करता है कि वस्तु एक मूल माल है, तो वह वस्तु को अधिमान्य टैरिफ प्रदान करेगी और भुगतान किए गए किसी भी अतिरिक्त शुल्क को वापस कर देगी या प्रदान की गई किसी भी सुरक्षा को बहाल कर देगी, जब तक कि सुरक्षा में पक्ष के कानूनों और विनियमों के अनुसार अन्य दायित्व भी शामिल न हों।
- **27. सत्यापन की प्रक्रिया.-** (1) नियम 26 के अनुसरण में आयात करने वाले पक्ष के सीमाशुल्क प्रशासन द्वारा सूचना के लिए किया गया कोई भी अनुरोध निम्नलिखित प्रक्रियाओं के अनुसार होगा, अर्थात् :-
 - (क) अनुरोध किए जाने पर, जारी करने वाला निकाय या प्राधिकरण, जैसा उचित हो, 90 (नब्बे) दिनों के भीतर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करेगा. -
 - (i) न्यूनतम आवश्यक जानकारी की एक प्रति के साथ मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता या अन्यथा से संबंधित पुष्टि; तथा
 - (ii) यदि अनुरोध माल की उत्पत्ति के निर्धारण की सटीकता के संदेह के आधार पर है, तो इस अवधि को 60 (साठ) दिनों तक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है;
 - (ख) यदि आयात करने वाले पक्ष नियम 26 के उप-नियम (1) के खंड (क) से (ग) के अनुसार किए गए सत्यापन से संतुष्ट नहीं है, तो यह असाधारण परिस्थितियों में, निर्यातक या उत्पादक से सत्यापन दौरा

यात्रा के लिए अनुरोध कर सकती है। आयातक पक्ष उस निर्यातक या उत्पादक को लिखित रूप में सूचित करेगा जिसके परिसर का दौरा किया जाना है, जारीकर्ता निकाय या प्राधिकरण, निर्यातक पक्ष के सीमाशुल्क प्रशासन और सत्यापन यात्रा करने के अपने इरादे के आयातक को सूचित करेगा।

- (2) आयातक पक्ष उस निर्यातक या उत्पादक की लिखित सहमित प्राप्त करेगा जिसके परिसर का दौरा किया जाना है। जब लिखित अनुरोध प्राप्त होने के 30(तीस) दिनों के भीतर निर्यातक या उत्पादक से लिखित सहमित प्राप्त नहीं होती है, तो आयात करने वाला पक्ष सत्यापन दौरा के अधीन माल पर दिए जाने वाले अधिमान्य से इनकार कर सकता है।
- (3) लिखित अधिसूचना में उस निर्यातक या उत्पादक का नाम शामिल होगा जिसके परिसर का दौरा किया जाना है, दौरे की प्रस्तावित तिथि और समय, दौरे का उद्देश्य, सत्यापन के अधीन माल का संदर्भ, और भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची और उनके पदनाम शामिल होगा।
- (4) निर्यातक या उत्पादक सत्यापन दौरे के दौरान उपस्थित होने के लिए दो या दो से अधिक स्वतंत्र गवाहों की पहचान करेगा।
- (5) सत्यापन दौरा आयोजित करने वाली आयातक पक्ष निर्यातक या उत्पादक के साथ-साथ जारीकर्ता निकाय या निर्यातक पक्ष के प्राधिकरण को इस बात का लिखित निर्धारण प्रदान करेगी कि क्या माल एक उत्पादन माल के रूप में योग्य है अथवा नहीं।
- (6) सत्यापन दौरे की प्रक्रिया जिसमें वास्तविक दौरा और माल के उत्पादन का लिखित निर्धारण की अधिसूचना शामिल है सत्यापन दौरा आयोजित होने की तारीख से अधिकतम छह महीने की अविध के भीतर पूरी की जाएगी। सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करना
- (7) आयात करने वाले पक्ष का सीमाशुल्क प्रशासन निम्नलिखित कार्य करेगा, -
 - (क) सत्यापन के बाद यथासंभव शीघ्रता से और अपने कानूनों और विनियमों के अनुसार निर्धारण करने का प्रयास करेगा; तथा
 - (ख) आयातक को लिखित निर्धारण उपलब्ध कराएगा कि जिस माल का उत्पादन हो रहा है उसमें निर्धारण के लिए आधार शामिल है।
- **28. वरीयतापरक टैरिफ संव्यवहार से इनकार.-** (1) आयात करने वाला पक्ष वरीयतापरक टैरिफ संव्यवहार के दावे को अस्वीकार कर सकता है यदि, -
 - (क) वो यह निर्धारित करता है कि माल इन नियमों की शर्तों के अंतर्गत उत्पादन होने के योग्य नहीं है या इन नियमों की आवश्यकता (आवश्यकताओं) को पूरा नहीं करता है;
 - (ख) नियम 26 के तहत सत्यापन के अनुसार, अनुबंध-क में प्रदान की गई न्यूनतम आवश्यक जानकारी सिहत पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, जिससे यह निर्धारित हो कि माल मूल रूप से योग्य है;
 - (ग) नियम 26 के अनुसार निर्यातक या उत्पादक सूचना के लिखित अनुरोध का जवाब देने में विफल रहता है या इनकार करता है;
 - (घ) निर्यातक या उत्पादक वरीयतापरक टैरिफ संव्यवहार करने के लिए प्रासंगिक आवश्यकताओं में से किसी का भी अनुपालन करने में विफल रहता है;
 - (ङ) निर्यातक या उत्पादक या जारी करने वाले निकाय या प्राधिकरण, जैसा उपयुक्त हो, नियम 26 के उप-नियम (4) के खंड (ख) या नियम 27 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर पर्याप्त जानकारी और दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहती है। जिसमें लागत के ब्यौरे और सुसंगत अवयव, जैसे कि लाभ भी आएंगे और यह बात यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, जिसके लिए आयात करने वाले पक्ष ने यह निर्धारित करने के लिए अनुरोध किया हो कि उक्त माल नियम 26 के अंतर्गत सत्यापन कराए जाने की दृष्टि से मुलतः उत्पादन की शर्तों को पुरा करता है;

- (च) निर्यातक या उत्पादक नियम 27 के उप-नियम (2) के अनुसरण में अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर सहमति देने या सत्यापन दौरा के अनुरोध का जवाब देने में विफल रहा है।
- 2. यदि कोई आयातक पक्ष वरीयतापरक टैरिफ संव्यवहार के दावे से इनकार करता है, तो वह निर्यातक या उत्पादक को एक संकल्प जारी करेगा जिसमें संकल्प के कारण शामिल होंगे।
- 29. अधिमानी प्रबंध का अस्थायी निलंबन.- (1) आयात करने वाले पक्ष निर्यात करने वाले पक्ष में उद्गम होने वाले माल के संबंध में प्रशुल्क अधिमान्य को निलंबित कर सकती है, यदि किसी निर्यातक या उत्पादक द्वारा इन नियमों के प्रावधानों का पालन करने में लगातार विफलता के कारण निलंबन उचित हो या निर्यातक के सक्षम प्राधिकारी या जारीकर्ता निकाय या प्राधिकारियों, जैसा उचित हो, सत्यापन के लिए अनुरोध का उत्तर देने में लगातार विफल रहता है।
- (2) निलंबन की अधिसूचना प्राप्त होने पर, निर्यातक पक्ष समझौते के तहत स्थापित संयुक्त तकनीकी उपसमिति के माध्यम से परामर्श का अनुरोध कर सकती है।
- (3) पक्षों के बीच विचार-विमर्श के अनुसार, ऐसे उपायों के अनुसार जो पक्षों को सहमत हो सकते हैं, पक्ष पूर्वव्यापी या संभावित प्रभाव के साथ माल को अधिमान्य लाभ देने का संकल्प ले सकती हैं।
- **30.** उत्पादन और दंड के नियमों के साथ माल का गैर-अनुपालन.- (1) यदि नियम 26 के तहत सत्यापन के नियमों के साथ माल के गैर-अनुपालन को स्थापित करता है, तो शुल्क आयात करने वाले पक्ष के कानूनों और विनियमों के अनुसार लगाया जाएगा।
- (2) प्रत्येक पक्ष उन उपायों को भी अपनाएगा या बनाए रखेगा जो नागरिक, प्रशासनिक, और जहां उपयुक्त हो, सीमाशुल्क कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए आपराधिक प्रतिबंधों को लागू करने, जिनमें उत्पादन के नियम, और इनके तहत वरीयतापरक टैरिफ संव्यवहार की पात्रता शामिल है।
- 31. **मार्गस्थ या भंडारण स्थित माल.-** नियम 25 के अनुसार, आयात करने वाले पक्ष का सीमाशुल्क प्रशासन निर्यात करने वाले पक्ष के मूलतः उत्पादित माल के साथ वरीयतापरक टैरिफ संव्यवहार अपनाएगा, जोकि इन नियमों के लागू होने की तारीख को-
 - (क) निर्यात करने वाले पक्ष से आयात करने वाले पक्ष के पास परिवहन किए जाने की प्रक्रिया में हैं; या
 - (ग) सीमाशुल्क के नियंत्रण से मुक्त नहीं हुआ है, जिसमें आयात करने वाले पक्ष के सीमाशुल्क प्रशासन के द्वारा नियंत्रित बांडिड वेयर हाउस में रखा गया मूलतः उत्पादित माल भी आता है।
- 32. मामूली विसंगतियां या त्रुटियां.- कोई भी पक्ष मामूली त्रुटियों या विसंगतियों के कारण मूल प्रमाण पत्र को अस्वीकार नहीं करेगी, जैसे दस्तावेज़ों के बीच मामूली विसंगतियां, जानकारी की मामूली चूक, वर्तनी, टाइपिंग या प्रारूपण त्रुटियां, या निर्दिष्ट क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली विसंगतियां:

बशर्ते कि इन मामूली विसंगतियों या त्रुटियों के कारण माल के मूलतः उत्पादन को लेकर कोई संदेह पैदा न होता हो।

अनुबंध - क

[नियम 16 के उप-नियम (3) का खंड (घ) देखें]

न्यूनतम अपेक्षित जानकारी

1.	निर्यातक का नाम, पता और देश:	प्रम	ाणन संख्या:	पृष्ठ	ों की संख्या:		
2.	उत्पादक का नाम, पता और देश:	भा	रत-ऑस्ट्रेलिया आर्थि	क स	हयोग एवं व्यापा	र स	- म्बंधी करार
			उद्ग	्म व	न प्रमाणपत्र		
3.	आयातक या प्रेषिती का नाम, पता और देश:						
4.	परिवहन विवरण:						
5.	आइटम नंबर (आवश्यकतानुसार); चिह्न और	6.	उद्गम का मानदंड	7.	सकल वजन	8.	चालान
	संख्याएं; पैकेज की संख्या और प्रकार; वस्तु (ओं) का		(ओवरलीफ नोट		या अन्य		संख्या और

विवरण; एचएस कोड (छह अंकों का स्तर)	देखें)	मात्रा	दिनांक		
	🔲 संचयन (यदि				
	लागू हो)				
9. अभ्युक्ति: (यदि लागू हो)	10. गैर-पक्ष बीजक-प्रक्रि	ज्या का नाम, पता औ	र देश (यदि		
🖳 पूर्वव्यापी जारी किए गए	लागू हो)				
11. निर्यातक की घोषणा:	12. प्रमाणन				
मैं, अधोहस्ताक्षरी, घोषणा करता/ती हूँ कि:	किए गए नियंत्रण के आधार पर एतदद्वारा यह प्रमाणित किया				
- उपरोक्त विवरण और कथन सत्य और सटीक हैं;	जाता है कि निर्यातक द्वारा की गई घोषणा सही है।				
- ऊपर वर्णित माल इस प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए	निर्यात दस्तावेज़ की संख	या:			
अपेक्षित शर्तों को पूरा करती हैं; तथा	जारीकर्ता प्राधिकारी:				
- ऊपर वर्णित वस्तु(ओं) का उद्गम देश निम्नवत है:	[मुहर]				
स्थान और तिथि:	स्थान और तिथि:				
हस्ताक्षर:	हस्ताक्षर:				
नाम (मुद्रित):					
कंपनी:					

प्रतिपृष्ठ टिप्पणी-

- 1. निम्नलिखित मूल मानक कोड को बॉक्स 6 में भरें:
 - (i) पूर्णत: प्राप्त या उत्पादित माल जैसा कि नियम 5 में प्रावधान किया गया है, के लिए "डब्ल्यूओ"
 - (ii) ऐसा माल जो कि उत्पाद विशिष्ट नियमावली के अंतर्गत मूलत: उत्पादन की शर्त को पूरा करता हो जैसा कि नियम 3 के उपवाक्य (ख) के साथ पठित अनुबंध-ख में प्रावधान किया है:
 - (क) ऐसा माल जो कि अनुबंध-ख में "डब्ल्यूओ" के रूप में सूचीबद्ध किया है के लिए "डब्ल्यूओ ; या
 - (ख) अनुबंध-ख में सूचीबद्ध अन्य सभी प्रकार की वस्तुएँ (माल) के लिए "पीएसआर"
 - (iii) ऐसा माल जो कि नियम 4 के अंतर्गत मूलत: उत्पादन की शर्त को पूरा करता हो, "सीटीएसएच+क्यूवीसी 35 बिल्ड-अप" या ""सीटीएसएच+क्यूवीसी 45 बिल्ड-डाउन", जैसा भी मामला हो।
 - (iv) बॉक्स 6 में अर्हक मूल्य सामग्री को दर्ज करते समय '%' को इंगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- 2. बॉक्स 12 में, "निर्यात दस्तावेज़ संख्या" केवल मूलत: उत्पादन के प्रमाण पत्र के भूतलक्षी रूप से जारी करने के लिए ही लागू होगा और निम्नलिखित जानकारी दी जानी चाहिए:
 - (i) शिपिंग बिल (निर्यात घोषणा) संख्या और तारीख; या
 - (ii) बिल ऑफ लेडिंग/एयर-वे बिल संख्या और तारीख।

अनुबंध-ख

[नियम 3 का खंड (ख) देखें]

उद्गम के उत्पाद विशिष्ट नियम

खंड क अनुबंध के हेडनोट्स

- 1. इस अनुबंध के प्रयोजनों के लिए,-
 - (क) **"अध्याय"** का अर्थ है हार्मोनाइज्ड सिस्टम के तहत टैरिफ वर्गीकरण संख्या के पहले दो अंक;
 - (ख) "शीर्ष" का अर्थ हार्मोनाइज्ड सिस्टम के तहत टैरिफ वर्गीकरण संख्या के पहले चार अंक हैं;

- (ग) **"खंड"** का मतलब हार्मोनाइज्ड सिस्टम का एक हिस्सा है; तथा
- (घ) **"उप-शीर्ष"** का मतलब हार्मोनाइज्ड सिस्टम के तहत टैरिफ वर्गीकरण संख्या के पहले छह अंक हैं।
- 2. उत्पाद विशिष्ट नियम, या उत्पाद विशिष्ट नियमों का सेट, जो किसी विशेष उप-शीर्ष पर लागू होता है, उसे उप-शीर्ष के ठीक बगल में निर्धारित किया जाता है। इस अनुबंध में सूचीबद्ध नहीं किए गए सभी एचएस कोड नियम 4 के उप-नियम (1) में उल्लिखित सामान्य नियम के शर्ताधीन हैं।
- 3. टैरिफ वर्गीकरण में बदलाव की आवश्यकता केवल गैर-उद्गम सामग्रियों पर लागू होती है।
- 4. यदि किसी अध्याय, शीर्ष या उप-शीर्ष को टैरिफ वर्गीकरण नियम में बदलाव के हिस्से के रूप में बाहर रखा गया है, तो इसका मतलब है कि टैरिफ वर्गीकरण नियम में परिवर्तन को पूरा करने के लिए हो सकता है उस अध्याय, शीर्ष या उप-शीर्ष की गैर-उद्गम सामग्री का उपयोग न किया जाए। बाहर रखी गई सभी सामग्री उद्गम माल होनी चाहिएं।
- 5. जहां कोई शीर्ष या उप-शीर्ष वैकल्पिक उत्पाद विशिष्ट नियमों के शर्ताधीन है, इस अनुबंध की आवश्यकताओं को पूरा हुआ माना जाएगा यदि कोई वस्तु वैकल्पिक नियमों में से एक को पूरा करती है।
- 6. यदि कोई वस्तु उत्पाद विशिष्ट नियम के शर्ताधीन है जिसमें कई आवश्यकताएं शामिल हैं, तो इस अनुबंध की आवश्यकताओं को उस वस्तु के लिए तभी पूरा माना जाएगा यदि वह वस्तु सभी लागू आवश्यकताओं को पूरा करती है।
- 7. इस अनुबंध के खंड ख के प्रयोजनों के लिए, -
 - (क) **"डब्लूओ"** का अर्थ है कि नियम 5 के अर्थ के भीतर एक या दोनों पक्षों के क्षेत्र में वस्तु पूरी तरह से प्राप्त किया गया हो;
 - (ख) **"सीसी"** का अर्थ है कि वस्तु के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सभी गैर-उद्गम सामग्री में दो अंकों के स्तर पर टैरिफ वर्गीकरण में बदलाव आया है;
 - (ग) **"सीटीएच"** का अर्थ है कि वस्तु के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सभी गैर-उद्गम सामग्रियों में चार अंकों के स्तर पर टैरिफ वर्गीकरण में बदलाव आया है;
 - (ग) **"सीटीएसएच"** का अर्थ है कि वस्तु के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सभी गैर-उद्गम सामग्रियों में छह अंकों के स्तर पर टैरिफ वर्गीकरण में बदलाव आया है;
 - (ङ) **"क्यूवीसी (एक्स)"** का अर्थ है कि वस्तु में नियम 7 के तहत की गई गणना योग्य मूल्य सामग्री होनी चाहिए, जो बिल्ड-अप विधि या बिल्ड-डाउन विधि का उपयोग करते हुए (एक्स) प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए; तथा
 - (च) **"पिघलाना और डालना"** का अर्थ है कि उत्पाद को एक या दोनों पक्षों में पिघलाया और डाला गया हो, जिसमें कच्चे माल को पहले लोहे या स्टील बनाने वाली भट्टी में तरल अवस्था में उत्पादित किया गया हो, और फिर इसे इसके पहले ठोस आकार में डाला गया हो।

खंड ख: उत्पाद विशिष्ट नियम

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	अध्याय 1			जीवित पशु	
	1	0101		जीवित घोड़े, गधे, खच्चर और हिन्नी	
1.	1		0101.21	- घोड़े: शुद्ध नस्ल के पशु	डब्ल्यूओ
2.	1		0101.29	- घोड़े: अन्य	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	1		0101.30	- गधे	डब्ल्यूओ
4.	1		0101.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
	1	0102		जीवित गोजातीय जानवर	
5.	1		0102.21	- मवेशी: शुद्ध नस्ल के पशु	डब्ल्यूओ
6.	1		0102.29	- मवेशी: अन्य	डब्ल्यूओ
7.	1		0102.31	- भैंस: शुद्ध नस्ल के पशु	डब्ल्यूओ
8.	1		0102.39	- भैंस: अन्य	डब्ल्यूओ
9.	1		0102.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
	1	0103		जीवित सुअर	
10.	1		0103.10	शुद्ध नस्ल के पशु	डब्ल्यूओ
11.	1		0103.91	- अन्य: 50 किलो से कम वजन के	डब्ल्यूओ
12.	1		0103.92	- अन्य: 50 किलो या अधिक वजन के	डब्ल्यूओ
	1	0104		जीवित भेड़ और बकरियां	
13.	1		0104.10	- भेड़	डब्ल्यूओ
14.	1		0104.20	- बकरियां	डब्ल्यूओ
	1	0105		जीवित कुक्कुट, अर्थात् गैलस डोमेस्टिकस प्रजाति के पक्षी, बत्तख, कलहंस, टर्की और गिनी मुर्गे	
15.	1		0105.11	- 185 ग्राम से अधिक वजन के नहीं: गैलस डोमेस्टिकस प्रजाति के पक्षी	डब्ल्यूओ
16.	1		0105.12	- 185 ग्राम से अधिक वजन के नहीं:टर्की	डब्ल्यूओ
17.	1		0105.13	- 185 ग्राम से अधिक वजन के नहीं: बत्तख	डब्ल्यूओ
18.	1		0105.14	- 185 ग्राम से अधिक वजन के नहीं: कलहंस	डब्ल्यूओ
19.	1		0105.15	- 185 ग्राम से अधिक वजन के नहीं: गिनी मुर्गे	डब्ल्यूओ
20.	1		0105.94	- अन्य: गैलस डोमेस्टिकस प्रजाति के पक्षी	डब्ल्यूओ
21.	1		0105.99	- अन्य: अन्य	डब्ल्यूओ
	1	0106		अन्य जीवित पशु	
22.	1		0106.11	- स्तनधारी: प्राइमेट्स	डब्ल्यूओ
23.	1		0106.12	- स्तनधारी: व्हेल, डॉल्फ़िन और पोर्पोइज़ (सेटासिया वर्ग के स्तनधारी); मैनेटीज़ और डगोंग्स (सायरेनिया वर्ग के स्तनधारी); सील, सी लॉयंस और वालरस (पिनीपीडिया उप- वर्ग के स्तनधारी)	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24.	1		0106.13	- स्तनधारी: ऊँट और अन्य कैमेलिड (कैमेलिडी)	डब्ल्यूओ
25.	1		0106.14	- स्तनधारी: खरगोश और खरहा	डब्ल्यूओ
26.	1		0106.19	- स्तनधारी: अन्य	डब्ल्यूओ
27.	1		0106.20	- सरीसृप (सांप और कछुए सहित)	डब्ल्यूओ
28.	1		0106.31	- पक्षी: शिकार के पक्षी	डब्ल्यूओ
29.	1		0106.32	- पक्षी: सिटासीफोर्म्स (तोते, पैराकीट्स, मकोव और कॉकैटो सहित)	डब्ल्यूओ
30.	1		0106.33	- पक्षी: शुतुरमुर्ग; एमस (ड्रोमाईस नोवाहोलैंडिया)	डब्ल्यूओ
31.	1		0106.39	- पक्षी: अन्य	डब्ल्यूओ
32.	1		0106.41	- कीड़े: मधुमक्खियां	डब्ल्यूओ
33.	1		0106.49	- कीड़े: अन्य	डब्ल्यूओ
34.	1		0106.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
	2			मांस और आंतरिक अंगों का खाद्य मांस	
	2	0201		गोजातीय पशुओं का मांस, ताजा या ठंडा (चिल्ड)	
35.	2		0201.10	- शव और आधे शव	डब्ल्यूओ
36.	2		0201.20	- हड्डी सहित अन्य टुकड़े	डब्ल्यूओ
37.	2		0201.30	- हड्डीरहित	डब्ल्यूओ
	2	0202		गोजातीय पशुओं का मांस, जमा हुआ(फ्रोजन)	
38.	2		0202.10	- शव और आधे शव	डब्ल्यूओ
39.	2		0202.20	- हड्डी सहित अन्य टुकड़े	डब्ल्यूओ
40.	2		0202.30	- हड्डीरहित	डब्ल्यूओ
	2	0203		सुअर का मांस, ताजा, ठंडा या जमा हुआ	
41.	2		0203.11	- ताजा या ठंडा: - शव और आधे शव	डब्ल्यूओ
42.	2		0203.12	- ताजा या ठंडा: हड्डी सहित हैम्स, कंधे और उनके टुकड़े,	डब्ल्यूओ
43.	2		0203.19	- ताजा या ठंडा: अन्य	डब्ल्यूओ
44.	2		0203.21	- जमे हुए (फ्रोजन): - शव और आधे शव	डब्ल्यूओ
45.	2		0203.22	- जमे हुए (फ्रोजन): हड्डी सहित हैम्स, कंधे और उनके टुकड़े,	डब्ल्यूओ
46.	2		0203.29	- जमे हुए (फ्रोजन): अन्य	डब्ल्यूओ
		0204		भेड़ और बकरियों का मांस, ताजा, ठंडा या	

		टैरिफ	टैरिफ उप-		सहमत
क्र.सं.	अध्याय	शीर्ष	शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				जमा हुआ	
47.	2		0204.10	- मेमने के शव और आधे शव, ताजा या ठंडे	डब्ल्यूओ
48.	2		0204.21	- भेड़ का अन्य मांस, ताजा या ठंडा: - शव और आधे शव	डब्ल्यूओ
49.	2		0204.22	- भेड़ का अन्य मांस, ताजा या ठंडा: - हड्डी सहित अन्य टुकड़े	डब्ल्यूओ
50.	2		0204.23	- भेड़ का अन्य मांस, ताजा या ठंडा: हड्डीरहित	डब्ल्यूओ
51.	2		0204.30	- मेमने के शव और आधे शव, जमे हुए	डब्ल्यूओ
52.	2		0204.41	- भेड़ का अन्य मांस, जमा हुआ: - शव और आधे शव	डब्ल्यूओ
53.	2		0204.42	- भेड़ का अन्य मांस, जमा हुआ: - हड्डी सहित अन्य टुकड़े	डब्ल्यूओ
54.	2		0204.43	- भेड़ का अन्य मांस, जमा हुआ: हड्डीरहित	डब्ल्यूओ
55.	2		0204.50	- बकरियों का मांस	डब्ल्यूओ
	2	0205		गोजातीय पशुओं, सूअर, भेड़, बकरियों,	
				घोड़ों, गधों, खच्चरों या हिन्नी के खाने योग्य आंतरिक हिस्से, ताजा, ठंडे या जमे हुए	
56.	2		0205.00	घोड़ों, गधों, खच्चरों या हिन्नियों का मांस, ताजा, ठंडा या जमा हुआ	डब्ल्यूओ
	2	0206		गोजातीय पशुओं, सूअर, भेड़, बकरियों, घोड़ों, गधों, खच्चरों या हिन्नी के खाने योग्य आंतरिक हिस्से, ताजा, ठंडे या जमे हुए	
57.	2		0206.10	- गोजातीय पशुओं का, ताजा या ठंडा	डब्ल्यूओ
58.	2		0206.21	- गोजातीय पशुओं के, जमे हुए: जीभ	डब्ल्यूओ
59.	2		0206.22	- गोजातीय पशुओं के, जमे हुए: यकृत	डब्ल्यूओ
60.	2		0206.29	- गोजातीय पशुओं के, जमे हुए: अन्य	डब्ल्यूओ
61.	2		0206.30	- सूअर के, ताजा या ठंडा	डब्ल्यूओ
62.	2		0206.41	- सूअर के, जमे हुए: यकृत	डब्ल्यूओ
63.	2		0206.49	- सूअर के, जमे हुए: अन्य	डब्ल्यूओ
64.	2		0206.80	- अन्य, ताजा या ठंडा	डब्ल्यूओ
65.	2		0206.90	- अन्य, जमे हुए	डब्ल्यूओ
	2	0207		शीर्ष 0105 के कुक्कुट का मांस और खाद्य आंतरिक हिस्से, ताजा, ठंडा या जमा हुआ	
66.	2		0207.11	गैलस डोमेस्टिकस प्रजाति के पक्षियों के	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				टुकड़ों में नहीं कटा हुआ, ताजा या ठंडा	
67.	2		0207.12	गैलस डोमेस्टिकस प्रजाति के पक्षियों के	डब्ल्यूओ
				टुकड़ों में नहीं कटा हुआ, जमा हुआ	
68.	2		0207.13	गैलस डोमेस्टिकस प्रजाति के पक्षियों के आंतरिक हिस्से और उनके टुकड़े, ताजा या ठंडा	डब्ल्यूओ
69.	2		0207.14	गैलस डोमेस्टिकस प्रजाति के पक्षियों के आंतरिक हिस्से और उनके टुकड़े, जमे हुए	डब्ल्यूओ
70.	2		0207.24	- टर्की का: टुकड़ों में नहीं कटा हुआ, ताजा या ठंडा	डब्ल्यूओ
71.	2		0207.25	- टर्की का: टुकड़ों में नहीं कटा हुआ, जमा हुआ	डब्ल्यूओ
72.	2		0207.26	- टर्की का: आंतरिक हिस्से और उनके टुकड़े, ताजा या ठंडा	डब्ल्यूओ
73.	2		0207.27	- टर्की का: आंतरिक हिस्से और उनके टुकड़े, जमे हुए	डब्ल्यूओ
74.	2		0207.41	- बत्तखों का: टुकड़ों में नहीं कटा हुआ, ताजा या ठंडा	डब्ल्यूओ
75.	2		0207.42	- बत्तखों का: टुकड़ों में नहीं कटा हुआ, जमा हुआ	डब्ल्यूओ
76.	2		0207.43	- बत्तखों का: वसायुक्त यकृत, ताजा या ठंडा	डब्ल्यूओ
77.	2		0207.44	- बत्तखों का: अन्य, ताजा या ठंडा	डब्ल्यूओ
78.	2		0207.45	- बत्तखों का: - अन्य, जमे हुए	डब्ल्यूओ
79.	2		0207.51	- कलहंस का: टुकड़ों में नहीं कटा हुआ, ताजा या ठंडा	डब्ल्यूओ
80.	2		0207.52	- कलहंस का: टुकड़ों में नहीं कटा हुआ, जमा हुआ	डब्ल्यूओ
81.	2		0207.53	- कलहंस का: वसायुक्त यकृत, ताजा या ठंडा	डब्ल्यूओ
82.	2		0207.54	- कलहंस का: अन्य, ताजा या ठंडा	डब्ल्यूओ
83.	2		0207.55	- कलहंस का: - अन्य, जमे हुए	डब्ल्यूओ
84.	2		0207.60	- गिनी मुर्गे	डब्ल्यूओ
	2	0208		अन्य मांस और आंतरिक हिस्सों का खाने योग्य मांस, ताजा, ठंडा या जमा हुआ	
85.	2		0208.10	- खरगोश या खरहा का	डब्ल्यूओ
86.	2		0208.30	- प्राइमेट्स का	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
87.	2		0208.40	- स्तनधारी का: व्हेल, डॉल्फ़िन और पोर्पोइज़ (सेटासिया वर्ग के स्तनधारी); मैनेटीज़ और डगोंग्स (सायरेनिया वर्ग के स्तनधारी) का; सील, सी लॉयंस और वालरस (पिनीपीडिया उप-वर्ग के स्तनधारी) का	डब्ल्यूओ
88.	2		0208.50	- सरीसृप (सांप और कछुए सहित) का	डब्ल्यूओ
89.	2		0208.60	- ऊँट और अन्य कैमेलिड (कैमेलिडी) का	डब्ल्यूओ
90.	2		0208.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
	2	0209		सूअर की चर्बी, दुबले मांस से मुक्त, और कुक्कुट वसा, जो न तो तैयार किया गया और न ही निकाला गया, ताजा, ठंडा, जमा हुआ, नमकीन, खारा, सूखाया गया या स्मोक्ड	
91.	2		0209.10	- सूअरों का	डब्ल्यूओ
92.	2		0209.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
	2	0210		मांस और खाने योग्य आंतरिक हिस्सों का मांस, नमकीन, खारा, सुखाया गया या स्मोक्ड; खाद्य आटा और मांस या आंतरिक हिस्सों के मांस के खाने	
93.	2		0210.11	- सूअर का मांस: हड्डी सहित हैम्स, कंधे और उनके टुकड़े,	डब्ल्यूओ
94.	2		0210.12	- सूअर का मांस: पेट (लकीरदार) और उनके टुकड़े	डब्ल्यूओ
95.	2		0210.19	- सूअर का मांस: अन्य	डब्ल्यूओ
96.	2		0210.20	- गोजातीय पशुओं का मांस	डब्ल्यूओ
97.	2		0210.91	- अन्य, खाने योग्य आटे और मांस या आंतरिक हिस्से के मांस सहित: प्राइमेट्स का	डब्ल्यूओ
98.	2		0210.92	- अन्य, खाने योग्य आटे और मांस या आंतरिक हिस्से के मांस सहित: - स्तनधारी का: व्हेल, डॉल्फ़िन और पोर्पोइज़ (सेटासिया वर्ग के स्तनधारी); मैनेटीज़ और डगोंग्स (सायरेनिया वर्ग के स्तनधारी) का; सील, सी लॉयंस और वालरस (पिनीपीडिया उप-वर्ग के स्तनधारी) का	डब्ल्यूओ
99.	2		0210.93	- अन्य, खाने योग्य आटे और मांस या आंतरिक हिस्से के मांस सहित: - सरीसृप (सांप और कछुए सहित) का	डब्ल्यूओ
100.	2		0210.99	- अन्य, खाने योग्य आटे और मांस या	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				आंतरिक हिस्से के मांस सहित: अन्य	
	अध्याय 3			मछली और क्रस्टेशियन, मोलस्क और अन्य जलीय अकशेरूकीय	
	3	0301		जीवित मछली	
101.	3		0301.11	- सजावटी मछली: ताजा पानी	डब्ल्यूओ
102.	3		0301.19	- सजावटी मछली: अन्य	डब्ल्यूओ
103.	3		0301.91	- अन्य जीवित मछली: ट्राउट (सलमो ट्रुटा, ओंकोरहाइन्चस मायिकस, ओंकोरहाइन्चस क्लार्की, ओंकोरहाइन्चस अगुआबोनिटा, ओंकोरहाइन्चस गिले, ओंकोरहाइन्चस अपाचे और ओंकोरहाइन्चस क्राइसोगास्टर)	डब्ल्यूओ
104.	3		0301.92	- अन्य जीवित मछली: मछली (एंगुइला एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
105.	3		0301.93	- अन्य जीवित मछली: कार्प (साइप्रिनस एसपीपी., कैरासियस एसपीपी., क्टेनोफैरिंजोडोन इडेलस, हाइपोफथाल्मिचस एसपीपी., सिरिनस एसपीपी., मायलोफेरींगोडोन पाइसस, कैटला कैटला, लेबियो एसपीपी.,ओस्टियोचिलस हैसेल्टी, लेप्टोबारबस होवेनी, मेगालोब्रामा एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
106.	3		0301.94	- अन्य जीवित मछली: अटलांटिक और पैसिफ़िक ब्लूफिन ट्यूनास (थुन्नुस थेन्नुस, थुन्नुस ऑरियंटालिस)	डब्ल्यूओ
107.	3		0301.95	- अन्य जीवित मछली: सदर्न ब्लूफिन ट्यूनास (थुन्नुस मकोयि)	डब्ल्यूओ
108.	3		0301.99	- अन्य जीवित मछली: अन्य	डब्ल्यूओ
	3	0302		मछली, ताजी या ठंडी, 0304 शीर्ष वाले मछली के फिलेट्स और अन्य मछली के मांस को छोड़कर	
109.	3		0302.11	- साल्मोनिडे, उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक के मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: ट्राउट (सल्मो ट्रुटा, ओंकोरहाइन्चस मायिकस, ओंकोरहाइन्चस क्लार्की, ओंकोरहाइन्चस अगुआबोनिटा, ओंकोरहाइन्चस गिले, ओंकोरहाइन्चस अपाचे और ओंकोरहाइन्चस क्राइसोगास्टर)	डब्ल्यूओ
110.	3		0302.13	- साल्मोनिडे, उपशीर्ष 0302.91 से	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				0302.99 तक के मछिलयों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: पैसिफ़िक सैल्मन (ओंकोरहाइन्चस नेर्का, ओंकोरहाइन्चस गोरबुस्चा, ओंकोरहिन्चस केटा, ओंकोरहिन्चस त्स्चाविस्चा, ओंकोरहाइन्चस किसच, ओंकोरहिन्चस मासौ और ओंकोरहिन्चस रोडुरस)	
111.	3		0302.14	- साल्मोनिडे, उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: अटलांटिक सैल्मन (सल्मो सालार) और डेन्यूब सैल्मन (हुचो हुचो)	डब्ल्यूओ
112.	3		0302.19	- साल्मोनिडे, उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: अन्य	डब्ल्यूओ
113.	ο		0302.21	- फ्लैट मछली (प्ल्यूरोनेक्टिडे, बोथिडे, सिनोग्लोसिडे, सोलेइडे, स्कोफथालिडे और सिथारिडे), उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक की मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: हैलिबट (रीनहार्टियस हिप्पोग्लोसोइड्स, हिप्पोग्लोसस हिप्पोग्लोसस, हिप्पोग्लोसस स्टेनोलेपिस)	डब्ल्यूओ
114.	3		0302.22	- फ्लैट मछली (प्ल्यूरोनेक्टिडे, बोथिडे, सिनोग्लोसिडे, सोलेइडे, स्कोफथालिडे और सिथारिडे), उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक की मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: प्लाइस (प्ल्यूरोनेक्टेस प्लेटेसा)	डब्ल्यूओ
115.	3		0302.23	- फ्लैट मछली (प्ल्यूरोनेक्टिडे, बोथिडे, सिनोग्लोसिडे, सोलेइडे, स्कोफथालिडे और सिथारिडे), उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक की मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: सोल (सोलिया एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
116.	3		0302.24	- फ्लैट मछली (प्ल्यूरोनेक्टिडे, बोथिडे, सिनोग्लोसिडे, सोलेइडे, स्कोफथालिडे और सिथारिडे), उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक की मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: टर्बोट्स (पसेटा मैक्सिमा)	डब्ल्यूओ
117.	3		0302.29	- फ्लैट मछली (प्ल्यूरोनेक्टिडे, बोथिडे, सिनोग्लोसिडे, सोलेइडे, स्कोफथालिडे और	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				सिथारिडे), उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक की मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: अन्य	
118.	3		0302.31	- ट्यूनास (जीनस थुन्नस का), स्किपजैक या स्ट्राइप-बेलिड बोनिटो (यूथिन्नस (काट्सुवोनस) पेलामिस), उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक की मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: अल्बाकोर या लंबे पंखों वाली टूना (थुन्नुस अलालुंगा)	डब्ल्यूओ
119.	3		0302.32	- ट्यूनास (जीनस थुन्नस का), स्किपजैक या स्ट्राइप-बेलिड बोनिटो (यूथिन्नस (काट्सुवोनस) पेलामिस), उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक की मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: येलोफिन ट्यूनास (थुन्नुस अल्बाकारेस)	डब्ल्यूओ
120.	3		0302.33	- ट्यूनास (जीनस थुन्नस का), स्किपजैक या स्ट्राइप-बेलिड बोनिटो (यूथिन्नस (काट्सुवोनस) पेलामिस), उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक की मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: स्किपजैक या स्ट्राइप-बेल्ड बोनिटो	डब्ल्यूओ
121.	3		0302.34	- ट्यूनास (जीनस थुन्नस का), स्किपजैक या स्ट्राइप-बेलिड बोनिटो (यूथिन्नस (काट्सुवोनस) पेलामिस), उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक की मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: बिगआई ट्यूनास (थुन्नस ओबेसस)	डब्ल्यूओ
122.	3		0302.35	- ट्यूनास (जीनस थुन्नस का), स्किपजैक या स्ट्राइप-बेलिड बोनिटो (यूथिन्नस (काट्सुवोनस) पेलामिस), उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक की मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: अटलांटिक और पैसिफ़िक ब्लूफिन ट्यूनास (थुन्नुस थेन्नुस, थुन्नुस ऑरियंटालिस)	डब्ल्यूओ
123.	3		0302.36	- ट्यूनास (जीनस थुन्नस का), स्किपजैक या स्ट्राइप-बेलिड बोनिटो (यूथिन्नस (काट्सुवोनस) पेलामिस), उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक की मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: सदर्न ब्लूफिन	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				ट्यूनास (थुन्नुस मकोयि)	
124.	3		0302.39	- ट्यूनास (जीनस थुन्नस का), स्किपजैक या स्ट्राइप-बेलिड बोनिटो (यूथिन्नस (काट्सुवोनस) पेलामिस), उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक की मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: अन्य	डब्ल्यूओ
125.	3		0302.41	- हेरिंग्स (क्लुपिया हारेन्गस, क्लुपिया पलासी), एंकोवीज़ (एंग्रेलिस एसपीपी.), सार्डिन (सार्डिना पिल्चरडस, सार्डिनॉप्स एसपीपी.), सार्डिनेला (सार्डिनेला एसपीपी.), ब्रिसलिंग या स्प्रैटस (स्प्रैटस स्प्रैटस), मैकेरल (सॉम्बर स्कॉमब्रस, स्कोम्बर ऑस्ट्रेलिकस, स्कोम्बर जपोनिकस), भारतीय मैकेरल (रैस्ट्रेलिगर एसपीपी.), जैक और हॉर्स मैकेरल (ट्रेचुरस एसपीपी.), जैक, क्रेवल्स (कारेंक्स एसपीपी.), कोबिया (राचिसेंट्रोन कैनाडम), सिल्वर पोम्फ्रेट्स (पैम्पस एसपीपी.), पैसिफिक सॉरी (कोलोलैबिस साइरा), स्कैड्स (डिकेप्टेरस एसपीपी.), कैपेलिन (मैलोटस विलोसस), स्वोर्डफिश (ज़िफियास ग्लेडियस), कावाकावा (यूथिनस एफिनिस), बोनिटोस (सरडा एसपीपी.), मार्लिन्स, सेलफ़िश, स्पीयरफ़िश (इस्टिओफ़ोरिडे), उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक के मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: हेरिंग्स (क्लुपिया हारेन्गस, क्लुपिया पलासी)	डब्ल्यूओ
126.	3		0302.42	- हेरिंग्स (क्लुपिया हारेन्गस, क्लुपिया पलासी), एंकोवीज़ (एंग्रेलिस एसपीपी.), सार्डिन (सार्डिना पिल्चरडस, सार्डिनॉप्स एसपीपी.), सार्डिनेला (सार्डिनेला एसपीपी.), ब्रिसलिंग या स्प्रैटस (स्प्रैटस स्प्रैटस), मैकेरल (सॉम्बर स्कॉमब्रस, स्कोम्बर ऑस्ट्रेलिकस, स्कोम्बर जपोनिकस), भारतीय मैकेरल (रैस्ट्रेलिगर एसपीपी.), सीरफिश (स्कोम्बरोमोरस एसपीपी.), जैक और हॉर्स मैकेरल (ट्रेचुरस एसपीपी.), जैक, क्रेवल्स (कारेंक्स एसपीपी.), कोबिया (राचिसेंट्रोन	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				कैनाडम), सिल्वर पोम्फ्रेट्स (पैम्पस एसपीपी.), पैसिफिक सॉरी (कोलोलैबिस साइरा), स्कैड्स (डिकेप्टेरस एसपीपी.), कैपेलिन (मैलोटस विलोसस), स्वोर्डफ़िश (ज़िफ़ियास ग्लेडियस), कावाकावा (यूथिनस एफिनिस), बोनिटोस (सरडा एसपीपी.), मार्लिन्स, सेलफ़िश, स्पीयरफ़िश (इस्टिओफ़ोरिडे), उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक के मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: एंकोवीज़ (एंगरौलिस एसपीपी.)	
127.	3		0302.43	- हेरिंग्स (क्लुपिया हारेन्गस, क्लुपिया पलासी), एंकोवीज़ (एंग्रेलिस एसपीपी.), सार्डिन (सार्डिना पिल्चरडस, सार्डिनॉप्स एसपीपी.), सार्डिनेला (सार्डिनेला एसपीपी.), ब्रिसलिंग या स्प्रैटस (स्प्रैटस स्प्रैटस), मैकेरल (सॉम्बर स्कॉमब्रस, स्कोम्बर ऑस्ट्रेलिकस, स्कोम्बर जपोनिकस), भारतीय मैकेरल (रैस्ट्रेलिगर एसपीपी.), जैक और हॉर्स मैकेरल (ट्रेचुरस एसपीपी.), जैक, क्रेवल्स (कारेंक्स एसपीपी.), कोबिया (राचिसेंट्रोन कैनाडम), सिल्वर पोम्फ्रेट्स (पैम्पस एसपीपी.), पैसिफिक सॉरी (कोलोलैबिस साइरा), स्कैड्स (डिकेप्टेरस एसपीपी.), कैपेलिन (मैलोटस विलोसस), स्वोर्डफिश (ज़िफ़ियास ग्लेडियस), कावाकावा (यूथिनस एफिनिस), बोनिटोस (सरडा एसपीपी.), मार्लिन्स, सेलफ़िश, स्पीयरफ़िश (इस्टिओफ़ोरिडे), उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक के मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: सार्डिन (सार्डिना पिल्चरडस, सार्डिनोप्स एसपीपी.), सार्डिनेला (सार्डिनेला एसपीपी.), ब्रिसलिंग या स्प्रैट (स्प्रैटस स्प्रैटस)	डब्ल्यूओ
128.	3		0302.44	- हेरिंग्स (क्लुपिया हारेन्गस, क्लुपिया पलासी), एंकोवीज़ (एंग्रेलिस एसपीपी.), सार्डिन (सार्डिना पिल्चरडस, सार्डिनॉप्स एसपीपी.), सार्डिनेला (सार्डिनेला एसपीपी.), ब्रिसलिंग या स्प्रैटस (स्प्रैटस स्प्रैटस), मैकेरल	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(सॉम्बर स्कॉमब्रस, स्कोम्बर ऑस्ट्रेलिकस, स्कोम्बर जपोनिकस), भारतीय मैकेरल (रैस्ट्रेलिगर एसपीपी.), जैक और हॉर्स मैकेरल (ट्रेचुरस एसपीपी.), जैक, क्रेवल्स (कारेंक्स एसपीपी.), कोबिया (राचिसेंट्रोन कैनाडम), सिल्वर पोम्फ्रेट्स (पैम्पस एसपीपी.), पैसिफिक सॉरी (कोलोलैबिस साइरा), स्कैड्स (डिकेप्टेरस एसपीपी.), कैपेलिन (मैलोटस विलोसस), स्वोर्डफ़िश (ज़िफ़ियास ग्लेडियस), कावाकावा (यूथिनस एफिनिस), बोनिटोस (सरडा एसपीपी.), मार्लिन्स, सेलफ़िश, स्पीयरफ़िश (इस्टिओफ़ोरिडे), उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक के मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: मैकेरल (सॉम्बर स्कोम्बर, स्कोम्बर ऑस्ट्रेलियासिकस, स्कोम्बर जैपोनिकस)	
129.	3		0302.45	- हेरिंग्स (क्लुपिया हारेन्गस, क्लुपिया पलासी), एंकोवीज़ (एंग्रेलिस एसपीपी.), सार्डिन (सार्डिना पिल्चरडस, सार्डिनॉप्स एसपीपी.), सार्डिनेला (सार्डिनेला एसपीपी.), ब्रिसलिंग या स्प्रैटस (स्प्रैटस स्प्रैटस), मैकेरल (सॉम्बर स्कॉमब्रस, स्कोम्बर ऑस्ट्रेलिकस, स्कोम्बर जपोनिकस), भारतीय मैकेरल (रैस्ट्रेलिगर एसपीपी.), जैक और हॉर्स मैकेरल (ट्रेचुरस एसपीपी.), जैक और हॉर्स मैकेरल (ट्रेचुरस एसपीपी.), जैक, क्रेवल्स (कारेंक्स एसपीपी.), कोबिया (राचिसेंट्रोन कैनाडम), सिल्वर पोम्फ्रेट्स (पैम्पस एसपीपी.), पैसिफिक सॉरी (कोलोलैबिस साइरा), स्कैड्स (डिकेप्टेरस एसपीपी.), केपेलिन (मैलोटस विलोसस), स्वोर्डफ़िश (ज़िफ़ियास ग्लेडियस), कावाकावा (यूथिनस एफिनिस), बोनिटोस (सरडा एसपीपी.), मार्लिन्स, सेलफ़िश, स्पीयरफ़िश (इस्टिओफ़ोरिडे), उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक के मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: जैक और होसेमेकरैल (ट्रेचुरस एसपीपी.)	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
130.	3		0302.46	- हेरिंग्स (क्लुपिया हारेन्गस, क्लुपिया पलासी), एंकोवीज़ (एंग्रेलिस एसपीपी.), सार्डिन (सार्डिना पिल्चर इस, सार्डिनॉप्स एसपीपी.), सार्डिनेला (सार्डिनेला एसपीपी.), ब्रिसलिंग या स्प्रैटस (स्प्रैटस स्प्रैटस), मैकेरल (सॉम्बर स्कॉमब्रस, स्कोम्बर ऑस्ट्रेलिकस, स्कोम्बर जपोनिकस), भारतीय मैकेरल (रैस्ट्रेलिगर एसपीपी.), जैक और हॉर्स मैकेरल (ट्रेचुरस एसपीपी.), जैक, क्रेवल्स (कारेंक्स एसपीपी.), कोबिया (राचिसेंट्रोन कैनाडम), सिल्वर पोम्फ्रेट्स (पैम्पस एसपीपी.), पैसिफिक सॉरी (कोलोलैबिस साइरा), स्कैड्स (डिकेप्टेरस एसपीपी.), कैपेलिन (मैलोटस विलोसस), स्वोर्डफिश (जिफ़ियास ग्लेडियस), कावाकावा (यूथिनस एफिनिस), बोनिटोस (सरडा एसपीपी.), मार्लिन्स, सेलफ़िश, स्पीयरफ़िश (इस्टिओफ़ोरिडे), उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक के मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: कोबिया (राचिसेंट्रोन कैनाडम)	डब्ल्यूओ
131.	3		0302.47	- हेरिंग्स (क्लुपिया हारेन्गस, क्लुपिया पलासी), एंकोवीज़ (एंग्रेलिस एसपीपी.), सार्डिन (सार्डिना पिल्चरडस, सार्डिनॉप्स एसपीपी.), सार्डिनेला (सार्डिनेला एसपीपी.), ब्रिसलिंग या स्प्रैटस (स्प्रैटस स्प्रैटस), मैकेरल (सॉम्बर स्कॉमब्रस, स्कोम्बर ऑस्ट्रेलिकस, स्कोम्बर जपोनिकस), भारतीय मैकेरल (रैस्ट्रेलिगर एसपीपी.), जैक और हॉर्स मैकेरल (ट्रेचुरस एसपीपी.), जैक, क्रेवल्स (कारेंक्स एसपीपी.), कोबिया (राचिसेंट्रोन कैनाडम), सिल्वर पोम्फ्रेट्स (पैम्पस एसपीपी.), पैसिफिक सॉरी (कोलोलैबिस साइरा), स्कैड्स (डिकेप्टेरस एसपीपी.), कैपेलिन (मैलोटस विलोसस), स्वोर्डफ़िश (ज़िफ़ियास ग्लेडियस), कावाकावा (यूथिनस एफिनिस), बोनिटोस (सरडा एसपीपी.), मार्लिन्स, सेलफ़िश, स्पीयरफ़िश	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(इस्टिओफ़ोरिडे), उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक के मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: स्वोर्डफ़िश (ज़िफ़ियास क्लैडियस)	
132.	3		0302.49	- हेरिंग्स (क्लुपिया हारेन्गस, क्लुपिया पलासी), एंकोवीज़ (एंग्रेलिस एसपीपी.), सार्डिन (सार्डिना पिल्चरडस, सार्डिनॉप्स एसपीपी.), सार्डिनेला (सार्डिनेला एसपीपी.), ब्रिसलिंग या स्प्रैटस (स्प्रैटस स्प्रैटस), मैकेरल (सॉम्बर स्कॉमब्रस, स्कोम्बर ऑस्ट्रेलिकस, स्कोम्बर जपोनिकस), भारतीय मैकेरल (रैस्ट्रेलिगर एसपीपी.), जैक और हॉर्स मैकेरल (ट्रेचुरस एसपीपी.), जैक, क्रेवल्स (कारेंक्स एसपीपी.), कोबिया (राचिसेंट्रोन कैनाडम), सिल्वर पोम्फ्रेट्स (पैम्पस एसपीपी.), पैसिफिक सॉरी (कोलोलैबिस साइरा), स्कैड्स (डिकेप्टेरस एसपीपी.), कैपेलिन (मैलोटस विलोसस), स्वोर्डफिश (ज़िफियास ग्लेडियस), कावाकावा (यूथिनस एफिनिस), बोनिटोस (सरडा एसपीपी.), मार्लिन्स, सेलफ़िश, स्पीयरफ़िश (इस्टिओफ़ोरिडे), उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक के मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: अन्य	डब्ल्यूओ
133.	3		0302.51	ब्रेग्मासेरोटिडे, यूक्लिचथाइडे, गैडीडे, मैक्रोरिडे, मेलानोनिडे, मरलुसीडे, मोरिडे और मुराएनोलेपिडिडे परिवार की मछली, उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: कॉड (गडस मोरहुआ, गडस ओगैक, गडस मैक्रोसेफालस)	डब्ल्यूओ
134.	3		0302.52	ब्रेग्मासेरोटिडे, यूक्लिचथाइडे, गैडीडे, मैक्रोरिडे, मेलानोनिडे, मरलुसीडे, मोरिडे और मुराएनोलेपिडिडे परिवार की मछली, उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: हैडॉक (मेलानोग्रामस एग्लेफिनस)	
135.	3		0302.53	ब्रेग्मासेरोटिडे, यूक्लिचथाइडे, गैडीडे,	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				मैक्रोरिडे, मेलानोनिडे, मरलुसीडे, मोरिडे और मुराएनोलेपिडिडे परिवार की मछली, उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: कॉलफिश (पोलाकियस विरेन्स)	
136.	3		0302.54	ब्रेग्मासेरोटिडे, यूक्लिचथाइडे, गैडीडे, मैक्रोरिडे, मेलानोनिडे, मरलुसीडे, मोरिडे और मुराएनोलेपिडिडे परिवार की मछली, उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: हेक (मरलुशियस एसपीपी., यूरोफिसिस एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
137.	3		0302.55	ब्रेग्मासेरोटिडे, यूक्लिचथाइडे, गैडीडे, मैक्रोरिडे, मेलानोनिडे, मरलुसीडे, मोरिडे और मुराएनोलेपिडिडे परिवार की मछली, उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: अलास्का पोलाक (थेराग्रा चाल्कोग्रामा)	डब्ल्यूओ
138.	3		0302.56	ब्रेग्मासेरोटिडे, यूक्लिचथाइडे, गैडीडे, मैक्रोरिडे, मेलानोनिडे, मरलुसीडे, मोरिडे और मुराएनोलेपिडिडे परिवार की मछली, उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: ब्लू व्हाइटिंग्स (माइक्रोमेसिस्टियस पाउटासौ, माइक्रोमेसिस्टियस ऑस्ट्रेलिस)	डब्ल्यूओ
139.	3		0302.59	ब्रेग्मासेरोटिडे, यूक्लिचथाइडे, गैडीडे, मैक्रोरिडे, मेलानोनिडे, मरलुसीडे, मोरिडे और मुराएनोलेपिडिडे परिवार की मछली, उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: अन्य	डब्ल्यूओ
140.	3		0302.71	- तिलापियास (ओरेओक्रोमिस एसपीपी.), कैटफ़िश (पैंगेसियस एसपीपी., सिलुरस एसपीपी., क्लेरियस एसपीपी., इक्टेलुरस एसपीपी.), कार्प (साइप्रिनस एसपीपी., कैरासियस एसपीपी., क्टेनोफैरिंजोडोन आइडेलस, हाइपोफथाल्मिथिस एसपीपी., सिरिनस एसपीपी., मायलोफेरींगोडोन	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				पाइसस, कैटला कैटला, लेबियो एसपीपी., ओस्टियोचिलस हैसेल्टी, लेप्टोबारबस होवेनी, मेगालोब्रम एसपीपी.), ईल्स (एंगुइला एसपीपी.), नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और स्नेकहेड्स (चन्ना एसपीपी), उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: तिलापियास (ओरियोक्नोमिस एसपीपी.)	
141.	3		0302.72	- तिलापियास (ओरेओक्रोमिस एसपीपी.), कैटफ़िश (पैंगेसियस एसपीपी., सिलुरस एसपीपी., क्लेरियस एसपीपी., इक्टेलुरस एसपीपी.), कार्प (साइप्रिनस एसपीपी., कैरासियस एसपीपी., केरासियस एसपीपी., केरासियस एसपीपी., केरासियस एसपीपी., मायलोफेरींजोडोन आइडेलस, हाइपोफथाल्मिथिस एसपीपी., सिरिनस एसपीपी., मायलोफेरींगोडोन पाइसस, कैटला कैटला, लेबियो एसपीपी., ओस्टियोचिलस हैसेल्टी, लेप्टोबारबस होवेनी, मेगालोब्रम एसपीपी.), ईल्स (एंगुइला एसपीपी.), नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और स्नेकहेड्स (चन्ना एसपीपी), उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: कैटफ़िश (पंगेसियस एसपीपी., सिलुरस एसपीपी., क्लाटियास एसपीपी., इक्टेलुरस एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
142.	3		0302.73	- तिलापियास (ओरओक्रोमिस एसपीपी.), कैटफ़िश (पैंगेसियस एसपीपी., सिलुरस एसपीपी., क्लैरियस एसपीपी., इक्टेलुरस एसपीपी.), कार्प (साइप्रिनस एसपीपी., कैरासियस एसपीपी., क्टेनोफैरिंजोडोन आइडेलस, हाइपोफथाल्मिथिस एसपीपी., सिरिनस एसपीपी., मायलोफेरींगोडोन पाइसस, कैटला कैटला, लेबियो एसपीपी., ओस्टियोचिलस हैसेल्टी, लेप्टोबारबस होवेनी, मेगालोब्रम एसपीपी.), ईल्स (एंगुइला एसपीपी.), नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और स्नेकहेड्स (चन्ना एसपीपी), उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: कार्प (साइप्रिनस एसपीपी., कैरासियस एसपीपी., क्टेनोफैरिंजोडोन इडेलस, हाइपोफथाल्मिचिस	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				एसपीपी., सिरिनस एसपीपी., मायलोफेरींगोडोन पाइसस, कैटला कैटला, लेबियो एसपीपी.,ओस्टियोचिलस हैसेल्टी, लेप्टोबारबस होवेनी, मेगालोब्रामा एसपीपी.)	
143.	3		0302.74	- तिलापियास (ओरेओक्रोमिस एसपीपी.), कैटफ़िश (पैंगेसियस एसपीपी., सिलुरस एसपीपी., क्लैरियस एसपीपी., इक्टेलुरस एसपीपी.), कार्प (साइप्रिनस एसपीपी., कैरासियस एसपीपी., क्टेनोफैरिंजोडोन आइडेलस, हाइपोफथाल्मिथिस एसपीपी., सिरिनस एसपीपी., मायलोफेरींगोडोन पाइसस, कैटला कैटला, लेबियो एसपीपी., ओस्टियोचिलस हैसेल्टी, लेप्टोबारबस होवेनी, मेगालोब्रम एसपीपी.), ईल्स (एंगुइला एसपीपी.), नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और स्नेकहेड्स (चन्ना एसपीपी), उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: मछली (एंगुइला एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
144.	3		0302.79	- तिलापियास (ओरेओक्रोमिस एसपीपी.), कैटफ़िश (पैंगेसियस एसपीपी., सिलुरस एसपीपी., क्लेरियस एसपीपी., इक्टेलुरस एसपीपी.), कार्प (साइप्रिनस एसपीपी., कैरासियस एसपीपी., केरासियस एसपीपी., केरासियस एसपीपी., क्टेनोफैरिंजोडोन आइडेलस, हाइपोफथाल्मिथिस एसपीपी., सिरिनस एसपीपी., मायलोफेरींगोडोन पाइसस, कैटला कैटला, लेबियो एसपीपी., ओस्टियोचिलस हैसेल्टी, लेप्टोबारबस होवेनी, मेगालोब्रम एसपीपी.), ईल्स (एंगुइला एसपीपी.), नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और स्नेकहेड्स (चन्ना एसपीपी), उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: अन्य	डब्ल्यूओ
145.	3		0302.81	- अन्य मछलियां, उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक के मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: डॉगफ़िश और अन्य शार्क	डब्ल्यूओ
146.	3		0302.82	- अन्य मछलियां, उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक के मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: रेज़ एंड स्केट्स (राजिदे)	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
147.	3		0302.83	- अन्य मछलियां, उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक के मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: टूथफिश (डिसोस्टिचस एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
148.	3		0302.84	- अन्य मछलियां, उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक के मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: सीबास (डिकेंट्रार्कस एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
149.	3		0302.85	- अन्य मछलियां, उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक के मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: सीब्रीम (स्पारिडे)	डब्ल्यूओ
150.	3		0302.89	- अन्य मछलियां, उपशीर्ष 0302.91 से 0302.99 तक के मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: अन्य	डब्ल्यूओ
151.	3		0302.91	- यकृत, रो, मिल्ट, फिश फिन्स, सिर, पूंछ, मॉव्स और मछलियों के अन्य खाद्य आंतरिक हिस्से: यकृत, रो और मिल्ट	डब्ल्यूओ
152.	3		0302.92	- यकृत, रो, मिल्ट, फिश फिन्स, सिर, पूंछ, मॉव्स और मछलियों के अन्य खाद्य आंतरिक हिस्से: शार्क के फिंस	डब्ल्यूओ
153.	3		0302.99	- यकृत, रो, मिल्ट, फिश फिन्स, सिर, पूंछ, मॉव्स और मछलियों के अन्य खाद्य आंतरिक हिस्से: अन्य	• •
	3	0303		मछली, जमी हुई, शीर्ष 0304 की मछली के फिलेट्स और अन्य मछली के मांस को छोड़कर	
154.	3		0303.11	- साल्मोनिडे, उपशीर्ष 0303.91 से 0302.99 तक की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: सॉकी सैल्मन (रेड सैल्मन) (ओंकोरहाइन्चस नेर्का)	डब्ल्यूओ
155.	3		0303.12	- साल्मोनिडे, उपशीर्ष 0303.91 से 0302.99 तक की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: अन्य पैसिफ़िक सैल्मन (ओकोरहाइन्चस गोर्बुस्चा, ओंकोरहाइन्चस केटा, ओंकोरहिन्चस त्शावित्स्चा, ओंकोरथिन्चस किसच, ओंकोरथिन्चस मासौ और ओंकोरहिन्चस रोडुरस)	डब्ल्यूओ
156.	3		0303.13	- साल्मोनिडे, उपशीर्ष 0303.91 से	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				0303.99 तक की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: अटलांटिक सैल्मन (सल्मो सालार) और डेन्यूब सैल्मन (हुचो हुचो)	
157.	3		0303.14	- साल्मोनिडे, उपशीर्ष 0303.91 से 0302.99 तक की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: ट्राउट (सल्मो ट्रट्स, ओंकोरहाइन्चस मायिकस, ओंकोरहाइन्चस क्लार्की, ओंकोरहाइन्चस अगुआबोनिटा, ओंकोरहाइन्चस गिले, ओंकोरहाइन्चस अपाचे और ओंकोरहाइन्चस क्राइसोगास्टर)	डब्ल्यूओ
158.	3		0303.19	- साल्मोनिडे, उपशीर्ष 0303.91 से 0302.99 तक की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: अन्य	डब्ल्यूओ
159.	3		0303.23	- तिलापियास (ओरेओक्रोमिस एसपीपी.), कैटफ़िश (पैंगेसियस एसपीपी., सिलुरस एसपीपी., क्लैरियस एसपीपी., इक्टेलुरस एसपीपी.), कार्प (साइप्रिनस एसपीपी., कैरासियस एसपीपी., केरासियस एसपीपी., केरासियस एसपीपी., क्टेनोफैरिंजोडोन आइडेलस, हाइपोफथाल्मिथिस एसपीपी., सिरिनस एसपीपी., मायलोफेरींगोडोन पाइसस, कैटला कैटला, लेबियो एसपीपी., ओस्टियोचिलस हैसेल्टी, लेप्टोबारबस होवेनी, मेगालोब्रम एसपीपी.), ईल्स (एंगुइला एसपीपी.), नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और स्नेकहेड्स (चन्ना एसपीपी), उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: तिलापियास (ओरियोक्रोमिस एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
160.	3		0303.24	- तिलापियास (ओरेओक्रोमिस एसपीपी.), कैटफ़िश (पैंगेसियस एसपीपी., सिलुरस एसपीपी., क्लेरियस एसपीपी., इक्टेलुरस एसपीपी.), कार्प (साइप्रिनस एसपीपी., कैरासियस एसपीपी., क्टेनोफैरिंजोडोन आइडेलस, हाइपोफथाल्मिथिस एसपीपी., सिरिनस एसपीपी., मायलोफेरींगोडोन पाइसस, कैटला कैटला, लेबियो एसपीपी., ओस्टियोचिलस हैसेल्टी, लेप्टोबारबस होवेनी,	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				मेगालोब्रम एसपीपी.), ईल्स (एंगुइला एसपीपी.), नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और स्नेकहेड्स (चन्ना एसपीपी), उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: कैटफ़िश (पंगेसियस एसपीपी., सिलुरस एसपीपी., क्लाटियास एसपीपी., इक्टेलुरस एसपीपी.)	
161.	3		0303.25	- तिलापियास (ओरेओक्रोमिस एसपीपी.), कैटफ़िश (पैंगेसियस एसपीपी., सिलुरस एसपीपी., क्लेरियस एसपीपी., इक्टेलुरस एसपीपी.), कार्प (साइप्रिनस एसपीपी., कैरासियस एसपीपी., केरासियस एसपीपी., केरासियस एसपीपी., केरासियस एसपीपी., मायलोफेरींजोडोन आइडेलस, हाइपोफथाल्मिथिस एसपीपी., सिरिनस एसपीपी., मायलोफेरींगोडोन पाइसस, कैटला कैटला, लेबियो एसपीपी., ओस्टियोचिलस हैसेल्टी, लेप्टोबारबस होवेनी, मेगालोब्रम एसपीपी.), ईल्स (एंगुइला एसपीपी.), नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और स्नेकहेड्स (चन्ना एसपीपी), उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: कार्प (साइप्रिनस एसपीपी., कैरासियस एसपीपी., क्टेनोफैरिंजोडोन इडेलस, हाइपोफथाल्मिचिस एसपीपी., सिरिनस एसपीपी., मायलोफेरींगोडोन पाइसस, कैटला कैटला, लेबियो एसपीपी.,ओस्टियोचिलस हैसेल्टी, लेप्टोबारबस होवेनी, मेगालोब्रामा एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
162.	3		0303.26	- तिलापियास (ओरेओक्रोमिस एसपीपी.), कैटफ़िश (पैंगेसियस एसपीपी., सिलुरस एसपीपी., क्लैरियस एसपीपी., इक्टेलुरस एसपीपी.), कार्प (साइप्रिनस एसपीपी., कैरासियस एसपीपी., क्टेनोफैरिंजोडोन आइडेलस, हाइपोफथाल्मिथिस एसपीपी., सिरिनस एसपीपी., मायलोफेरींगोडोन पाइसस, कैटला कैटला, लेबियो एसपीपी., ओस्टियोचिलस हैसेल्टी, लेप्टोबारबस होवेनी, मेगालोब्रम एसपीपी.), ईल्स (एंगुइला एसपीपी.), नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और स्नेकहेड्स (चन्ना एसपीपी), उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 की मछलियों के	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: मछली (एंगुइला एसपीपी.)	
163.	3		0303.29	- तिलापियास (ओरेओक्रोमिस एसपीपी.), कैटफ़िश (पैंगेसियस एसपीपी., सिलुरस एसपीपी., क्लैरियस एसपीपी., इक्टेलुरस एसपीपी.), कार्प (साइप्रिनस एसपीपी., कैरासियस एसपीपी., क्टेनोफैरिंजोडोन आइडेलस, हाइपोफथाल्मिथिस एसपीपी., सिरिनस एसपीपी., मायलोफेरींगोडोन पाइसस, कैटला कैटला, लेबियो एसपीपी., ओस्टियोचिलस हैसेल्टी, लेप्टोबारबस होवेनी, मेगालोब्रम एसपीपी.), ईल्स (एंगुइला एसपीपी.), नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और स्रेकहेड्स (चन्ना एसपीपी), उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: अन्य	डब्ल्यूओ
164.	3		0303.31	- फ्लैट मछली (प्ल्यूरोनेक्टिडे, बोथिडे, सिनोग्लोसिडे, सोलेइडे, स्कोफथालिडे और सिथारिडे), उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक की मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: हैलिबट (रीनहार्टियस हिप्पोग्लोसोइड्स, हिप्पोग्लोसस हिप्पोग्लोसस, हिप्पोग्लोसस स्टेनोलेपिस)	डब्ल्यूओ
165.	3		0303.32	- फ्लैट मछली (प्ल्यूरोनेक्टिडे, बोथिडे, सिनोग्लोसिडे, सोलेइडे, स्कोफथालिडे और सिथारिडे), उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक की मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: प्लाइस (प्ल्यूरोनेक्टेस प्लेटेसा)	डब्ल्यूओ
166.	3		0303.33	- फ्लैट मछली (प्ल्यूरोनेक्टिडे, बोथिडे, सिनोग्लोसिडे, सोलेइडे, स्कोफथालिडे और सिथारिडे), उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक की मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: सोल (सोलिया एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
167.	3		0303.34	- फ्लैट मछली (प्ल्यूरोनेक्टिडे, बोथिडे, सिनोग्लोसिडे, सोलेइडे, स्कोफथालिडे और सिथारिडे), उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक की मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: टर्बोट्स (पसेटा मैक्सिमा)	
168.	3		0303.39	- फ्लैट मछली (प्ल्यूरोनेक्टिडे, बोथिडे,	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				सिनोग्लोसिडे, सोलेइडे, स्कोफथालिडे और सिथारिडे), उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक की मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: अन्य	
169.	3		0303.41	- ट्यूनास (जीनस थुन्नस का), स्किपजैक या स्ट्राइप-बेलिड बोनिटो (यूथिन्नस (काट्सुवोनस) पेलामिस), उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक की मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: अल्बाकोर या लंबे पंखों वाली टूना (थुन्नुस अलालुंगा)	डब्ल्यूओ
170.	3		0303.42	- ट्यूनास (जीनस थुन्नस का), स्किपजैक या स्ट्राइप-बेलिड बोनिटो (यूथिन्नस (काट्सुवोनस) पेलामिस), उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक की मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: येलोफिन ट्यूनास (थुन्नुस अल्बाकारेस)	डब्ल्यूओ
171.	3		0303.43	- ट्यूनास (जीनस थुन्नस का), स्किपजैक या स्ट्राइप-बेलिड बोनिटो (यूथिन्नस (काट्सुवोनस) पेलामिस), उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक की मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: स्किपजैक या स्ट्राइप-बेल्ड बोनिटो	डब्ल्यूओ
172.	3		0303.44	- ट्यूनास (जीनस थुन्नस का), स्किपजैक या स्ट्राइप-बेलिड बोनिटो (यूथिन्नस (काट्सुवोनस) पेलामिस), उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक की मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: बिगआई ट्यूनास (थुन्नस ओबेसस)	डब्ल्यूओ
173.	3		0303.45	- ट्यूनास (जीनस थुन्नस का), स्किपजैक या स्ट्राइप-बेलिड बोनिटो (यूथिन्नस (काट्सुवोनस) पेलामिस), उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक की मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: अटलांटिक और पैसिफ़िक ब्लूफिन ट्यूनास (थुन्नुस थेन्नुस, थुन्नुस ऑरियंटालिस)	डब्ल्यूओ
174.	3		0303.46	- ट्यूनास (जीनस थुन्नस का), स्किपजैक या स्ट्राइप-बेलिड बोनिटो (यूथिन्नस (काट्सुवोनस) पेलामिस), उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक की मछली के खाद्य	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: सदर्न ब्लूफिन ट्यूनास (थुन्नुस मकोयि)	
175.	3		0303.49	- ट्यूनास (जीनस थुन्नस का), स्किपजैक या स्ट्राइप-बेलिड बोनिटो (यूथिन्नस (काट्सुवोनस) पेलामिस), उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक की मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: अन्य	डब्ल्यूओ
176.	3		0303.51	- हेरिंग्स (क्लुपिया हारेन्गस, क्लुपिया पलासी), एंकोवीज़ (एंग्रेलिस एसपीपी.), सार्डिन (सार्डिना पिल्चरडस, सार्डिनॉप्स एसपीपी.), सार्डिनेला (सार्डिनेला एसपीपी.), ब्रिसलिंग या स्प्रैटस (स्प्रैटस स्प्रैटस), मैकेरल (सॉम्बर स्कॉमब्रस, स्कोम्बर ऑस्ट्रेलिकस, स्कोम्बर जपोनिकस), भारतीय मैकेरल (रैस्ट्रेलिगर एसपीपी.), जैक और हॉर्स मैकेरल (ट्रेचुरस एसपीपी.), जैक, क्रेवल्स (कारेंक्स एसपीपी.), कोबिया (राचिसेंट्रोन कैनाडम), सिल्वर पोम्फ्रेट्स (पैम्पस एसपीपी.), पैसिफिक सॉरी (कोलोलैबिस साइरा), स्कैड्स (डिकेप्टेरस एसपीपी.), कैपेलिन (मैलोटस विलोसस), स्वोर्डफ़िश (ज़िफ़ियास ग्लेडियस), कावाकावा (यूथिनस एफिनिस), बोनिटोस (सरडा एसपीपी.), मार्लिन्स, सेलफ़िश, स्पीयरफ़िश (इस्टिओफ़ोरिडे), उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक के मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: हेरिंग्स (क्लुपिया हारेन्गस, क्लुपिया पलासी)	डब्ल्यूओ
177.	3		0303.53	- हेरिंग्स (क्लुपिया हारेन्गस, क्लुपिया पलासी), एंकोवीज़ (एंग्रेलिस एसपीपी.), सार्डिन (सार्डिना पिल्चरडस, सार्डिनॉप्स एसपीपी.), सार्डिनेला (सार्डिनेला एसपीपी.), ब्रिसलिंग या स्प्रैटस (स्प्रैटस स्प्रैटस), मैकेरल (सॉम्बर स्कॉमब्रस, स्कोम्बर ऑस्ट्रेलिकस, स्कोम्बर जपोनिकस), भारतीय मैकेरल (रैस्ट्रेलिगर एसपीपी.), सीरिफश (स्कोम्बरोमोरस एसपीपी.), जैक और हॉर्स मैकेरल (ट्रेचुरस एसपीपी.), जैक, क्रेवल्स	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(कारेंक्स एसपीपी.), कोबिया (राचिसेंट्रोन कैनाडम), सिल्वर पोम्फ्रेट्स (पैम्पस एसपीपी.), पैसिफिक सॉरी (कोलोलैबिस साइरा), स्कैड्स (डिकेप्टेरस एसपीपी.), कैपेलिन (मैलोटस विलोसस), स्वोर्डफ़िश (ज़िफ़ियास ग्लेडियस), कावाकावा (यूथिनस एफिनिस), बोनिटोस (सरडा एसपीपी.), मार्लिन्स, सेलफ़िश, स्पीयरफ़िश (इस्टिओफ़ोरिडे), उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक के मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: सार्डिन (सार्डिना पिल्चरडस, सार्डिनोप्स एसपीपी.), सार्डिनेला (सार्डिनेला एसपीपी.), ब्रिसलिंग या स्प्रैट (स्प्रैटस स्प्रैटस)	
178.	3		0303.54	- हेरिंग्स (क्लुपिया हारेन्गस, क्लुपिया पलासी), एंकोवीज़ (एंग्रेलिस एसपीपी.), सार्डिन (सार्डिना पिल्चरडस, सार्डिनॉप्स एसपीपी.), सार्डिनेला (सार्डिनेला एसपीपी.), ब्रिसलिंग या स्प्रैटस (स्प्रैटस स्प्रैटस), मैकेरल (सॉम्बर स्कॉमब्रस, स्कोम्बर ऑस्ट्रेलिकस, स्कोम्बर जपोनिकस), भारतीय मैकेरल (रैस्ट्रेलिगर एसपीपी.), जैक और हॉर्स मैकेरल (ट्रेचुरस एसपीपी.), जैक, क्रेवल्स (कारेंक्स एसपीपी.), कोबिया (राचिसेंट्रोन कैनाडम), सिल्वर पोम्फ्रेट्स (पैम्पस एसपीपी.), पैसिफिक सॉरी (कोलोलैबिस साइरा), स्कैड्स (डिकेप्टेरस एसपीपी.), कैपेलिन (मैलोटस विलोसस), स्वोर्डफ़िश (ज़िफ़ियास ग्लेडियस), कावाकावा (यूथिनस एफिनिस), बोनिटोस (सरडा एसपीपी.), मार्लिन्स, सेलफ़िश, स्पीयरफ़िश (इस्टिओफ़ोरिडे), उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक के मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: मैकेरल (सॉम्बर स्कोम्बर, स्कोम्बर जैपोनिकस)	डब्ल्यूओ
179.	3		0303.55	- हेरिंग्स (क्लुपिया हारेन्गस, क्लुपिया पलासी), एंकोवीज़ (एंग्रेलिस एसपीपी.), सार्डिन (सार्डिना पिल्चरडस, सार्डिनॉप्स	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				एसपीपी.), सार्डिनेला (सार्डिनेला एसपीपी.), ब्रिसलिंग या स्प्रैटस (स्प्रैटस स्प्रैटस), मैकेरल (सॉम्बर स्कॉमब्रस, स्कोम्बर ऑस्ट्रेलिकस, स्कोम्बर जपोनिकस), भारतीय मैकेरल (रैस्ट्रेलिगर एसपीपी.), जैक और हॉर्स मैकेरल (ट्रेचुरस एसपीपी.), जैक, क्रेवल्स (कारेंक्स एसपीपी.), जैक, क्रेवल्स (कारेंक्स एसपीपी.), कोबिया (राचिसेंट्रोन कैनाडम), सिल्वर पोम्फ्रेट्स (पैम्पस एसपीपी.), पैसिफिक सॉरी (कोलोलैबिस साइरा), स्कैड्स (डिकेप्टेरस एसपीपी.), कैपेलिन (मैलोटस विलोसस), स्वोर्डफ़िश (ज़िफ़ियास ग्लेडियस), कावाकावा (यूथिनस एफिनिस), बोनिटोस (सरडा एसपीपी.), मार्लिन्स, सेलफ़िश, स्पीयरफ़िश (इस्टिओफ़ोरिडे), उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक के मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: जैक और होसेमेकरैर (ट्रेचुरस एसपीपी.)	
180.	3		0303.56	- हेरिंग्स (क्लुपिया हारेन्गस, क्लुपिया पलासी), एंकोवीज़ (एंग्रेलिस एसपीपी.), सार्डिन (सार्डिना पिल्चरडस, सार्डिनॉप्स एसपीपी.), सार्डिनेला (सार्डिनेला एसपीपी.), ब्रिसलिंग या स्प्रैटस (स्प्रैटस स्प्रैटस), मैंकेरल (सॉम्बर स्कॉमब्रस, स्कोम्बर ऑस्ट्रेलिकस, स्कोम्बर जपोनिकस), भारतीय मैंकेरल (रैस्ट्रेलिगर एसपीपी.), जैक और हॉर्स मैंकेरल (ट्रेचुरस एसपीपी.), जैक, क्रेवल्स (कारेंक्स एसपीपी.), कोबिया (राचिसेंट्रोन कैनाडम), सिल्वर पोम्फ्रेट्स (पैम्पस एसपीपी.), पैसिफिक सॉरी (कोलोलैबिस साइरा), स्कैड्स (डिकेप्टेरस एसपीपी.), कैपेलिन (मैलोटस विलोसस), स्वोर्डफिश (ज़िफ़ियास ग्लेडियस), कावाकावा (यूथिनस एफिनिस), बोनिटोस (सरडा एसपीपी.), मार्लिन्स, सेलफ़िश, स्पीयरफ़िश (इस्टिओफ़ोरिडे), उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक के मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: कोबिया (राचिसेंट्रोन	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				कैनाडम)	
181.	3		0303.57	- हेरिंग्स (क्लुपिया हारेन्गस, क्लुपिया पलासी), एंकोवीज़ (एंग्रेलिस एसपीपी.), सार्डिन (सार्डिना पिल्चरडस, सार्डिनॉप्स एसपीपी.), सार्डिनेला (सार्डिनेला एसपीपी.), ब्रिसलिंग या स्प्रैटस (स्प्रैटस स्प्रैटस), मैंकेरल (सॉम्बर स्कॉमब्रस, स्कोम्बर ऑस्ट्रेलिकस, स्कोम्बर जपोनिकस), भारतीय मैंकेरल (रैस्ट्रेलिगर एसपीपी.), जैक और हॉर्स मैंकेरल (ट्रेचुरस एसपीपी.), जैक, क्रेवल्स (कारेंक्स एसपीपी.), कोबिया (राचिसेंट्रोन कैनाडम), सिल्वर पोम्फ्रेट्स (पैम्पस एसपीपी.), पैसिफिक सॉरी (कोलोलैबिस साइरा), स्कैड्स (डिकेप्टेरस एसपीपी.), कैपेलिन (मैलोटस विलोसस), स्वोर्डफिश (ज़िफ़ियास ग्लेडियस), कावाकावा (यूथिनस एफिनिस), बोनिटोस (सरडा एसपीपी.), मार्लिन्स, सेलफ़िश, स्पीयरफ़िश (इस्टिओफ़ोरिडे), उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक के मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: स्वोर्डफ़िश (ज़िफ़ियास ग्लेडियस)	डब्ल्यूओ
182.	3		0303.59	- हेरिंग्स (क्लुपिया हारेन्गस, क्लुपिया पलासी), एंकोवीज़ (एंग्रेलिस एसपीपी.), सार्डिन (सार्डिना पिल्चरडस, सार्डिनॉप्स एसपीपी.), सार्डिनेला (सार्डिनेला एसपीपी.), ब्रिसलिंग या स्प्रैटस (स्प्रैटस स्प्रैटस), मैकेरल (सॉम्बर स्कॉमब्रस, स्कोम्बर ऑस्ट्रेलिकस, स्कोम्बर जपोनिकस), भारतीय मैकेरल (रैस्ट्रेलिगर एसपीपी.), जैक और हॉर्स मैकेरल (ट्रेचुरस एसपीपी.), जैक, क्रेवल्स (कारेंक्स एसपीपी.), कोबिया (राचिसेंट्रोन कैनाडम), सिल्वर पोम्फ्रेट्स (पैम्पस एसपीपी.), पैसिफिक सॉरी (कोलोलैबिस साइरा), स्कैड्स (डिकेप्टेरस एसपीपी.), कैपेलिन (मैलोटस विलोसस), स्वोर्डफ़िश (ज़िफ़ियास ग्लेडियस), कावाकावा (यूथिनस एफिनिस), बोनिटोस (सरडा एसपीपी.),	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				मार्लिन्स, सेलफ़िश, स्पीयरफ़िश (इस्टिओफ़ोरिडे), उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक के मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: अन्य	
183.	3		0303.63	ब्रेग्मासेरोटिडे, यूक्लिचथाइडे, गैडीडे, मैक्रोरिडे, मेलानोनिडे, मरलुसीडे, मोरिडे और मुराएनोलेपिडिडे परिवार की मछली, उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: कॉड (गडस मोरहुआ, गडस ओगैक, गडस मैक्रोसेफालस)	डब्ल्यूओ
184.	3		0303.64	ब्रेग्मासेरोटिडे, यूक्लिचथाइडे, गैडीडे, मैक्रोरिडे, मेलानोनिडे, मरलुसीडे, मोरिडे और मुराएनोलेपिडिडे परिवार की मछली, उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: हैडॉक (मेलानोग्रामस एग्लेफिनस)	डब्ल्यूओ
185.	3		0303.65	ब्रेग्मासेरोटिडे, यूक्लिचथाइडे, गैडीडे, मैक्रोरिडे, मेलानोनिडे, मरलुसीडे, मोरिडे और मुराएनोलेपिडिडे परिवार की मछली, उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: कॉलिफेश (पोलाकियस विरेन्स)	डब्ल्यूओ
186.	3		0303.66	ब्रेग्मासेरोटिडे, यूक्लिचथाइडे, गैडीडे, मैक्रोरिडे, मेलानोनिडे, मरलुसीडे, मोरिडे और मुराएनोलेपिडिडे परिवार की मछली, उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: हेक (मरलुशियस एसपीपी., यूरोफिसिस एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
187.	3		0303.67	ब्रेग्मासेरोटिडे, यूक्लिचथाइडे, गैडीडे, मैक्रोरिडे, मेलानोनिडे, मरलुसीडे, मोरिडे और मुराएनोलेपिडिडे परिवार की मछली, उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: अलास्का पोलाक (थेराग्रा चाल्कोग्रामा)	डब्ल्यूओ
188.	3		0303.68	ब्रेग्मासेरोटिडे, यूक्लिचथाइडे, गैडीडे, मैक्रोरिडे, मेलानोनिडे, मरलुसीडे, मोरिडे और	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				मुराएनोलेपिडिडे परिवार की मछली, उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: ब्लू व्हाइटिंग्स (माइक्रोमेसिस्टियस पाउटासौ, माइक्रोमेसिस्टियस ऑस्ट्रेलिस)	
189.	3		0303.69	ब्रेग्मासेरोटिडे, यूक्लिचथाइडे, गैडीडे, मैक्रोरिडे, मेलानोनिडे, मरलुसीडे, मोरिडे और मुराएनोलेपिडिडे परिवार की मछली, उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक की मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: अन्य	डब्ल्यूओ
190.	3		0303.81	- अन्य मछलियां, उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक के मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: डॉगफ़िश और अन्य शार्क	डब्ल्यूओ
191.	3		0303.82	- अन्य मछलियां, उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक के मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: रेज़ एंड स्केट्स (राजिदे)	डब्ल्यूओ
192.	3		0303.83	- अन्य मछलियां, उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक के मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: टूथिफश (डिसोस्टिचस एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
193.	3		0303.84	- अन्य मछलियां, उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक के मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: सीबास (डिकेंट्रार्कस एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
194.	3		0303.89	- अन्य मछलियां, उपशीर्ष 0303.91 से 0303.99 तक के मछलियों के खाद्य आंतरिक हिस्सों को छोड़कर: अन्य	डब्ल्यूओ
195.	3		0303.91	- यकृत, रो, मिल्ट, फिश फिन्स, सिर, पूंछ, मॉव्स और मछलियों के अन्य खाद्य आंतरिक हिस्से: यकृत, रो और मिल्ट	डब्ल्यूओ
196.	3		0303.92	- यकृत, रो, मिल्ट, फिश फिन्स, सिर, पूंछ, मॉव्स और मछलियों के अन्य खाद्य आंतरिक हिस्से: शार्क के फिंस	डब्ल्यूओ
197.	3		0303.99	- यकृत, रो, मिल्ट, फिश फिन्स, सिर, पूंछ, मॉव्स और मछलियों के अन्य खाद्य आंतरिक हिस्से: अन्य	डब्ल्यूओ
	3	0304		मछली के फिल्लेट्स और मछली का अन्य	

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				मास (चाहे कीमा बनाया हुआ हो या नहीं), ताजा, ठंडा या जमा हुआ	
198.	3		0304.31	- तिलापियास (ओरेओक्कोमिस एसपीपी.), कैटफ़िश (पैंगेसियस एसपीपी., सिलुरस एसपीपी., क्लैरियस एसपीपी., इक्टेलुरस एसपीपी.), कार्प (साइप्रिनस एसपीपी., कैरासियस एसपीपी., क्टेनोफैरिंजोडोन आइडेलस, हाइपोफथाल्मिथिस एसपीपी., सिरिनस एसपीपी., मायलोफेरींगोडोन पाइसस, कैटला कैटला, लेबियो एसपीपी., ओस्टियोचिलस हैसेल्टी, लेप्टोबारबस होवेनी, मेगालोब्रम एसपीपी.), ईल्स (एंगुइला एसपीपी.), नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और स्नेकहेड्स (चन्ना एसपीपी) के ताजा अथवा ठंडे फिल्लेट्स: तिलापियास (ओरियोक्नोमिस एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
199.	3		0304.32	- तिलापियास (ओरेओक्रोमिस एसपीपी.), कैटफ़िश (पैंगेसियस एसपीपी., सिलुरस एसपीपी., क्लेरियस एसपीपी., इक्टेलुरस एसपीपी.), कार्प (साइप्रिनस एसपीपी., कैरासियस एसपीपी., केरासियस एसपीपी., केरासियस एसपीपी., क्टेनोफैरिंजोडोन आइडेलस, हाइपोफथाल्मिथिस एसपीपी., सिरिनस एसपीपी., मायलोफेरींगोडोन पाइसस, कैटला कैटला, लेबियो एसपीपी., ओस्टियोचिलस हैसेल्टी, लेप्टोबारबस होवेनी, मेगालोब्रम एसपीपी.), ईल्स (एंगुइला एसपीपी.), नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और स्नेकहेड्स (चन्ना एसपीपी) के ताजा अथवा ठंडे फिल्लेट्स: कैटफ़िश (पंगेसियस एसपीपी., स्लेरस एसपीपी., इक्टेलुरस एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
200.	3		0304.33	- तिलापियास (ओरेओक्रोमिस एसपीपी.), कैटफ़िश (पैंगेसियस एसपीपी., सिलुरस एसपीपी., क्लेरियस एसपीपी., इक्टेलुरस एसपीपी.), कार्प (साइप्रिनस एसपीपी., कैरासियस एसपीपी., क्टेनोफैरिंजोडोन आइडेलस, हाइपोफथाल्मिथिस एसपीपी., सिरिनस एसपीपी., मायलोफेरींगोडोन पाइसस, कैटला कैटला, लेबियो एसपीपी.,	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				ओस्टियोचिलस हैसेल्टी, लेप्टोबारबस होवेनी, मेगालोब्रम एसपीपी.), ईल्स (एंगुइला एसपीपी.), नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और स्नेकहेड्स (चन्ना एसपीपी) के ताजा अथवा ठंडे फिल्लेट्स: नील पर्च (लेट्स नीलोटिकस)	
201.	3		0304.39	- तिलापियास (ओरेओक्रोमिस एसपीपी.), कैटफ़िश (पैंगेसियस एसपीपी., सिलुरस एसपीपी., क्लैरियस एसपीपी., इक्टेलुरस एसपीपी.), कार्प (साइप्रिनस एसपीपी., कैरासियस एसपीपी., क्टेनोफैरिंजोडोन आइडेलस, हाइपोफथाल्मिथिस एसपीपी., सिरिनस एसपीपी., मायलोफेरींगोडोन पाइसस, कैटला कैटला, लेबियो एसपीपी., ओस्टियोचिलस हैसेल्टी, लेप्टोबारबस होवेनी, मेगालोब्रम एसपीपी.), ईल्स (एंगुइला एसपीपी.), नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और स्नेकहेड्स (चन्ना एसपीपी) के ताजा अथवा ठंडे फिल्लेट्स: अन्य	सीसी
202.	3		0304.41	-अन्य मछिलयों के ताजा या ठंडे फिल्लेट्स: पैसिफ़िक सैल्मन (ओंकोरहाइन्चस नेर्का, ओंकोरहाइन्चस गोरबुस्चा, ओंकोरहाइन्चस केटा, ओंकोरहाइन्चस त्शावित्स्चा, ओंकोरिहन्चस किसच, ओंकोरहाइन्चस मासौ और ओंकोरहाइन्चस रोडुरस), अटलांटिक सैल्मन (सलमो सालार) और डेन्यूब सैल्मन (हुचोहुचो)	डब्ल्यूओ
203.	3		0304.42	- अन्य मछिलयों के ताजा या ठंडे फिल्लेट्स: ट्राउट (सलमो ट्रुटा, ओंकोरहाइन्चस मायिकस, ओंकोरहाइन्चस क्लार्की, ओंकोरहाइन्चस अगुआबोनिटा, ओंकोरहाइन्चस गिले, ओंकोरहाइन्चस अपाचे और ओंकोरहाइन्चस क्राइसोगास्टर)	डब्ल्यूओ
204.	3		0304.43	- अन्य मछिलयों के ताजा या ठंडे फिल्लेट्स: फ्लैट मछिली (प्ल्यूरोनेक्टिडे, बोथिडे, साइनोग्लोसिडे, सोलेइडे, स्कोफथालिडे और सिथारिडे)	डब्ल्यूओ
205.	3		0304.44	- अन्य मछलियों के ताजा या ठंडे फिल्लेट्स: ब्रेग्मासेरोटिडे, यूक्लिचथाइडे, गैडीडे, मैक्रोरिडे, मेलानोनिडे, मरलुसीडे, मोरिडे और	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				मुराएनोलेपिडिडे परिवार की मछलियां	
206.	3		0304.45	- अन्य मछलियों के ताजा या ठंडे फिल्लेट्स: स्वोर्डफ़िश (ज़िफ़ियास ग्लैडियस)	डब्ल्यूओ
207.	3		0304.46	- अन्य मछलियों के ताजा या ठंडे फिल्लेट्स: टूथफिश (डिसोस्टिचस एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
208.	3		0304.47	- अन्य मछलियों के ताजा या ठंडे फिल्लेट्स: डॉगफ़िश और अन्य शार्क	सीसी
209.	3		0304.48	- अन्य मछलियों के ताजा या ठंडे फिल्लेट्स: रेज़ एंड स्केट्स (राजिदे)	सीसी
210.	3		0304.49	- अन्य मछलियों के ताजा या ठंडे फिल्लेट्स: अन्य	सीसी
211.	3		0304.51	- अन्य, ताजा या ठंडा - तिलापियास (ओरेओक्रोमिस एसपीपी.), कैटफ़िश (पैंगेसियस एसपीपी., सिलुरस एसपीपी., क्लैरियस एसपीपी., इक्टेलुरस एसपीपी.), कार्प (साइप्रिनस एसपीपी., कैरासियस एसपीपी., क्टेनोफैरिंजोडोन आइडेलस, हाइपोफथाल्मिथिस एसपीपी., सिरिनस एसपीपी., मायलोफेरींगोडोन पाइसस, कैटला कैटला, लेबियो एसपीपी., ओस्टियोचिलस हैसेल्टी, लेप्टोबारबस होवेनी, मेगालोब्रम एसपीपी.), ईल्स (एंगुइला एसपीपी.), नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और स्नेकहेड्स (चन्ना एसपीपी)	सीसी
212.	3		0304.52	- अन्य, ताजा या ठंडा सैल्मोनिडे	सीसी
213.	3		0304.53	- अन्य, ताजा या ठंडा ब्रेग्मासेरोटिडे, यूक्लिचथाइडे, गैडीडे, मैक्रोरिडे, मेलानोनिडे, मरलुसीडे, मोरिडे और मुराएनोलेपिडिडे परिवार की मछलियां	सीसी
214.	3		0304.54	- अन्य, ताजा या ठंडा स्वोर्डफ़िश (ज़िफ़ियास ग्लैडियस)	सीसी
215.	3		0304.55	- अन्य, ताजा या ठंडा टूथफिश (डिसोस्टिचस एसपीपी.)	सीसी
216.	3		0304.56	- अन्य, ताजा या ठंडा डॉगफ़िश और अन्य शार्क	डब्ल्यूओ
217.	3		0304.57	- अन्य, ताजा या ठंडा रेज़ एंड स्केट्स (राजिदे)	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
218.	3		0304.59	- अन्य, ताजा या ठंडा अन्य	सीसी
219.	3		0304.61	- तिलापियास (ओरेओक्रोमिस एसपीपी.), कैटफ़िश (पैंगेसियस एसपीपी., सिलुरस एसपीपी., क्लेरियस एसपीपी., इक्टेलुरस एसपीपी.), कार्प (साइप्रिनस एसपीपी., कैरासियस एसपीपी., केरासियस एसपीपी., केरासियस एसपीपी., केरासियस एसपीपी., मायलोफेरींजोडोन आइडेलस, हाइपोफथाल्मिथिस एसपीपी., सिरिनस एसपीपी., मायलोफेरींगोडोन पाइसस, कैटला कैटला, लेबियो एसपीपी., ओस्टियोचिलस हैसेल्टी, लेप्टोबारबस होवेनी, मेगालोब्रम एसपीपी.), ईल्स (एंगुइला एसपीपी.), नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और स्नेकहेड्स (चन्ना एसपीपी) के जमे हुए फिल्लेट्स: तिलापियास (ओरियोक्रोमिस एसपीपी.)	सीसी
220.	3		0304.62	- तिलापियास (ओरेओक्रोमिस एसपीपी.), कैटफ़िश (पैंगेसियस एसपीपी., सिलुरस एसपीपी., क्लैरियस एसपीपी., इक्टेलुरस एसपीपी.), कार्प (साइप्रिनस एसपीपी., कैरासियस एसपीपी., क्टेनोफैरिंजोडोन आइडेलस, हाइपोफथाल्मिथिस एसपीपी., सिरिनस एसपीपी., मायलोफेरींगोडोन पाइसस, कैटला कैटला, लेबियो एसपीपी., ओस्टियोचिलस हैसेल्टी, लेप्टोबारबस होवेनी, मेगालोब्रम एसपीपी.), ईल्स (एंगुइला एसपीपी.), नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और स्नेकहेड्स (चन्ना एसपीपी) के जमे हुए फिल्लेट्स: कैटफ़िश (पंगेसियस एसपीपी., सिलुरस एसपीपी., क्लाटियास एसपीपी., इक्टेलुरस एसपीपी.)	सीसी
221.	3		0304.63	- तिलापियास (ओरेओक्रोमिस एसपीपी.), कैटफ़िश (पैंगेसियस एसपीपी., सिलुरस एसपीपी., क्लैरियस एसपीपी., इक्टेलुरस एसपीपी.), कार्प (साइप्रिनस एसपीपी., कैरासियस एसपीपी., क्टेनोफैरिंजोडोन आइडेलस, हाइपोफथाल्मिथिस एसपीपी., सिरिनस एसपीपी., मायलोफेरींगोडोन पाइसस, कैटला कैटला, लेबियो एसपीपी., ओस्टियोचिलस हैसेल्टी, लेप्टोबारबस होवेनी,	सीसी

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				मेगालोब्रम एसपीपी.), ईल्स (एंगुइला एसपीपी.), नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और स्नेकहेड्स (चन्ना एसपीपी) के जमे हुए फिल्लेट्स: नील पर्च (लेट्स नीलोटिकस)	
222.	3		0304.69	- तिलापियास (ओरेओक्रोमिस एसपीपी.), कैटफ़िश (पैंगेसियस एसपीपी., सिलुरस एसपीपी., क्लैरियस एसपीपी., इक्टेलुरस एसपीपी.), कार्प (साइप्रिनस एसपीपी., कैरासियस एसपीपी., क्टेनोफैरिंजोडोन आइडेलस, हाइपोफथाल्मिथिस एसपीपी., सिरिनस एसपीपी., मायलोफेरींगोडोन पाइसस, कैटला कैटला, लेबियो एसपीपी., ओस्टियोचिलस हैसेल्टी, लेप्टोबारबस होवेनी, मेगालोब्रम एसपीपी.), ईल्स (एंगुइला एसपीपी.), नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और स्नेकहेड्स (चन्ना एसपीपी) के जमे हुए फिल्लेट्स: अन्य	सीसी
223.	3		0304.71	- ब्रेग्मासेरोटिडे, यूक्लिचथाइडे, गैडीडे, मैक्रोरिडे, मेलानोनिडे, मरलुसीडे, मोरिडे और मुराएनोलेपिडिडे परिवार की मछलियों के जमे हुए फिल्लेट्स: कॉड (गडस मोरहुआ, गडस ओगैक, गडस मैक्रोसेफालस)	सीसी
224.	3		0304.72	- ब्रेग्मासेरोटिडे, यूक्लिचथाइडे, गैडीडे, मैक्रोरिडे, मेलानोनिडे, मरलुसीडे, मोरिडे और मुराएनोलेपिडिडे परिवार की मछलियों के जमे हुए फिल्लेट्स: हैडॉक (मेलानोग्रामस एग्लेफिनस)	सीसी
225.	3		0304.73	- ब्रेग्मासेरोटिडे, यूक्लिचथाइडे, गैडीडे, मैक्रोरिडे, मेलानोनिडे, मरलुसीडे, मोरिडे और मुराएनोलेपिडिडे परिवार की मछलियों के जमे हुए फिल्लेट्स: कॉलफिश (पोलाकियस विरेन्स)	सीसी
226.	3		0304.74	- ब्रेग्मासेरोटिडे, यूक्लिचथाइडे, गैडीडे, मैक्रोरिडे, मेलानोनिडे, मरलुसीडे, मोरिडे और मुराएनोलेपिडिडे परिवार की मछलियों के जमे हुए फिल्लेट्स: हेक (मरलुशियस एसपीपी., यूरोफिसिस एसपीपी.)	सीसी
227.	3		0304.75	- ब्रेग्मासेरोटिडे, यूक्लिचथाइडे, गैडीडे, मैक्रोरिडे, मेलानोनिडे, मरलुसीडे, मोरिडे और	सीसी

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(-)	(0)	(')	मुराएनोलेपिडिडे परिवार की मछलियों के जमे हुए फिल्लेट्स: अलास्का पोलाक (थेराग्रा चाल्कोग्रामा)	(4)
228.	3		0304.79	- ब्रेग्मासेरोटिडे, यूक्लिचथाइडे, गैडीडे, मैक्रोरिडे, मेलानोनिडे, मरलुसीडे, मोरिडे और मुराएनोलेपिडिडे परिवार की मछलियों के जमे हुए फिल्लेट्स: की	सीसी
229.	3		0304.81	-अन्य मछिलयों के जमे हुए फ़िललेट्स: पैसिफ़िक सैल्मन (ओंकोरहाइन्चस नेर्का, ओंकोरहाइन्चस गोरबुस्चा, ओंकोरहाइन्चस केटा, ओंकोरहाइन्चस ल्शावित्स्चा, ओंकोरिहन्चस किसच, ओंकोरहाइन्चस मासौ और ओंकोरहाइन्चस रोडुरस), अटलांटिक सैल्मन (सलमो सालार) और डेन्यूब सैल्मन (हुचोहुचो)	सीसी
230.	3		0304.82	-अन्य मछिलयों के जमे हुए फ़िललेट्स: ट्राउट (सलमो ट्रुटा, ओंकोरहाइन्चस मायिकस, ओंकोरहाइन्चस क्लार्की, ओंकोरहाइन्चस अगुआबोनिटा, ओंकोरहाइन्चस गिले, ओंकोरहाइन्चस अपाचे और ओंकोरहाइन्चस क्राइसोगास्टर)	सीसी
231.	3		0304.83	-अन्य मछिलियों के जमे हुए फ़िललेट्स: फ्लैट मछिली (प्ल्यूरोनेक्टिडे, बोथिडे, साइनोग्लोसिडे, सोलेइडे, स्कोफथालिडे और सिथारिडे)	सीसी
232.	3		0304.84	-अन्य मछलियों के जमे हुए फ़िललेट्स: स्वोर्डफ़िश (ज़िफ़ियास ग्लैडियस)	सीसी
233.	3		0304.85	-अन्य मछलियों के जमे हुए फ़िललेट्स: टूथफिश (डिसोस्टिचस एसपीपी.)	सीसी
234.	3		0304.86	-अन्य मछलियों के जमे हुए फ़िललेट्स: हेरिंग्स (क्लुपिया हारेन्गस, क्लुपिया पलासी)	सीसी
235.	3		0304.87	-अन्य मछिलयों के जमे हुए फ़िललेट्स: ट्यूनास (जीनस थुन्नस का), स्किपजैक या स्ट्राइप-बेल्ड बोनिटो (यूथिन्नस (काट्सुवोनस) पेलामिस)	सीसी
236.	3		0304.88	-अन्य मछलियों के जमे हुए फ़िललेट्स: डॉगफ़िश, अन्य शार्क, रेज़ और स्केट्स (राजिदे)	सीसी

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
237.	3		0304.89	-अन्य मछलियों के जमे हुए फ़िललेट्स: अन्य	सीसी
238.	3		0304.91	-अन्य, जमे हुए: स्वोर्डफ़िश (ज़िफ़ियास ग्लैडियस)	सीसी
239.	3		0304.92	-अन्य, जमे हुए: टूथफिश (डिसोस्टिचस एसपीपी.)	सीसी
240	3		0304.93	-अन्य, जमे हुए: - तिलापियास (ओरेओक्रोमिस एसपीपी.), कैटफिश (पैंगेसियस एसपीपी., सिलुरस एसपीपी., क्लैरियस एसपीपी., इक्टेलुरस एसपीपी.), कार्प (साइप्रिनस एसपीपी., कैरासियस एसपीपी., क्टेनोफैरिंजोडोन आइडेलस, हाइपोफथाल्मिथिस एसपीपी., सिरिनस एसपीपी., मायलोफेरींगोडोन पाइसस, कैटला कैटला, लेबियो एसपीपी., ओस्टियोचिलस हैसेल्टी, लेप्टोबारबस होवेनी, मेगालोब्रम एसपीपी.), ईल्स (एंगुइला एसपीपी.), नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और स्नेकहेड्स (चन्ना एसपीपी)	सीसी
241.	3		0304.94	-अन्य, जमे हुए: अलास्का पोलाक (थेराग्रा चाल्कोग्रामा)	सीसी
242.	3		0304.95	-अन्य, जमे हुए: अलास्का पोलाक (थेराग्रा चाल्कोग्रामा) के अलावा, ब्रेग्मासेरोटिडे, यूक्लिचथाइडे, गैडीडे, मैक्रोरिडे, मेलानोनिडे, मरलुसीडे, मोरिडे और मुराएनोलेपिडिडे परिवार की मछलियां	सीसी
243.	3		0304.96	- अन्य, जमे हुए: डॉगफ़िश और अन्य शार्क	सीसी
244.	3		0304.97	- अन्य, जमे हुए: रेज़ एंड स्केट्स (राजिदे)	सीसी
245.	3		0304.99	- अन्य, जमे हुए: अन्य	सीसी
	3	0305		मछली, सूखाई हुई, नमकीन या खारी; स्मोक्ड फिश, चाहे स्मोकिंग प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान पकाई गई हो या नहीं; मछली का आटा, भोजन और पेल्लेट्स, मानव उपभोग के लिए उपयुक्त	
246.	3		0305.10	- मछली का आटा, भोजन और पेल्लेट्स, मानव उपभोग के लिए उपयुक्त	सीसी
247.	3		0305.20	- मछली के यकृत, रो और मिल्ट, सूखाए हुए, स्मोक्ड, नमकीन या खारे	सीसी

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
248.	3		0305.31	- मछली के फिल्लेट्स, सूखाए हुए, नमकीन या खारे, लेकिन स्मोक्ड नहीं: - तिलापियास (ओरेओक्रोमिस एसपीपी.), कैटफ़िश (पैंगेसियस एसपीपी., सिलुरस एसपीपी.), कर्लैरियस एसपीपी., इक्टेलुरस एसपीपी.), कार्प (साइप्रिनस एसपीपी., कैरासियस एसपीपी., क्टेनोफैरिंजोडोन आइडेलस, हाइपोफथाल्मिथिस एसपीपी., सिरिनस एसपीपी., मायलोफेरींगोडोन पाइसस, कैटला कैटला, लेबियो एसपीपी., ओस्टियोचिलस हैसेल्टी, लेप्टोबारबस होवेनी, मेगालोब्रम एसपीपी.), ईल्स (एंगुइला एसपीपी.), नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और स्नेकहेड्स (चन्ना एसपीपी)	सीसी
249.	3		0305.32	- मछली के फिल्लेट्स, सूखाए हुए, नमकीन या खारे, लेकिन स्मोक्ड नहीं: ब्रेग्मासेरोटिडे, यूक्लिचथाइडे, गैडीडे, मैक्रोरिडे, मेलानोनिडे, मरलुसीडे, मोरिडे और मुराएनोलेपिडिडे परिवार की मछलियां	सीसी
250.	3		0305.39	- मछली के फिल्लेट्स, सूखाए हुए, नमकीन या खारे, लेकिन स्मोक्ड नहीं: अन्य	सीसी
251.	3		0305.41	- स्मोक्ड फिश, फ़िल्लेट्स सहित, मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों के अलावा: पैसिफ़िक सैल्मन (ओंकोरहाइन्चस नेर्का, ओंकोरहाइन्चस गोरबुस्चा, ओंकोरहाइन्चस केटा, ओंकोरहाइन्चस त्शावित्स्चा, ओंकोरहिन्चस किसच, ओंकोरहाइन्चस मासौ और ओंकोरहाइन्चस रोडुरस), अटलांटिक सैल्मन (सलमो सालार) और डेन्यूब सैल्मन (हुचोहुचो)	सीसी
252.	3		0305.42	- स्मोक्ड फिश, फ़िल्लेट्स सहित, मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों के अलावा: हेरिंग्स (क्लुपिया हारेन्गस, क्लुपिया पलासी)	सीसी
253.	3		0305.43	- स्मोक्ड मछली, फ़िल्लेट्स सहित, मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों के अलावा: ट्राउट (सलमो ट्रुटा, ओंकोरहाइन्चस मायिकस, ओंकोरहाइन्चस क्लार्की, ओंकोरहाइन्चस अगुआबोनिटा, ओंकोरहाइन्चस गिले, ओंकोरहाइन्चस अपाचे और ओंकोरहाइन्चस	सीसी

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				क्राइसोगास्टर)	
254.	3		0305.44	- स्मोक्ड फिश, फ़िल्लेट्स सहित, मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों के अलावा: - तिलापियास (ओरेओक्रोमिस एसपीपी.), कैटफ़िश (पैंगेसियस एसपीपी., सिलुरस एसपीपी., क्लैरियस एसपीपी., इक्टेलुरस एसपीपी.), कार्प (साइप्रिनस एसपीपी., कैरासियस एसपीपी., केरासियस एसपीपी., केरासियस एसपीपी., केरासियस एसपीपी., मायलोफेरींजोडोन आइडेलस, हाइपोफथाल्मिथिस एसपीपी., सिरिनस एसपीपी., मायलोफेरींगोडोन पाइसस, कैटला कैटला, लेबियो एसपीपी., ओस्टियोचिलस हैसेल्टी, लेप्टोबारबस होवेनी, मेगालोब्रम एसपीपी.), ईल्स (एंगुइला एसपीपी.), नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और स्नेकहेड्स (चन्ना एसपीपी)	सीसी
255.	3		0305.49	- स्मोक्ड फिश, फ़िल्लेट्स सहित, मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों के अलावा: अन्य	सीसी
256.	3		0305.51	- सुखाई हुई मछली, मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों के अलावा, चाहे नमकीन हो या नहीं लेकिन स्मोक्ड नहीं: कॉड (गडस मोरहुआ, गडस ओगैक, गडस मैक्रोसेफालस)	सीसी
257.	3		0305.52	'- सुखाई हुई मछली, मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों के अलावा, चाहे नमकीन हो या नहीं लेकिन स्मोक्ड नहीं: - तिलापियास (ओरेओक्रोमिस एसपीपी.), कैटफ़िश (पैंगेसियस एसपीपी., सिलुरस एसपीपी., क्लैरियस एसपीपी., इक्टेलुरस एसपीपी.), कार्प (साइप्रिनस एसपीपी., कैरासियस एसपीपी., क्टेनोफैरिंजोडोन आइडेलस, हाइपोफथाल्मिथिस एसपीपी., सिरिनस एसपीपी., मायलोफेरींगोडोन पाइसस, कैटला कैटला, लेबियो एसपीपी., ओस्टियोचिलस हैसेल्टी, लेप्टोबारबस होवेनी, मेगालोब्रम एसपीपी.), ईल्स (एंगुइला एसपीपी.), नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और स्नेकहेड्स (चन्ना एसपीपी)	सीसी
258.	3		0305.53	'- सुखाई हुई मछली, मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों के अलावा, चाहे नमकीन हो या नहीं लेकिन स्मोक्ड नहीं: कॉड (गडस	सीसी

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				मोरहुआ, गडस ओगैक, गडस मैक्रोसेफालस) के अलावा ब्रेगमसेरोटिडे, यूक्लिचथाइडे, गैडीडे, मैक्रोरिडे, मेलानोनिडे, मरलुसीडे, मोरिडे और मुराएनोलेपिडिडे परिवार की मछलियां	
259.	3		0305.54	'- सुखाई हुई मछली, मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों के अलावा, चाहे नमकीन हो या नहीं लेकिन स्मोक्ड नहीं: हेरिंग्स (क्लुपिया हारेन्गस, क्लुपिया पलासी), एंकोवीज़ (एंग्रेलिस एसपीपी.), सार्डिन (सार्डिना पिल्चरडस, सार्डिनॉप्स एसपीपी.), सार्डिनेला (सार्डिनेला एसपीपी.), ब्रिसलिंग या स्प्रैटस (स्प्रैटस स्प्रैटस), मैकेरल (सॉम्बर स्कॉमब्रस, स्कोम्बर ऑस्ट्रेलिकस, स्कोम्बर जपोनिकस), भारतीय मैकेरल (रैस्ट्रेलिगर एसपीपी.), जैक और हॉर्स मैकेरल (ट्रेचुरस एसपीपी.), जैक और हॉर्स मैकेरल (ट्रेचुरस एसपीपी.), जैक, क्रेवल्स (कारेंक्स एसपीपी.), कोबिया (राचिसेंट्रोन कैनाडम), सिल्वर पोम्फ्रेट्स (पैम्पस एसपीपी.), पैसिफिक सॉरी (कोलोलैबिस साइरा), स्कैड्स (डिकेप्टेरस एसपीपी.), कैपेलिन (मैलोटस विलोसस), स्वोर्डफ़िश (ज़िफ़ियास ग्लेडियस), कावाकावा (यूथिनस एफिनिस), बोनिटोस (सरडा एसपीपी.), मार्लिन्स, सेलफ़िश, स्पीयरफ़िश (इस्टिओफ़ोरिडे)	सीसी
260.	3		0305.59	- सुखाई हुई मछली, मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों के अलावा, चाहे नमकीन हो या नहीं लेकिन स्मोक्ड नहीं: अन्य	सीसी
261.	3		0305.61	- मछली, नमकीन लेकिन सूखाई हुई या स्मोक्ड नहीं और खारी मछली, मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों के अलावा अन्य: हेरिंग्स (क्लुपिया हारेन्गस, क्लुपिया पलासी)	सीसी
262.	3		0305.62	- मछली, नमकीन लेकिन सूखाई हुई या स्मोक्ड नहीं और खारी मछली, मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों के अलावा अन्य: कॉड (गडस मोरहुआ, गडस ओगैक, गडस मैक्रोसेफालस)	सीसी
263.	3		0305.63	- मछली, नमकीन लेकिन सूखाई हुई या	सीसी

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				स्मोक्ड नहीं और खारी मछली, मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों के अलावा अन्य: एंकोवीज़ (एंगरौलिस एसपीपी.)	
264.	3		0305.64	- मछली, नमकीन लेकिन सूखाई हुई या स्मोक्ड नहीं और खारी मछली, मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों के अलावा अन्य: - तिलापियास (ओरेओक्रोमिस एसपीपी.), कैटफ़िश (पैंगेसियस एसपीपी., सिलुरस एसपीपी., क्लैरियस एसपीपी., इक्टेलुरस एसपीपी.), कार्प (साइप्रिनस एसपीपी., कैरासियस एसपीपी., केरासियस एसपीपी., केरासियस एसपीपी., केरासियस एसपीपी., मायलोफेरींगोडोन आइडेलस, हाइपोफथाल्मिथिस एसपीपी., सिरिनस एसपीपी., मायलोफेरींगोडोन पाइसस, कैटला कैटला, लेबियो एसपीपी., ओस्टियोचिलस हैसेल्टी, लेप्टोबारबस होवेनी, मेगालोब्रम एसपीपी.), ईल्स (एंगुइला एसपीपी.), नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और स्नेकहेड्स (चन्ना एसपीपी)	सीसी
265.	3		0305.69	- मछली, नमकीन लेकिन सूखाई हुई या स्मोक्ड नहीं और खारी मछली, मछली के खाद्य आंतरिक हिस्सों के अलावा अन्य: अन्य	सीसी
266.	3		0305.72	- फिश फिन्स, सिर, पूंछ, मॉव्स और मछलियों के अन्य खाद्य आंतरिक हिस्से: मछली के सिर, पूंछ और मॉव्स	सीसी
267.	3		0305.79	- फिश फिन्स, सिर, पूंछ, मॉव्स और मछलियों के अन्य खाद्य आंतरिक हिस्से: अन्य	सीसी
	3	0306		क्रस्टेशियंस, चाहे खोल में हो या नहीं, जीवित, ताजा, ठंडे, जमे हुए, सुखाए हुए, नमकीन या खारे; स्मोक्ड क्रस्टेशियन, चाहे खोल में हो या नहीं, स्मोर्किंग प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान पकाए गए हों या नहीं; क्रस्टेशियंस, खोल में, भाप से या पानी में उबालकर पकाए हुए, चाहे ठंडे, जमे हुए, सुखाए हुए, नमकीन या खारे; क्रस्टेशियंस के आटे, भोजन और पेल्लेट्स, मानव उपभोग के लिए उपयुक्त	
268.	3		0306.11	- जमे हुए (फ्रोजन): रॉक लॉबस्टर और अन्य समुद्री क्रॉफिश (पैलिनुरस एसपीपी., पैनुलिरस एसपीपी., जसस एसपीपी.)	सीसी

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
269.	3		0306.12	- जमे हुए (फ्रोजन): लॉबस्टर (होमरस एसपीपी.)	सीसी
270.	3		0306.14	- जमे हुए (फ्रोजन): केकड़े	सीसी
271.	3		0306.15	- जमे हुए (फ्रोजन): नॉर्वे लॉबस्टर्स (नेफ्रोप्स नॉर्वेजिकस)	सीसी
272.	3		0306.16	- जमे हुए: ठंडे पानी के श्रिम्प्स और प्रॉन्स (पंडालस एसपीपी., क्रैंगन क्रैंगन)	सीसी
273.	3		0306.17	- जमे हुए: अन्य श्रिम्प्स और प्रॉन्स	सीसी
274.	3		0306.31	- जीवित, ताजा या ठंडे: रॉक लॉबस्टर और अन्य समुद्री क्रॉफिश (पैलिनुरस एसपीपी., पैनुलिरस एसपीपी., जसस एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
275.	3		0306.32	- जीवित, ताजा या ठंडे: लॉबस्टर (होमरस एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
276.	3		0306.33	- जीवित, ताजा या ठंडे: केकड़े	डब्ल्यूओ
277.	3		0306.34	- जीवित, ताजा या ठंडे: नॉर्वे लॉबस्टर्स (नेफ्रोप्स नॉर्वेजिकस)	डब्ल्यूओ
278.	3		0306.35	- जीवित, ताजा या ठंडे: ठंडे पानी के श्रिम्प्स और प्रॉन्स (पंडालस एसपीपी., क्रैंगन क्रैंगन)	डब्ल्यूओ
279.	3		0306.36	- जीवित, ताजा या ठंडे: अन्य श्रिम्प्स और प्रॉन्स	डब्ल्यूओ
280.	3		0306.39	- जीवित, ताजा या ठंडे: अन्य, मछली के आटे, भोजन और पेल्लेट्स सहित, मानव उपभोग के लिए उपयुक्त	डब्ल्यूओ
281.	3		0306.91	- अन्य: रॉक लॉबस्टर और अन्य समुद्री क्रॉफिश (पैलिनुरस एसपीपी., पैनुलिरस एसपीपी., जसस एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
282.	3		0306.92	- अन्य: लॉबस्टर (होमरस एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
283.	3		0306.93	- अन्य: केकड़े	डब्ल्यूओ
284.	3		0306.94	- अन्य: नॉर्वे लॉबस्टर्स (नेफ्रोप्स नॉर्वेजिकस)	डब्ल्यूओ
285.	3		0306.95	- अन्य: श्रिम्प्स और प्रॉन्स	डब्ल्यूओ
	3	0307		मोलस्क, चाहे खोल में हो या नहीं, जीवित, ताजा, ठंडा, जमे हुए, सुखाए हुए, नमकीन या खारे; स्मोक्ड मोलस्क, चाहे खो में हो या नहीं, चाहे स्मोर्किंग प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान पकाए गए हों या नहीं; मोलस्क का आटा, भोजन और पेल्लेट्स, मानव उपभोग के	

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				लिए उपयुक्त	
286.	3		0307.11	- सीप: जीवित, ताजा या ठंडे	सीसी
287.	3		0307.12	- सीप: फ्रोज़ेन	सीसी
288.	3		0307.19	- सीप: अन्य	सीसी
289.	3		0307.21	- जेनेरा पेक्टेन, क्लैमी या प्लाकोपेक्टेन की क्वीन स्कैलप्स सहित स्कैलप्स; लाइव, ताजा या ठंडा	सीसी
290.	3		0307.22	- जेनेरा पेक्टेन, क्लैमी या प्लाकोपेक्टेन की क्वीन स्कैलप्स सहित स्कैलप्स; फ्रोज़ेन	सीसी
291.	3		0307.29	- जेनेरा पेक्टेन, क्लैमी या प्लाकोपेक्टेन की क्वीन स्कैलप्स सहित स्कैलप्स; अन्य	सीसी
292.	3		0307.31	- मसल्स (मायटिलस एसपीपी., पेरना एसपीपी.): लाइव, ताजा या ठंडा	सीसी
293.	3		0307.32	- मसल्स (मायटिलस एसपीपी., पेरना एसपीपी.): फ्रोज़ेन	सीसी
294.	3		0307.39	- मसल्स (मायटिलस एसपीपी., पेरना एसपीपी.): अन्य	सीसी
295.	3		0307.42	- कटल फिश और स्क्वीड: लाइव, ताजा या ठंडा	सीसी
296.	3		0307.43	- कटल फिश और स्क्वीड: फ्रोज़ेन	सीसी
297.	3		0307.49	- कटल फिश और स्क्वीड: अन्य	सीसी
298.	3		0307.51	- ऑक्टोपस (ऑक्टोपस एसपीपी.): लाइव, ताजा या ठंडा	सीसी
299.	3		0307.52	- ऑक्टोपस (ऑक्टोपस एसपीपी.): फ्रोज़ेन	सीसी
300.	3		0307.59	- ऑक्टोपस (ऑक्टोपस एसपीपी.): अन्य	सीसी
301.	3		0307.60	- घोंघे, समुद्री घोंघे के अलावा	सीसी
302.	3		0307.71	- क्लैम्स, कॉकल्स और आर्क शेल्स (आर्किडे, आर्कटिकिडे, कार्डिडे, डोनासिडे, हाइटेलिडे, मैक्ट्रिड, मेसोडेस्मेटिडे, माइइडे, सेमेलिडे, सोलेकुर्टिडे, सोलेनिडे, ट्रिडाकनिडे और वेनेरिडे परिवार): जीवित, ताजा या ठंडे	सीसी
303.	3		0307.72	- क्लैम्स, कॉकल्स और आर्क शेल्स (आर्किडे, आर्किटिकिडे, कार्डिडे, डोनासिडे, हाइटेलिडे, मैक्ट्रिड, मेसोडेस्मेटिडे, माइइडे, सेमेलिडे, सोलेकुर्टिडे, सोलेनिडे, ट्रिडाकनिडे और वेनेरिडे परिवार): फ्रोज़ेन	सीसी

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
304.	3		0307.79	- क्लैम्स, कॉकल्स और आर्क शेल्स (आर्किडे, आर्कटिकिडे, कार्डिडे, डोनासिडे, हाइटेलिडे, मैक्ट्रिड, मेसोडेस्मेटिडे, माइइडे, सेमेलिडे, सोलेकुर्टिडे, सोलेनिडे, ट्रिडाकनिडे और वेनेरिडे परिवार): अन्य	सीसी
305.	3		0307.81	- अबालोन (हैलियोटिस एसपीपी.) और स्ट्रोमबॉइड शंख (स्ट्रोमबस एसपीपी.): जीवित, ताज़ा या ठंडा ऐबालोन (हैलियोटिस एसपीपी.)	सीसी
306.	3		0307.82	- अबालोन (हैलियोटिस एसपीपी.) और स्ट्रोमबॉइड शंख (स्ट्रोमबस एसपीपी.): जीवित, ताज़ा या ठंडे स्ट्रोमबॉइड शंख (स्ट्रोमबस एसपीपी.)	सीसी
307.	3		0307.83	- अबालोन (हैलियोटिस एसपीपी.) और स्ट्रोमबॉइड शंख (स्ट्रोमबस एसपीपी.): जमे हुए अबालोन (हैलियोटिस एसपीपी.)	सीसी
308.	3		0307.84	- अबालोन (हैलियोटिस एसपीपी.) और स्ट्रोमबॉइड शंख (स्ट्रोमबस एसपीपी.): जमे हुए स्ट्रोमबॉइड शंख (स्ट्रोमबस एसपीपी.)	सीसी
309.	3		0307.87	- अबालोन (हैलियोटिस एसपीपी.) और स्ट्रोमबॉइड शंख (स्ट्रोमबस एसपीपी.): अन्य अबालोन (हैलियोटिस एसपीपी.)	सीसी
310.	3		0307.88	- अबालोन (हैलियोटिस एसपीपी.) और स्ट्रोमबॉइड शंख (स्ट्रोमबस एसपीपी.): अन्य स्ट्रोमबॉइड शंख (स्ट्रोमबस एसपीपी.)	सीसी
311.	3		0307.91	अन्य, आटे, भोजन और पेल्लेट्स सहित, मानव उपभोग के लिए उपयुक्त लाइव, ताजा या ठंडा	सीसी
312.	3		0307.92	अन्य, आटे, भोजन और पेल्लेट्स सहित, मानव उपभोग के लिए उपयुक्त फ्रोज़ेन	सीसी
313.	3		0307.99	अन्य, आटे, भोजन और पेल्लेट्स सहित, मानव उपभोग के लिए उपयुक्त अन्य	सीसी
	3	0308		क्रस्टेशियंस और मोलस्क के अलावा जलीय अकशेरूकीय, जीवित, ताजा, ठंडे, जमे हुए, सुखाए हुए, नमकीन या खारे; क्रस्टेशियंस और मोलस्क के अलावा स्मोक्ड जलीय अकशेरूकीय, चाहे स्मोक्ड प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान पकाए गए हों या नहीं;	

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				क्रस्टेशियंस और मोलस्क के अलावा जलीय अकशेरूकीय के आटे, भोजन और पेल्लेट्स, मानव उपभोग के लिए उपयुक्त	
314.	3		0308.11	- समुद्री खीरे (स्टिचोपस जैपोनिकस, होलोथुरोइडिया): जीवित, ताजा या ठंडे	सीसी
315.	3		0308.12	- समुद्री खीरे (स्टिचोपस जपोनिकस, होलोथुरोइडिया): फ्रोज़ेन	सीसी
316.	3		0308.19	- समुद्री खीरे (स्टिचोपस जपोनिकस, होलोथुरोइडिया): अन्य	सीसी
317.	3		0308.21	- समुद्री अर्चिन (स्ट्रॉन्गिलोसेंट्रोटस एसपीपी., पैरासेंट्रोटस लिविडस, लॉक्सेचिनस अल्बस, इचिनस एस्कुलेंटस): जीवित, ताजा या ठंडे	सीसी
318.	3		0308.22	- समुद्री अर्चिन (स्ट्रॉन्गिलोसेंट्रोटस एसपीपी., पैरासेंट्रोटस लिविडस, लॉक्सेचिनस अल्बस, इचिनस एस्कुलेंटस): फ्रोज़ेन	सीसी
319.	3		0308.29	- समुद्री अर्चिन (स्ट्रॉन्गिलोसेंट्रोटस एसपीपी., पैरासेंट्रोटस लिविडस, लॉक्सेचिनस अल्बस, इचिनस एस्कुलेंटस): अन्य	सीसी
320.	3		0308.30	- जेलिफ़िश (रोपिलेमा एसपीपी.)	सीसी
321.	3		0308.90	- अन्य	सीसी
	अध्याय 5			पशु उद्गम के उत्पाद, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं	
322.	5	0501	0501.00	मानव बाल, बिना सुधारे, चाहे धोए या साफ किए गए हों या नहीं; मानव बाल के अपशिष्ट	डब्ल्यूओ
	5	0502		सूअर, खस्सी सूअर या जंगली सूअर के ब्रिसल्स और बाल; बेजर बाल और अन्य ब्रश बनाने वाले बाल; ऐसे ब्रिसल्स या बालों के अपशिष्ट	
323.	5		0502.10	- सूअर, खस्सी सूअर या जंगली सूअर के ब्रिसल्स और बाल और उनके अपशिष्ट	डब्ल्यूओ
324.	5		0502.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
325.	5	0504	0504.00	जानवरों की आंत, मूत्राशय और पेट (मछली के अलावा), पूरे और उनके टुकड़े, ताजा, ठंडे, जमे हुए, नमकीन, खारे, सुखाए गए या स्मोक्ड	डब्ल्यूओ
	5	0505		पक्षियों की खाल और अन्य भाग, उनके पंखों या निचले हिस्से के साथ, पंख और पंखों के	

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				हिस्से (चाहे किनारे छंटे हुए हों या नहीं) और निचले हिस्से, जिन पर संरक्षण के लिए साफ करने, कीटाणुरहित बनाने या इलाज से आगे काम नहीं किया गया; पंखों या पंखों के हिस्सों का पाउडर और अपशिष्ट	
326.	5		0505.10	- स्टिफिंग के लिए प्रयुक्त एक प्रकार के पंख; नीचे	डब्ल्यूओ
327.	5		0505.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
	5	0506		हिंडुयाँ और हॉर्न-कोर, बिना सुधारे, डीफेटेड, बस तैयार किए गए (लेकिन आकार में नहीं कटे हुए), एसिड से साफ किए गए या डिजेलेटिनाइज़्ड; इन उत्पादों का पाउडर और अपशिष्ट	
328.	5		0506.10	- अम्ल के साथ साफ किए गए ओसीन और हड्डियां	डब्ल्यूओ
329.	5		0506.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
	5	0507		हाथीदांत, कछुआ-खोल, व्हेलबोन और व्हेलबोन बाल, सींग, एंटलर्स, खुर, नाखून, पंजे और चोंच, बिना सुधारे या बस तैयार किए गए लेकिन आकार में नहीं काटे गए; इन उत्पादों का पाउडर और अपशिष्ट	
330.	5		0507.10	- हाथीदांत; हाथीदांत पाउडर और अपशिष्ट	डब्ल्यूओ
331.	5		0507.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
332.	5	0508	0508.00	मूंगा और इसी तरह की सामग्री, बिना सुधारे या बस तैयार करके लेकिन अन्यथा काम नहीं किए; मोलस्क, क्रस्टेशियंस या इचिनोडर्म्स और कटल-बोन के शेल्स, बिना सुधारे या बस तैयार किए गए लेकिन आकार में नहीं काटे गए, पाउडर और उसके अपशिष्ट	डब्ल्यूओ
333.	5	0510	0510.00	एम्बरग्रीस, कैस्टोरियम, सिवेट और कस्तूरी; कैंथाराइड्स; बाइल, चाहे सूखा हो या नहीं; ग्रंथियां और फार्मास्युटिकल उत्पादों की तैयारी में प्रयुक्त अन्य पशु उत्पाद, ताजा, ठंडे, जमे हुए या अन्यथा अनंतिम रूप से संरक्षित	डब्ल्यूओ
	5	0511		पशु उत्पाद जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; अध्याय 1 या 3 के मृत जानवर, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त	

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
334.	5		0511.10	- गोजातीय वीर्य	डब्ल्यूओ
335.	5		0511.91	- अन्य: मछली या क्रस्टेशियंस, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरूकीय के उत्पाद; अध्याय 3 के मृत जानवर	डब्ल्यूओ
336.	5		0511.99	- अन्य: अन्य	डब्ल्यूओ
	अध्याय 6			जीवित पेड़ और अन्य पौधे; बल्ब, जड़ें और ऐसे ही अन्य; कटे हुए फूल और सजावटी पत्ते	
	6	0601		बल्ब, कंद, कंद मूल, कॉर्म, मुकुट और प्रकंद, सुप्त, विकास में या फूल में; शीर्ष 1212 की जड़ों के अलावा कासनी के पौधे और जड़ें	
337.	6		0601.10	- बल्ब, कंद, कंद मूल, कॉर्म, मुकुट और प्रकंद, सुप्त	डब्ल्यूओ
338.	6		0601.20	- बल्ब, कंद, कंद मूल, कॉर्म, मुकुट और प्रकंद, विकास या फूल दशा में ; चिकोरी के पौधे और जड़ें	डब्ल्यूओ
	6	0602		अन्य जीवित पौधे (उनकी जड़ों सहित), कटिंग और स्लिप्स; मशरूम स्पॉन	
339.	6		0602.10	- उखड़े कटिंग और स्लिप	डब्ल्यूओ
340.	6		0602.20	- पेड़, झाड़ और झाड़ियाँ, ग्राफ्टेड या नहीं, इस प्रकार की जो खाने योग्य फल या मेवे देती हैं	डब्ल्यूओ
341.	6		0602.30	- रोडोडेंड्रोन और एज़ेलिया, ग्राफ्टेड या नहीं	डब्ल्यूओ
342.	6		0602.40	- गुलाब, ग्राफ्टेड या नहीं	डब्ल्यूओ
343.	6		0602.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
	6	0603		गुलदस्ते के लिए या सजावटी उद्देश्यों के लिए उपयुक्त प्रकार के फूल और फूलों की कलियां, ताजे, सूखे, रंगे, प्रक्षालित, संसेचन किए हुए या अन्यथा तैयार	
344.	6		0603.11	- ताज़ा: गुलाब के फूल	डब्ल्यूओ
345.	6		0603.12	- ताज़ा: कारनेशन	डब्ल्यूओ
346.	6		0603.13	- ताज़ा: ऑर्किड	डब्ल्यूओ
347.	6		0603.14	- ताज़ा: गुलदाउदी	डब्ल्यूओ
348.	6		0603.15	- ताज़ा: लिली (लिलियम एसपीपी)	डब्ल्यूओ
349.	6		0603.19	- ताज़ा: अन्य	डब्ल्यूओ
350.	6		0603.90	- अन्य	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	6	0604		पत्ते, शाखाएं और पौधों के अन्य भाग, फूलों	
				या फूलों की कलियों के बिना, और घास, काई	
				और लाइकेन, गुलदस्ते के लिए उपयुक्त या	
				सजावटी उद्देश्यों के लिए उपयुक्त, ताजा, सुखाए हुए, रंगे हुए, प्रक्षालित, संसेचन या	
				अन्यथा तैयार किए गए	
351.	6		0604.20	- ताज़ा	डब्ल्यूओ
352.	6		0604.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
	अध्याय 7			खाद्य सब्जियां और कुछ मूल और कंद	
	7	0701		आलू, ताजा या ठंडे	
353.	7		0701.10	- बीज	डब्ल्यूओ
354.	7		0701.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
355.	7	0702	0702.00	टमाटर, ताजा या ठंडे	डब्ल्यूओ
	7	0703		प्याज, शैलॉट्स, लहसुन, लीक और अन्य एलियासियस सब्जियां, ताजा या ठंडी	
356.	7		0703.10	- प्याज और शैलॉट्स	डब्ल्यूओ
357.	7		0703.20	- लहसुन	डब्ल्यूओ
358.	7		0703.90	- लीक और अन्य एलियासियस सब्जियां	डब्ल्यूओ
	7	0704		गोभी, फूलगोभी, कोल्हाबी, केले और इसी तरह के खाद्य ब्रासिका, ताजा या ठंडे	
359.	7		0704.10	- फूलगोभी और हेडिड ब्रोकली	डब्ल्यूओ
360.	7		0704.20	- ब्रसल स्प्राउट	डब्ल्यूओ
361.	7		0704.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
	7	0705		सलाद पत्ता (लैक्टुका सैटिवा) और चिकोरी (सिचोरियम एसपीपी.), ताजा या ठंडा	
362.	7		0705.11	- सलाद पत्ता: गोभी सलाद पत्ता (सिर सलाद पत्त)	डब्ल्यूओ
363.	7		0705.19	- सलाद पत्ता: अन्य	डब्ल्यूओ
364.	7		0705.21	- कासनी: विटलूफ चिकोरी (चिचोरियम इंटाइब्स वार.फोलिओस्म)	डब्ल्यूओ
365.	7		0705.29	- कासनी: अन्य	डब्ल्यूओ
	7	0706		गाजर, शलजम, सलाद चुकंदर, सालसीफाई, अजवाइन, मूली और इसी तरह की खाद्य जड़ें, ताजा या ठंडी	
366.	7		0706.10	- गाजर और शलजम	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
367.	7		0706.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
368.	7	0707	0707.00	खीरे और घेरकीन, ताजा या ठंडा।	डब्ल्यूओ
	7	0708		फलीदार सब्जियां, छिलके वाली या बिना छिलके वाली, ताजी या ठंडी	
369.	7		0708.10	- मटर (पिसुम सैटिवम)	डब्ल्यूओ
370.	7		0708.20	- बीन्स (विग्ना एसपीपी., फेजोलस एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
371.	7		0708.90	- अन्य फलीदार सब्जियां	डब्ल्यूओ
	7	0709		अन्य, ताजा या ठंडी	
372.	7		0709.20	- एस्परैगस	डब्ल्यूओ
373.	7		0709.30	- बैंगन (एग्ग-प्लांट्स)	डब्ल्यूओ
374.	7		0709.40	- सेलेरियाक के अलावा अन्य अजवाइन	डब्ल्यूओ
375.	7		0709.51	- मशरूम और ट्रफल्स: अगारिक्स जीनस के मशरूम	डब्ल्यूओ
376.	7		0709.59	- मशरूम और ट्रफल्स: अन्य	डब्ल्यूओ
377.	7		0709.60	- जीनस कैप्सिकम या जीनस पिमेंटा के फल	डब्ल्यूओ
378.	7		0709.70	- पालक, न्यूज़ीलैंड पालक और ओराचे पालक (बगीचे का पालक)	डब्ल्यूओ
379.	7		0709.91	- अन्य: ग्लोब आटिचोक	डब्ल्यूओ
380.	7		0709.92	- अन्य: जैतून	डब्ल्यूओ
381.	7		0709.93	- अन्य: कद्दू, स्क्वैश और लौकी (कुकुरबीटा एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
382.	7		0709.99	- अन्य: अन्य	डब्ल्यूओ
	7	0710		सब्जियां (बिना पकी या भाप में या पानी में उबालकर पकाई गई), जमी हुई	
383.	7		0710.10	आलू	डब्ल्यूओ
384.	7		0710.21	- फलीदार सब्जियां, छिलके वाली या बिना छिलके वाली: - मटर (पिसुम सैटिवम)	डब्ल्यूओ
385.	7		0710.22	- फलीदार सब्जियां, छिलके वाली या बिना छिलके वाली: - बीन्स (विग्ना एसपीपी., फेजोलस एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
386.	7		0710.29	- फलीदार सब्जियां, छिलके वाली या बिना छिलके वाली: अन्य	डब्ल्यूओ
387.	7		0710.30	- पालक, न्यूज़ीलैंड पालक और ओराचे पालक (बगीचे का पालक)	डब्ल्यूओ
388.	7		0710.40	- स्वीट कॉर्न	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
389.	7		0710.80	- अन्य सब्जियां	डब्ल्यूओ
390.	7		0710.90	- सब्जियों का मिश्रण	सीसी या क्यूवीसी40
	7	0711		सब्जियां अस्थायी रूप से संरक्षित (उदाहरण के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस द्वारा, खारी, सल्फर पानी में या अन्य परिरक्षक घोल में), लेकिन तत्काल उपयोग के लिए उस स्थिति में अनुपयुक्त	
391.	7		0711.20	- जैतून	डब्ल्यूओ
392.	7		0711.40	- खीरे और घेरकीन	डब्ल्यूओ
393.	7		0711.51	- मशरूम और ट्रफल्स: अगारिक्स जीनस के मशरूम	डब्ल्यूओ
394.	7		0711.59	- मशरूम और ट्रफल्स: अन्य	डब्ल्यूओ
395.	7		0711.90	- अन्य सब्जियां; सब्जियों का मिश्रण	सीसी या क्यूवीसी40
	7	0712		सूखी सब्जियां, साबुत, कटी हुई, स्लाइस्ड, टूटी हुई या पाउडर में, लेकिन आगे तैयार नहीं की गई	
396.	7		0712.20	- प्याज	डब्ल्यूओ
397.	7		0712.31	- मशरूम, लकड़ी के कान (ऑरिक्युलिया एसपीपी.), जेली कवक (ट्रेमेला एसपीपी.) और ट्रफल: अगारिक्स जीनस के मशरूम	• `
398.	7		0712.32	- मशरूम, लकड़ी के कान (ऑरिक्युलिया एसपीपी.), जेली कवक (ट्रेमेला एसपीपी.) और ट्रफल: लकड़ी के कान (ऑरिक्युलिया एसपीपी)	डब्ल्यूओ
399.	7		0712.33	- मशरूम, लकड़ी के कान (ऑरिक्युलिया एसपीपी.), जेली कवक (ट्रेमेला एसपीपी.) और ट्रफल: जेली कवक (ट्रेमेला एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
400.	7		0712.39	- मशरूम, लकड़ी के कान (ऑरिक्युलिया एसपीपी.), जेली कवक (ट्रेमेला एसपीपी.) और ट्रफल: अन्य	डब्ल्यूओ
401.	7		0712.90	- अन्य सब्जियां; सब्जियों का मिश्रण	सीसी या क्यूवीसी40
	7	0713		सूखी फलीदार सब्जियाँ, खोलदार, चाहे छिलका उतरा या विभाजित हों या नहीं	

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402.	7		0713.10	- मटर (पिसुम सैटिवम)	डब्ल्यूओ
403.	7		0713.20	- छोले (गारबेंजो)	डब्ल्यूओ
404.	7		0713.31	- बीन्स (विग्ना एसपीपी., फेजोलस एसपीपी.): विग्ना मुंगो (एल.) हेपर या विग्ना रेडिएटा (एल.) विल्जेक प्रजाति की फलियाँ	डब्ल्यूओ
405.	7		0713.32	- बीन्स (विग्ना एसपीपी., फेजोलस एसपीपी.): छोटी लाल (एड्जुकी) फलियाँ (फासियोल्स या विग्ना अंगुलारिस)	डब्ल्यूओ
406.	7		0713.33	- बीन्स (विग्ना एसपीपी., फेजोलस एसपीपी.): किडनी बीन्स, सफेद मटर बीन्स (फेजोलस वल्गेरिस) सहित	डब्ल्यूओ
407.	7		0713.34	- बीन्स (विग्ना एसपीपी., फेजोलस एसपीपी.): बम्बारा बीन्स (विग्ना सबट्रेनियन या वोंडज़िया सबट्रेनियन)	डब्ल्यूओ
408.	7		0713.35	- बीन्स (विग्ना एसपीपी., फेजोलस एसपीपी.): काऊ मटर (विग्ना अनगुइकुलता)	डब्ल्यूओ
409.	7		0713.39	- बीन्स (विग्ना एसपीपी., फेजोलस एसपीपी.): अन्य	डब्ल्यूओ
410.	7		0713.40	- मसूर की दाल	डब्ल्यूओ
411.	7		0713.50	- ब्रॉड बीन्स (विसिया फाबा वार. मेजर) और हॉर्स बीन्स (विसिया फाबा वार. इक्विना, विसिया फाबा वार.माइनर)	डब्ल्यूओ
412.	7		0713.60	- अरहर (कजानस काजन)	डब्ल्यूओ
413.	7		0713.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
	7	0714		मिनओक, अरारोट, सालेप, जेरूसलम आर्टिचोक, शकरकंद और इसी तरह की जड़ें और कंद उच्च स्टार्च या इनुलिन सामग्री के साथ, ताजा, ठंडे, जमे हुए या सूखे, चाहे कटा हुआ हो या पेल्लेट्स के रूप में हो या न हो; साबूदाना का गूदा	
414.	7		0714.10	- मनिओक (कसावा)	डब्ल्यूओ
415.	7		0714.20	- शकरकंदी	डब्ल्यूओ
416.	7		0714.30	- यम्स (डायोस्कोरिया एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
417.	7		0714.40	- तारो (कोलपकेसिया एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
418.	7		0714.50	- योतिया (ज़ैंथोसोमा एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
419.	7		0714.90	- अन्य	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	अध्याय 8			खाद्य फल और मेवे; साइट्रस फल या खरबूजे का छिलका	
	8	0801		नारियल, ब्राजील नट्स और काजू, ताजा या सूखे, चाहे छिलका या बिना छिलका हो या नहीं	
420.	8		0801.11	- नारियल: निर्जलीकृत	डब्ल्यूओ
421.	8		0801.12	- नारियल: आंतरिक खोल (एंडोकार्प) में	डब्ल्यूओ
422.	8		0801.19	- नारियल: अन्य	डब्ल्यूओ
423.	8		0801.21	- ब्राजील नट्स: खोल में	डब्ल्यूओ
424.	8		0801.22	- ब्राजील नट्स: खोलीदार	डब्ल्यूओ
425.	8		0801.31	- काजू: खोल में	डब्ल्यूओ
426.	8		0801.32	- काजू: खोलीदार	डब्ल्यूओ
	8	0802		अन्य मेवे, ताजे या सूखे, चाहे छिलके वाले या बिना छिलके वाले हों या नहीं	
427.	8		0802.11	- बादाम: खोल में	डब्ल्यूओ
428.	8		0802.12	- बादाम: खोलीदार	डब्ल्यूओ
429.	8		0802.21	- हेज़लनट्स या फ़िल्बर्ट्स (कोरिलस एसपीपी.): खोल में	डब्ल्यूओ
430.	8		0802.22	- हेज़लनट्स या फ़िल्बर्ट्स (कोरिलस एसपीपी.): खोलीदार	डब्ल्यूओ
431.	8		0802.31	- अखरोट: खोल में	डब्ल्यूओ
432.	8		0802.32	- अखरोट: खोलीदार	डब्ल्यूओ
433.	8		0802.41	- चेस्टनट (कास्टेनिया एसपीपी.): खोलीदार	डब्ल्यूओ
434.	8		0802.42	- चेस्टनट (कास्टेनिया एसपीपी.): खोलीदार	डब्ल्यूओ
435.	8		0802.51	- पिस्ता: खोलीदार	डब्ल्यूओ
436.	8		0802.52	- पिस्ता: खोलीदार	डब्ल्यूओ
437.	8		0802.61	- मैकाडामिया नट्स: खोलीदार	डब्ल्यूओ
438.	8		0802.62	- मैकाडामिया नट्स: खोलीदार	डब्ल्यूओ
439.	8		0802.70	- कोला नट्स (कोला एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
440.	8		0802.80	- सुपारी	डब्ल्यूओ
441.	8		0802.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
	8	0803		केले, प्लांटेन सहित, ताजे या सूखे	
442.	8		0803.10	- प्लांटेन	डब्ल्यूओ
443.	8		0803.90	- अन्य	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	8	0804		खजूर, अंजीर, अनानास, एवोकाडो, अमरूद, आम और मैंगोस्टीन, ताजा या सूखे हुए	
444.	8		0804.10	- खजूर	डब्ल्यूओ
445.	8		0804.20	- अंजीर	डब्ल्यूओ
446.	8		0804.30	- अनानास	डब्ल्यूओ
447.	8		0804.40	- एवोकाडोस	डब्ल्यूओ
448.	8		0804.50	- अमरूद, आम और मैंगोस्टीन	डब्ल्यूओ
	8	0805		साइट्रस फल, ताजा या सूखे	
449.	8		0805.10	- संतरे	डब्ल्यूओ
450.	8		0805.21	- मंदारिन (कीनू और सत्सुम सहित); क्लेमेंटाइन, विल्किंग और इसी तरह के साइट्रस संकर फल: मंदारिन (कीनू और सत्सुम सहित)	डब्ल्यूओ
451.	8		0805.22	- मंदारिन (कीनू और सत्सुम सहित); क्लेमेंटाइन, विल्किंग और इसी तरह के साइट्रस संकर फल: क्लेमेंटाइन	डब्ल्यूओ
452.	8		0805.29	- मंदारिन (कीनू और सत्सुम सहित); क्लेमेंटाइन, विल्किंग और इसी तरह के साइट्रस संकर फल: अन्य	डब्ल्यूओ
453.	8		0805.40	- चकोतरे, पॉमेलोस सहित	डब्ल्यूओ
454.	8		0805.50	- नींबू (साइट्रस लिमोन, साइट्रस लिमोनम) और लाइम (साइट्रस ऑरेंटिफोलिया, साइट्रस लैटिफोलिया)	डब्ल्यूओ
455.	8		0805.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
	8	0806		अंगूर, ताजा या सूखे हुए	
456.	8		0806.10	- ताज़ा	डब्ल्यूओ
457.	8		0806.20	- सूखे हुए	डब्ल्यूओ
	8	0807		खरबूजे (तरबूज सहित) और पपाव्स (पपीता), ताजा	
458.	8		0807.11	- खरबूजे (तरबूज सहित): तरबूज़	डब्ल्यूओ
459.	8		0807.19	- खरबूजे (तरबूज सहित): अन्य	डब्ल्यूओ
460.	8		0807.20	- पपाव्स (पपीता)	डब्ल्यूओ
	8	0808		सेब, नाशपाती और श्रीफल, ताजा	
461.	8		0808.10	- सेब	डब्ल्यूओ
462.	8		0808.30	- नाशपाती	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ	टैरिफ उप-	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर
7	अव्याप	शीर्ष	शीर्ष	उत्साय सम्मान	प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
463.	8		0808.40	- श्रीफल	डब्ल्यूओ
	8	0809		खुबानी, चेरी, आड़ू (शैक्टरीन सहित), प्लम और स्लो, ताजा	
464.	8		0809.10	- खुबानी	डब्ल्यूओ
465.	8		0809.21	- चेरी: खट्टी चेरी (प्रूनस सेरासस)	डब्ल्यूओ
466.	8		0809.29	- चेरी: अन्य	डब्ल्यूओ
467.	8		0809.30	- आड़ू, जिसमें अमृत भी शामिल है	डब्ल्यूओ
468.	8		0809.40	- प्लम और स्लो	डब्ल्यूओ
	8	0810		अन्य फल, ताजा	
469.	8		0810.10	- स्ट्रॉबेरीज	डब्ल्यूओ
470.	8		0810.20	- रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, शहतूत और लोगानबेरी	डब्ल्यूओ
471.	8		0810.30	- काले, सफेद या लाल रंग के करंट और आंवले	डब्ल्यूओ
472.	8		0810.40	- क्रैनबेरी, बिलबेरी और जीनस वैक्सीनियम के अन्य फल	डब्ल्यूओ
473.	8		0810.50	- कीवी फल	डब्ल्यूओ
474.	8		0810.60	- ड्यूरियन	डब्ल्यूओ
475.	8		0810.70	- ख़ुरमा	डब्ल्यूओ
476.	8		0810.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
	8	0811		फल और मेवे, बिना पकाए या पानी में भाप या उबाल कर पकाए गए, जमे हुए, चाहे अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिला हो या नहीं	
477.	8		0811.10	- स्ट्रॉबेरीज	सीटीएच
478.	8		0811.20	- रसभरी, ब्लैकबेरी, शहतूत, लोगानबेरी, काला, सफेद या लाल करंट और आंवला	सीटीएच
479.	8		0811.90	- अन्य	सीटीएच
	8	0812		फल और मेवे, अस्थायी रूप से संरक्षित (उदाहरण के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस द्वारा, खारी, सल्फर पानी में या अन्य परिरक्षक घोल में), लेकिन तत्काल उपयोग के लिए उस स्थिति में अनुपयुक्त	
480.	8		0812.10	- चेरी	सीटीएच
481.	8		0812.90	- अन्य	सीटीएच

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	8	0813		फल, सूखे ह, शीर्ष 0801 से 0806 तक के अलावा अन्य; इस अध्याय के मेवों या सूखे फलों का मिश्रण	
482.	8		0813.10	- खुबानी	सीटीएच
483.	8		0813.20	- आलूबुखारा	सीटीएच
484.	8		0813.30	- सेब	सीटीएच
485.	8		0813.40	- अन्य फल	सीटीएच
486.	8		0813.50	- इस अध्याय के मेवों या सूखे मेवों का मिश्रण	सीटीएच
	अध्याय 9			कॉफी, चाय, मैट और मसाले	
	9	0901		कॉफी, भुना हुआ या डिकैफ़िनेटेड हो या नहीं; कॉफी की भूसी और खाल; किसी भी अनुपात में कॉफी युक्त कॉफी के विकल्प	
487.	9		0901.11	- कॉफी, भुना हुआ नहीं: डिकैफ़िनेटेड नहीं	डब्ल्यूओ
	9	0902		चाय, चाहे फ्लेवर्ड हो या नहीं	
488.	9		0902.10	- ग्रीन टी (फरमेंटिड नहीं) सामग्री के तत्काल पैकिंग में जो 3 किलो से अधिक न हो	डब्ल्यूओ
489.	9		0902.20	- अन्य हरी चाय (फरमेंटिड नहीं)	डब्ल्यूओ
490.	9	0903	0903.00	मैट	डब्ल्यूओ
	9	0904		जीनस पाइपर की काली मिर्च; जीनस शिमला मिर्च या जीनस पिमेंटा के सूखे या कुचले हुए या पीसे हुए फल	
491.	9		0904.11	- काली मिर्च: न तो कुचला और न ही पीसा हुआ	डब्ल्यूओ
492.	9		0904.12	- काली मिर्च: कुचला या पीसा हुआ	डब्ल्यूओ
493.	9		0904.21	- जीनस कैप्सिकम या जीनस पिमेंटा के फल: सूखा, न तो कुचला और न ही पीसा हुआ	डब्ल्यूओ
494.	9		0904.22	- जीनस कैप्सिकम या जीनस पिमेंटा के फल: कुचला या पीसा हुआ	डब्ल्यूओ
	9	0905		वनीला	
495.	9		0905.10	- न तो कुचला और न ही पीसा हुआ	डब्ल्यूओ
496.	9		0905.20	- कुचला या पीसा हुआ	डब्ल्यूओ
	9	0906		दालचीनी और दालचीनी के पेड़ के फूल	
497.	9		0906.11	- न तो कुचला और न ही पीसा हुआ: दालचीनी ((सिनामोमम ज़ेलेनिकम ब्लूम)	डब्ल्यूओ
498.	9		0906.19	- न तो कुचला और न ही पीसा हुआ: की	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
499.	9		0906.20	- कुचला या पीसा हुआ	डब्ल्यूओ
	9	0907		लौंग (पूरे फल, लौंग और उपजी)	
500.	9		0907.10	- न तो कुचला और न ही पीसा हुआ	डब्ल्यूओ
501.	9		0907.20	- कुचला या पीसा हुआ	डब्ल्यूओ
	9	0908		जायफल, जावित्री और इलायची	
502.	9		0908.11	- जायफल: न तो कुचला और न ही पीसा हुआ	डब्ल्यूओ
503.	9		0908.12	- जायफल: कुचला या पीसा हुआ	डब्ल्यूओ
504.	9		0908.21	- मेस: न तो कुचला और न ही पीसा हुआ	डब्ल्यूओ
505.	9		0908.22	- मेस: कुचला या पीसा हुआ	डब्ल्यूओ
506.	9		0908.31	- इलायची: न तो कुचला और न ही पीसा हुआ	डब्ल्यूओ
507.	9		0908.32	- इलायची: कुचला या पीसा हुआ	डब्ल्यूओ
	9	0909		सौंफ, बदियान, सौंफ, धनिया, जीरा या अजवायन के बीज; हपुषा जामुन	
508.	9		0909.21	- धनिया के बीज: न तो कुचला और न ही पीसा हुआ	डब्ल्यूओ
509.	9		0909.22	- धनिया के बीज: कुचला या पीसा हुआ	डब्ल्यूओ
510.	9		0909.31	- जीरे के बीज: न तो कुचला और न ही पीसा हुआ	डब्ल्यूओ
511.	9		0909.32	- जीरे के बीज: कुचला या पीसा हुआ	डब्ल्यूओ
512.	9		0909.61	- अनीस, बैडियन, जीरा या सौंफ के बीज; हपुषा जामुन: न तो कुचला और न ही पीसा हुआ	डब्ल्यूओ
513.	9		0909.62	- अनीस, बैडियन, जीरा या सौंफ के बीज; हपुषा जामुन: कुचला या पीसा हुआ	डब्ल्यूओ
	9	0910		अदरक, केसर, हल्दी (करकुमा), अजवायन के फूल, तेज पत्ते, करी और अन्य मसाले	
514.	9		0910.11	- अदरक: न तो कुचला और न ही पीसा हुआ	डब्ल्यूओ
515.	9		0910.12	- अदरक: कुचला या पीसा हुआ	डब्ल्यूओ
516.	9		0910.20	- केसर	डब्ल्यूओ
517.	9		0910.30	- हल्दी (करकुमा)	डब्ल्यूओ
518.	9		0910.91	- अन्य मसाले: इस अध्याय के नोट 1 (ख) में संदर्भित मिश्रण	डब्ल्यूओ या क्यूवीसी40
519.	9		0910.99	- अन्य मसाले: अन्य	डब्ल्यूओ या

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					क्यूवीसी40
	अध्याय 10			अनाज	
	10	1001		गेहूं और मेस्लिन	
520.	10		1001.11	- डुरम गेहूं: बीज	डब्ल्यूओ
521.	10		1001.19	- डुरम गेहूं: अन्य	डब्ल्यूओ
522.	10		1001.91	- अन्य: बीज	डब्ल्यूओ
523.	10		1001.99	- अन्य: अन्य	डब्ल्यूओ
	10	1002		राई	
524.	10		1002.10	- बीज	डब्ल्यूओ
525.	10		1002.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
	10	1003		जौ	
526.	10		1003.10	- बीज	डब्ल्यूओ
527.	10		1003.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
	10	1004		जई	
528.	10		1004.10	- बीज	डब्ल्यूओ
529.	10		1004.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
	10	1005		मक्का के दाने	
530.	10		1005.10	- बीज	डब्ल्यूओ
531.	10		1005.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
	10	1006		चावल	
532.	10		1006.10	- भूसी में चावल (धान या खुरदरा)	डब्ल्यूओ
533.	10		1006.20	- भूसी (भूरा) चावल	डब्ल्यूओ
534.	10		1006.30	- अर्ध-मिल्ड या पूर्ण मिल्ड चावल, चाहे पॉलिश या ग्लेज्ड हो या नहीं	डब्ल्यूओ
535.	10		1006.40	- टूटा हुआ चावल	डब्ल्यूओ
	10	1007		अनाज का ज्वार	
536.	10		1007.10	- बीज	डब्ल्यूओ
537.	10		1007.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
	10	1008		बकव्हीट, बाजरा और कैनरी बीज; अन्य अनाज	
538.	10		1008.10	- बकव्हीट	डब्ल्यूओ
539.	10		1008.21	- बाजरा: बीज	डब्ल्यूओ
540.	10		1008.29	- बाजरा: अन्य	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
541.	10		1008.30	- कैनरी बीज	डब्ल्यूओ
542.	10		1008.40	- फोनियो (डिजिटेरिया एसपीपी.)	डब्ल्यूओ
543.	10		1008.50	- क्विनोआ (चेनोपोडियम क्विनोआ)	डब्ल्यूओ
544.	10		1008.60	- ट्रिटिकेल	डब्ल्यूओ
545.	10		1008.90	- अन्य अनाज	डब्ल्यूओ
	अध्याय 11			मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इनुलिन; गेहूं का बना लासा	
	11	1107		माल्ट, चाहे भुना हुआ हो या नहीं	
546.	11		1107.10	- भुना हुआ नहीं	डब्ल्यूओ
	11	1108		स्टार्च; इनुलिन	
547.	11		1108.11	- स्टार्च: गेहूं का कलफ़	डब्ल्यूओ
548.	11		1108.12	- स्टार्च: मक्का (मकई) स्टार्च	डब्ल्यूओ
549.	11		1108.13	- स्टार्च: आलू स्टार्च	डब्ल्यूओ
550.	11		1108.14	- स्टार्च: मैनिओक (कसावा) स्टार्च	डब्ल्यूओ
551.	11		1108.19	- स्टार्च: अन्य स्टार्च	डब्ल्यूओ
552.	11		1108.20	- इनुलिन	डब्ल्यूओ
553.	11	1109	1109.00	व्हीट ग्लूटन, चाहे सुखाया गया हो या नहीं	डब्ल्यूओ
	अध्याय 12			तेल के बीज और तेल के फल; विविध अनाज, बीज और फल; औद्योगिक या औषधीय पौधे; पुआल और चारा	
	12	1201		सोयाबीन, चाहे टूटा हुआ हो या नहीं	
554.	12		1201.10	- बीज	डब्ल्यूओ
555.	12		1201.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
	12	1202		मूँगफली, बिना भुनी या अन्यथा पकाई हुई, चाहे छिली हुई या टूटी हुई हो या नहीं	
556.	12		1202.30	- बीज	डब्ल्यूओ
557.	12		1202.41	- अन्य: खोल में	डब्ल्यूओ
558.	12		1202.42	- अन्य: खोलीदार, चाहे टूटी हुई हो या नहीं	डब्ल्यूओ
559.	12	1203	1203.00	खोपरा	डब्ल्यूओ
560.	12	1204	1204.00	लिनसीड, चाहे टूटी हुई हो या नहीं	डब्ल्यूओ
	12	1205		रेप या कोल्ज़ा के बीज, चाहे टूटे हों या नहीं	
561.	12		1205.10	- कम इरूसिक एसिड रेप या कोल्ज़ा बीज	डब्ल्यूओ
562.	12		1205.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
563.	12	1206	1206.00	सूरजमुखी के बीज, चाहे टूटे हों या नहीं	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	12	1207		अन्य तिलहन और तेलयुक्त फल, चाहे टूटे हों या नहीं	
564.	12		1207.10	- पाम नट्स और गुठली	डब्ल्यूओ
565.	12		1207.21	- कपास के बीज: बीज	डब्ल्यूओ
566.	12		1207.29	- कपास के बीज: अन्य	डब्ल्यूओ
567.	12		1207.30	- अरंडी के तेल के बीज	डब्ल्यूओ
568.	12		1207.40	- तिल के बीज	डब्ल्यूओ
569.	12		1207.50	- सरसों के बीज	डब्ल्यूओ
570.	12		1207.60	- कुसुम (कार्थमस टिंक्टोरियस) के बीज	डब्ल्यूओ
571.	12		1207.70	- तरबूज के बीज	डब्ल्यूओ
572.	12		1207.91	- अन्य: अफीम के बीज	डब्ल्यूओ
573.	12		1207.99	- अन्य: अन्य	डब्ल्यूओ
	12	1208		सरसों के अलावा तिलहन या तेलयुक्त फलों का आटा और भोजन	
574.	12		1208.10	- सोयाबीन का	डब्ल्यूओ
575.	12		1208.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
	12	1209		बीज, फल और बीजाणु, बुवाई के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकार के	
576.	12		1209.10	- चुकंदर के बीज	डब्ल्यूओ
577.	12		1209.21	- चारा पौधों के बीज: ल्यूसर्न (अल्फाल्फा) के बीज	डब्ल्यूओ
578.	12		1209.22	- चारा पौधों के बीज: तिपतिया घास (ट्राइफोलियम एसपीपी.) के बीज	डब्ल्यूओ
579.	12		1209.23	- चारा पौधों के बीज: फेस्क्यू बीज	डब्ल्यूओ
580.	12		1209.24	- चारा पौधों के बीज: केंटकी नीली घास (पोआ प्रैटेंसिस एल.) के बीज	डब्ल्यूओ
581.	12		1209.25	- चारा पौधों के बीज: राई घास (लोलियम मल्टीफ्लोरम लैमा, लोलियम पेरेन एल.) के बीज	डब्ल्यूओ
582.	12		1209.29	- चारा पौधों के बीज: अन्य	डब्ल्यूओ
583.	12		1209.30	- मुख्य रूप से उनके फूलों के लिए उगाए जाने वाले शाकीय पौधों के बीज	डब्ल्यूओ
584.	12		1209.91	- अन्य: सब्जी के बीज	डब्ल्यूओ
585.	12		1209.99	- अन्य: अन्य	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	12	1210		हॉप कोन, ताजे या सूखे, चाहे पीसा हुआ हो या नहीं, पाउडर या पेल्लेट्स के रूप में; ल्यूपुलिन	
586.	12		1210.10	- हॉप कोन, न तो पीसा हुआ और न ही पाउडर और न ही पेल्लेट्स के रूप में	डब्ल्यूओ
587.	12		1210.20	- हॉप कोन, पीसा हुआ, पाउडर या पेल्लेट्स के रूप में; ल्यूपुलिन	डब्ल्यूओ
	12	1211		पौधे और पौधों के हिस्से (बीज और फलों सिहत), मुख्य रूप से सुगंध में, फार्मेसी में या कीटनाशक, कवकनाशी या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले, ताजा, ठंडे, जमे हुए या सूखे, चाहे काटे, कुचले या पाउडर बने हुए हों या नहीं	
588.	12		1211.20	- जिनसेंग जड़ें	डब्ल्यूओ
589.	12		1211.30	- कोका का पत्ता	डब्ल्यूओ
590.	12		1211.40	- पोस्त भूसा	डब्ल्यूओ
591.	12		1211.50	- एफेड्रा	डब्ल्यूओ
592.	12		1211.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
	12	1212		टिड्डी सेम, समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल, चुकंदर और गन्ना, ताजा, ठंडे, जमे हुए या सूखे, चाहे पीसे हुए हो या नहीं; मुख्य रूप से मानव उपभोग के लिए प्रयोग किए जाने वाले फूट स्टोंस और गुठली और अन्य सब्जी उत्पाद (सिकोरियम इंटिबस सैटिवम प्रकार की बिना भुनी हुई कासनी, जड़ों सहित), जो कहीं ओर निर्दिष्ट या शामिल नहीं हों	
593.	12		1212.21	- समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल: मानव उपभोग के लिए उपयुक्त	डब्ल्यूओ
594.	12		1212.29	- समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल: अन्य	डब्ल्यूओ
595.	12		1212.91	- अन्य: चुक्तंदर	डब्ल्यूओ
596.	12		1212.92	- अन्य: टिड्डी बीन्स (कैरोब)	डब्ल्यूओ
597.	12		1212.93	- अन्य: गन्ना	डब्ल्यूओ
598.	12		1212.94	- अन्य: चिकोरी की जड़ें	डब्ल्यूओ
599.	12		1212.99	- अन्य: अन्य	डब्ल्यूओ
600.	12	1213	1213.00	अनाज के पुआल और भूसी, तैयार नहीं किए हुए, चाहे कटे हुए, पीसे हुए, दबाए हुए या	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				पेल्लेट्स के रूप में हों या नहीं	
	12	1214		स्वेड्स, मैंगोल्ड्स, चारे की जड़ें, घास, ल्यूसर्न (अल्फाल्फा), तिपतिया घास, सैनफॉइन, फोरेज केल, ल्यूपिन, वेचेस और इसी तरह के फोरेज उत्पाद, चाहे पेल्लेट्स के रूप में हों या नहीं	
601.	12		1214.10	- ल्यूसर्न (अल्फाल्फा) भोजन और पेल्लेट्स	सीसी
	अध्याय 14			सब्जी चढ़ाने की सामग्री; सब्जी उत्पाद जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हों	
	14	1401		एक तरह की वनस्पित सामग्री जो मुख्य रूप से पट्टिका के लिए उपयोग की जाती है (उदाहरण के लिए, बांस, रतन, नरकट, रस्सियां, ओसियर, राफिया, साफ की हुई, प्रक्षालित या रंगे हुए अनाज के पुआल, और चूने की छाल)	
602.	14		1401.10	- बाँस	डब्ल्यूओ
603.	14		1401.20	- रतन	डब्ल्यूओ
604.	14		1401.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
	14	1404		वनस्पति उत्पाद जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं	
605.	14		1404.20	- कॉटन लिंटर्स	डब्ल्यूओ
606.	14		1404.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
	अध्याय 15			पशु या वनस्पति वसा और तेल और उनके विखंडन उत्पाद; तैयार खाद्य वसा; पशु या सब्जी मोम	
	15	1504		मछली या समुद्री स्तनधारियों के वसा और तेल और उनके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं हों	
607.	15		1504.20	- वसा और तेल और उनके अंश, मछली के, यकृत के तेल के अलावा	सीसी
608.	15	1505	1505.00	ऊनी ग्रीस और उससे प्राप्त वसायुक्त पदार्थ (लैनोलिन सहित)	सीसी
	15	1509		जैतून का तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं हों	
609.	15		1509.10	- विर्जिन	डब्ल्यूओ

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
610.	15		1509.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
	अध्याय 16			मांस, मछली या क्रस्टेशियंस, मोलस्कस या अन्य जलीय अकशेरूकीय की तैयारी	
611.	16	1601	1601.00	मांस, मांस या मास अवशिष्ट या रक्त के सॉसेज और इसी तरह के उत्पाद; इन उत्पादों के आधार पर तैयार भोजन	एचएस 2 और 3 को छोड़कर सीसी
	16	1602		अन्य तैयार या संरक्षित मांस, मांस अवशिष्ट या रक्त	
612.	16		1602.10	- सजातीय तैयारियां	सीसी
613.	16		1602.20	- किसी पशु के यकृत का	एचएस 2 और 3 को छोड़कर सीसी
614.	16		1602.31	- शीर्ष 0105 के कुक्कुट का: टर्की का	सीसी
615.	16		1602.32	- शीर्ष 0105 के कुक्कुट का: गैलस डोमेस्टिकस प्रजाति के पक्षियों के	एचएस 2 और 3 को छोड़कर सीसी
616.	16		1602.39	- शीर्ष 0105 के कुक्कुट का: अन्य	एचएस 2 और 3 को छोड़कर सीसी
617.	16		1602.41	- सूअर का: हैम्स और उनके टुकड़े	सीसी
618.	16		1602.42	- सूअर का: कंधे और उनके टुकड़े	सीसी
619.	16		1602.49	- सूअर का: अन्य, मिश्रण सहित	एचएस 2 और 3 को छोड़कर सीसी
620.	16		1602.50	- गोजातीय पशुओं का	एचएस 2 और 3 को छोड़कर सीसी
621.	16		1602.90	- अन्य, किसी जानवर के रक्त की तैयारी सहित	एचएस 2 और 3 को छोड़कर सीसी
622.	16	1603	1603.00	मांस, मछली या क्रस्टेशियन, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरूकीय के अर्क और रस	एचएस 2 और 3 को छोड़कर सीसी
	अध्याय 17			चीनी और चीनी की कन्फेक्शनरी	
	17	1702		ठोस रूप में रासायनिक रूप से शुद्ध लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सहित अन्य शर्करा; ऐसी चीनी की चाशनी जिसमें	

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				सुगन्धित या रंजक पदार्थ न हो; कृत्रिम शहद, चाहे प्राकृतिक शहद के साथ मिलाया गया हो या नहीं; कारमेल	
623.	17		1702.11	- लैक्टोज और लैक्टोज सिरप: 99% या अधिक लैक्टोज वजन से युक्त, निर्जल लैक्टोज के रूप में व्यक्त, शुष्क पदार्थ पर परिकलित	सीसी
	अध्याय 19			अनाज, आटा, स्टार्च या दूध की तैयारियां; पेस्ट्रीकुक के उत्पाद	
	19	1901		जौ का रस; आटा, दिलया, भोजन, स्टार्च या माल्ट से निकली खाद्य तैयारी, जिसमें कोको शामिल नहीं है या पूरी तरह से डीफैट के आधार पर संगणित कोको के वजन से 40% से कम है, जो कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं है; शीर्ष 0401 से 0404 के माल की खाद्य तैयारियां, जिसमें कोको नहीं है या पूरी तरह से डीफैट के आधार पर संगणित कोको के वजन से 40% से कम है, जो कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं है	
624.	19		1901.10	- शिशुओं या छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त तैयारियां, खुदरा बिक्री के लिए रखे गए	सीसी
625.	19		1901.20	- 1905 शीर्ष के बेकर्स वेयर की तैयारी के लिए मिश्रण और आटा	सीसी
626.	19		1901.90	- अन्य	सीसी
	19	1902		पास्ता, चाहे पकाया या भरवां (मांस या अन्य पदार्थों के साथ) या अन्यथा तैयार किया गया हो, जैसे कि स्पेगेटी, मकारोनी, नूडल्स, लसाग्ने, ग्नोची, रैवियोली, कैनेलोनी; कूसकूस, चाहे तैयार किया गया है या नहीं	
627.	19		1902.11	- बिना पका हुआ पास्ता, भरवां या अन्यथा तैयार नहीं: अंडे युक्त	सीसी
628.	19		1902.19	- बिना पका हुआ पास्ता, भरवां या अन्यथा तैयार नहीं: अन्य	सीसी
629.	19		1902.20	- भरवां पास्ता, चाहे पकाया हुआ या अन्यथा तैयार हो या नहीं:	सीसी
630.	19		1902.30	- अन्य पास्ता	सीसी
631.	19		1902.40	- कूसकूस	सीसी
	19	1904		अनाज या अनाज उत्पादों (उदाहरण के लिए,	

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				कॉर्न फ्लेक्स) के तपाने या भूनने से प्राप्त तैयार	
				खाद्य पदार्थ; अनाज (मक्का (कोर्न) के अलावा)	
				अनाज के रूप में या फ्लेक्स या अन्य प्रकार से	
				तैयार किए गए अनाज के रूप में (आटा,	
				दिलया और भोजन को छोड़कर), पहले से	
				पका हुआ या अन्यथा तैयार, कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं	
632.	19		1904.10	- अनाज या अनाज उत्पादों को तपाने या भूनने से प्राप्त तैयार खाद्य पदार्थ	सीसी
633.	19		1904.30	- बलगर गेहूं	सीसी
634.	19		1904.90	- अन्य	सीसी
	19	1905		ब्रेड, पेस्ट्री, केक, बिस्कुट और बेकर्स के अन्य माल, चाहे उनमें कोको हो या नहीं; कम्यूनियन वेफर्स, फार्मास्युटिकल उपयोग के लिए उपयुक्त एक प्रकार के खाली कैचेट, सीलिंग वेफर्स, राइस पेपर और इसी तरह के उत्पाद	
635.	19		1905.10	- क्रिस्पब्रेड	सीटीएच
	अध्याय 21			विविध खाद्य सामग्री	
	21	2101		कॉफी, चाय या मेट के अर्क, अर्क एवं सुगंध और इन उत्पादों के आधार पर या कॉफी, चाय या मेट के आधार वाली तैयारियां; भुना हुआ कासनी और अन्य भुना हुआ कॉफी विकल्प, और अर्क, सुगंध और उनके सांद्रण	
636.	21		2101.11	- कॉफ़ी के अर्क, सुगंध और उनके सांद्रण, और इन अर्क, सुगंध और उनके सांद्रण के आधार वाली या कॉफी के आधार वाली तैयारियां: अर्क, सुगंध और उनके सांद्रण	सीसी
637.	21		2101.12	- कॉफ़ी के अर्क, सुगंध और उनके सांद्रण, और इन अर्क, सुगंध और उनके सांद्रण के आधार वाली या कॉफी के आधार वाली तैयारियां: - अर्क, सुगंध और उनके सांद्रण के आधार वाली या कॉफ़ी के आधार वाली तैयारियां:	सीसी
638.	21		2101.20	- चाय या मेट के अर्क, सुगंध और उनके सांद्रण, और इन अर्क, सुगंध और उनके सांद्रण के आधार वाली या चाय या मेट के आधार वाली तैयारियां:	सीसी
639.	21		2101.30	- भुना हुआ कासनी और अन्य भुनी हुई कॉफी	सीसी

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				के विकल्प, और अर्क, सार और उसके सांद्रण	
	21	2102		खमीर (सक्रिय या निष्क्रिय); अन्य एकल- कोशिका सूक्ष्म जीव, मृत (लेकिन शीर्ष 3002 के टीके शामिल नहीं); तैयार बेर्किंग पाउडर	
640.	21		2102.10	- सक्रिय खमीर	सीसी
641.	21		2102.20	- निष्क्रिय खमीर; अन्य एकल-कोशिका वाले सूक्ष्म जीव, मृत	सीसी
642.	21		2102.30	- तैयार बेर्किंग पाउडर	सीसी
	अध्याय 22			पेय, स्पिरिट और सिरका	
	22	2201		जल, जिसमें प्राकृतिक या कृत्रिम खनिज जल और वातित जल शामिल हैं, जिसमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्वाद नहीं है; बर्फ और हिम	
643.	22		2201.10	- खनिज जल और वातित जल	डब्ल्यूओ
644.	22		2201.90	- अन्य	डब्ल्यूओ
	अध्याय 41			कच्ची हाइड्स और खाल (फर्स्किन के अलावा) और चमड़ा	
	41	4101		गोजातीय (भैंस सहित) या घोड़े के प्रजाती के जानवरों की कच्ची हाइड्स और खाल (ताजा, या नमकीन, सूखी, लाइम्ड, मसालेदार या अन्यथा संरक्षित, लेकिन टैन्ड, पार्चमेंट-ड्रेस्ड या आगे तैयार की गई नहीं), चाहे बाल उतारे गए या विभाजित हो या न हो	
645.	41		4101.20	- पूरी हाइड्स और खाल, बिना कटी, प्रति त्वचा वजन 8 किलोग्राम से अधिक नहीं जब केवल सुखाया गया हो, 10 किलोग्राम जब सूखा-नमकीन बनाया गया हो, या 16 किलोग्राम जब ताजा, गीला-नमकीन या अन्यथा संरक्षित हो	सीसी
646.	41		4101.50	- 16 किलो से अधिक वजन की पूरी हाइड्स और खाल	सीसी
647.	41		4101.90	- अन्य, बट्स, बेंड्स और बेलीज़ सहित	सीसी
	41	4102		भेड़ या मेमने की कच्ची खाल (ताजा, या नमकीन, सूखा, चूना, मसालेदार या अन्यथा संरक्षित, लेकिन टैन्ड नहीं, पार्चमेंट-ड्रेस्ड या आगे तैयार), चाहे ऊन के साथ हो या नहीं या दुकड़े, इस अध्याय के नोट 1 (ग) द्वारा हटाए	

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				गए के अलावा	
648.	41		4102.10	- ऊन के साथ	सीसी
649.	41		4102.21	-बिना ऊन के: मसालेदार	सीसी
650.	41		4102.29	-बिना ऊन के: अन्य	सीसी
	41	4103		अन्य कच्ची हाइड्स और खाल (ताजा, या नमकीन, सूखा, लाइम्ड, मसालेदार या अन्यथा संरक्षित, लेकिन टैन्ड, पार्चमेंट-ड्रेस्ड या आगे तैयार किया हुआ नहीं), चाहे बाल उतारे गए या विभाजित हो या न हो, इस अध्याय के नोट 1 (ख) या (ग) द्वारा हटाए गए के अलावा	
651.	41		4103.20	- सरीसृप का	सीसी
652.	41		4103.30	- सूअर का	सीसी
653.	41		4103.90	- अन्य	सीसी
	अध्याय 43			फरस्किन्स और कृत्रिम फर; उनसे निर्मित उत्पाद	
	43	4301		4101, 4102 या 4103 शीर्ष की कच्ची हाइड्स और खाल के अलावा कच्ची फरस्किन (सिर, पूंछ, पंजे और अन्य टुकड़े या कटिंग्स, फरियर्स के उपयोग के लिए उपयुक्त) सहित	
654.	43		4301.10	- मिंक, पूरे, सिर, पूंछ या पंजे के साथ या इनके बिना	सीसी
655.	43		4301.30	- मेमने का, निम्नलिखित: आस्ट्राखान, ब्रॉडटेल, काराकुल, फ़ारसी और इसी तरह के मेमने, भारतीय, चीनी, मंगोलियाई या तिब्बती मेमने, पूरे, सिर, पूंछ या पंजे के साथ या उनके बिना	सीसी
656.	43		4301.60	- लोमड़ी की, सम्पूर्ण, सिर, पूंछ या पंजे के साथ या इनके बिना	सीसी
657.	43		4301.80	- अन्य फरस्किन, सम्पूर्ण, सिर, पूंछ या पंजे के साथ या इनके बिना	सीसी
658.	43		4301.90	- फ्यूरियर के उपयोग के लिए उपयुक्त सिर, पूंछ, पंजे और अन्य टुकड़े या कटिंग्स	सीसी
	अध्याय 47			लकड़ी या अन्य रेशेदार सेल्युलोसिक सामग्री का गूदा; पुनर्प्राप्त (अपशिष्ट और स्क्रैप) पेपर या पेपरबोर्ड	
	47	4707		पुनर्प्राप्त (अपशिष्ट और स्क्रैप) कागज या	

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				पेपरबोर्ड	
659.	47		4707.10	- बिना ब्लीच किया हुआ क्राफ्ट पेपर या पेपरबोर्ड या नालीदार कागज या पेपरबोर्ड	सीसी
660.	47		4707.20	- मुख्य रूप से प्रक्षालित रासायनिक लुगदी से बने अन्य कागज या पेपरबोर्ड, द्रव्यमान में रंगीन नहीं	सीसी
661.	47		4707.30	- मुख्य रूप से यांत्रिक लुगदी से बने कागज या पेपरबोर्ड (उदाहरण के लिए, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और इसी तरह के मुद्रित पदार्थ)	सीसी
662.	47		4707.90	- अनसोर्टेड अपशिष्ट और स्क्रैप सहित अन्य	सीसी
	अध्याय 50			रेशम अध्याय नोट: इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, यदि उद्गम का दावा रंगाई, छपाई और कम से कम दो बाद की परिष्करण प्रक्रियाओं पर आधारित है, तो धुलाई या सुखाने को परिष्करण प्रक्रिया नहीं माना जाएगा। परिष्करण प्रक्रियाओं की सांकेतिक सूची इस अनुबंध के परिशिष्ट में दी गई है।	
663.	50	5001	5001.00	रीलिंग के लिए उपयुक्त रेशम के कीड़ों के कोकून	डब्ल्यूओ
664.	50	5002	5002.00	कच्चा रेशम (फेंका हुआ नहीं)	डब्ल्यूओ
665.	50	5003	5003.00	रेशम अपशिष्ट (रीलिंग के लिए अनुपयुक्त कोकून, यार्न अपशिष्ट और गार्नेट स्टॉक सहित)	डब्ल्यूओ
	अध्याय 52			कपास अध्याय नोट: इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, यदि उद्गम का दावा रंगाई, छपाई और कम से कम दो बाद की परिष्करण प्रक्रियाओं पर आधारित है, तो धुलाई या सुखाने को परिष्करण प्रक्रिया नहीं माना जाएगा। परिष्करण प्रक्रियाओं की सांकेतिक सूची इस अनुबंध के परिशिष्ट में दी गई है	
666.	52	5201	5201.00	कपास, कार्डेड या कॉम्ब्ड नहीं	डब्ल्यूओ
	52	5202		कॉटन अपशिष्ट (यार्न वेस्ट और गार्नेट स्टॉक सहित)	

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
667.	52		5202.10	- सूत का अपशिष्ट (धागे के कचरे सहित)	डब्ल्यूओ
668.	52		5202.91	- अन्य: गार्नेट स्टॉक	डब्ल्यूओ
669.	52		5202.99	- अन्य: अन्य	डब्ल्यूओ
670.	52	5203	5203.00	कपास, कार्डेड या कॉम्ब्ड	डब्ल्यूओ
	71	7113		कीमती धातु या कीमती धातु से आच्छादित धातु के आभूषण और उनके हिस्सों की वस्तुएं	
671.	71		7113.11	- बहुमूल्य धातु का, चाहे कीमती धातु से मढ़वाया गया हो या नहीं: चांदी की, चाहे चढ़ाया हुआ या अन्य कीमती धातु के साथ चढ़ाया नहीं गया हो	सीटीएसएच + क्यूबीसी 1.5%
672.	71		7113.19	- बहुमूल्य धातु का, चाहे कीमती धातु से मढ़वाया गया हो या नहीं: - अन्य बहुमूल्य धातु का, चाहे कीमती धातु से मढ़वाया गया हो या नहीं:	सीटीएसएच + क्यूवीसी 1.5%
673.	71		7113.20	- कीमती धातु के साथ आधार धातु के आवरण के	सीटीएसएच + क्यूवीसी 1.5%
	71	7114		कीमती धातु या कीमती धातु से आच्छादित धातु के गोल्डस्मिथ या सिल्वरस्मिथ के और उनके हिस्सों की वस्तुएं	
674.	71		7114.11	- बहुमूल्य धातु का, चाहे कीमती धातु से मढ़वाया गया हो या नहीं: चांदी की, चाहे चढ़ाया हुआ या अन्य कीमती धातु के साथ चढ़ाया नहीं गया हो	सीटीएसएच + क्यूवीसी 1.5%
675.	71		7114.19	- बहुमूल्य धातु का, चाहे कीमती धातु से मढ़वाया गया हो या नहीं: - अन्य बहुमूल्य धातु का, चाहे कीमती धातु से मढ़वाया गया हो या नहीं:	सीटीएसएच + क्यूवीसी 1.5%
676.	71		7114.20	- कीमती धातु के साथ आधार धातु के आवरण के	सीटीएसएच + क्यूवीसी 1.5%
	71			नकली आभूषण	
677.			7117.11	- बेस मेटल का, चाहे कीमती मेटल से प्लेटेड हो या नहीं: कफ-लिंक और स्टड	सीटीएसएच + क्यूवीसी 1.5%
678.			7117.19	- आधार धातु का, चाहे कीमती धातु से प्लेटिड हो या नहीं: अन्य	सीटीएसएच + क्यूवीसी 1.5%
679.			7117.90	- अन्य	सीटीएसएच + क्यूवीसी 1.5%

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	अध्याय 72			लोहा और इस्पात	
	72	7206		सिल्लियों या अन्य प्राथमिक रूपों में लोहा और गैर-मिश्र धातु इस्पात (शीर्ष 7203 के लोहे को छोड़कर)	
680.	72		7206.10	- सिल्लियां	पार्टियों में पिंघला कर डालना
681.	72		7206.90	- अन्य	पार्टियों में पिंघला कर डालना
	72	7207		लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात के अर्द्ध-तैयार उत्पाद	
682.	72		7207.11	- कार्बन के 0.25% से कम वजन से युक्तः आयताकार (वर्ग सहित) क्रॉस-सेक्शन, जिनकी चौड़ाई माप में मोटाई से दो गुणा हो	पार्टियों में पिंघला कर डालना
683.	72		7207.12	- कार्बन के 0.25% से कम वजन से युक्त: अन्य, आयताकार (वर्ग के अलावा) क्रॉस- सेक्शन के	पार्टियों में पिंघला कर डालना
684.	72		7207.19	- कार्बन के 0.25% से कम वजन से युक्त: की	पार्टियों में पिंघला कर डालना
685.	72		7207.20	- वजन के अनुसार 0.25 % या अधिक कार्बन युक्त	पार्टियों में पिंघला कर डालना
	72	7208		लोहे या गैर-मिश्र धातु स्टील के फ्लैट-रोल्ड उत्पाद, 600 मिमी या अधिक की चौड़ाई, हॉट-रोल्ड, क्लैड, प्लेटेड या कोटिड नहीं	
686.	72		7208.10	- कॉइल्स में, हॉट-रोल्ड से आगे काम नहीं किया गया हो, रिलीफ में पैटर्न के साथ	पार्टियों में पिंघला कर डालना
687.	72		7208.26	- अन्य, कॉइल्स में, हॉट-रोल्ड, पिकल्ड से आगे काम नहीं किया गया: 3 मिमी या अधिक लेकिन 4.75 मिमी से कम की मोटाई का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
688.	72		7208.27	- अन्य, कॉइल्स में, हॉट-रोल्ड, पिकल्ड से आगे काम नहीं किया गया: 3 मिमी से कम की मोटाई का	पार्टियों में पिंघला कर डालना

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
689.	72		7208.36	- अन्य, कॉइल्स में, हॉट-रोल्ड, से आगे काम नहीं किया गया: 10 मिमी से अधिक मोटाई का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
690.	72		7208.37	- अन्य, कॉइल्स में, हॉट-रोल्ड से आगे काम नहीं किया गया: 4.75 मिमी या अधिक की मोटाई लेकिन 10 मिमी से अधिक नहीं	पार्टियों में पिंघला कर डालना
691.	72		7208.38	- अन्य, कॉइल्स में, हॉट-रोल्ड, से आगे काम नहीं किया गया: 3 मिमी या अधिक लेकिन 4.75 मिमी से कम की मोटाई का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
692.	72		7208.39	- अन्य, कॉइल्स में, हॉट-रोल्ड, से आगे काम नहीं किया गया: 3 मिमी से कम की मोटाई का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
693.	72		7208.40	- कॉइल्स में नहीं, हॉट-रोल्ड से आगे काम नहीं किया गया हो, रिलीफ में पैटर्न के साथ	पार्टियों में पिंघला कर डालना
694.	72		7208.51	- अन्य, कॉइल्स में नहीं, हॉट-रोल्ड, से आगे काम नहीं किया गया: 10 मिमी से अधिक मोटाई का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
695.	72		7208.52	- अन्य, कॉइल्स में नहीं, हॉट-रोल्ड, से आगे काम नहीं किया गया: 4.75 मिमी या अधिक लेकिन 10 मिमी से अधिक नहीं की मोटाई का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
696.	72		7208.53	- अन्य, कॉइल्स में नहीं, हॉट-रोल्ड, से आगे काम नहीं किया गया: 3 मिमी या अधिक लेकिन 4.75 मिमी से कम की मोटाई का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
697.	72		7208.54	- अन्य, कॉइल्स में नहीं, हॉट-रोल्ड, से आगे काम नहीं किया गया: 3 मिमी से कम की मोटाई का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
	72	7209		लोहे या गैर-मिश्र धातु स्टील के फ्लैट-रोल्ड उत्पाद, 600 मिमी या अधिक की चौड़ाई, कोल्ड-रोल्ड (कोल्ड रड्यूस्ड), क्लैड, प्लेटेड या कोटिड नहीं	
698.	72		7209.15	- कॉइल्स में, कोल्ड-रोल्ड (कोल्ड रड्यूस्ड) से आगे काम नहीं किया गया: 3 मिमी या अधिक मोटाई का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
699.	72		7209.16	- कॉइल्स में, कोल्ड-रोल्ड (कोल्ड रड्यूस्ड) से आगे काम नहीं किया गया: 1 मिमी से अधिक लेकिन 3 मिमी से कम की मोटाई का	पार्टियों में पिंघला कर डालना

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
700.	72		7209.17	- कॉइल्स में, कोल्ड-रोल्ड (कोल्ड रड्यूस्ड) से आगे काम नहीं किया गया: 0.5 मिमी या अधिक लेकिन 1 मिमी से अधिक नहीं की मोटाई का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
701.	72		7209.18	- कॉइल्स में, कोल्ड-रोल्ड (कोल्ड रड्यूस्ड) से आगे काम नहीं किया गया: 0.5 मिमी से कम की मोटाई का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
702.	72		7209.25	- कॉइल्स में नहीं, कोल्ड-रोल्ड (कोल्ड रड्यूस्ड) से आगे काम नहीं किया गया: 3 मिमी या अधिक मोटाई का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
703.	72		7209.26	- कॉइल्स में नहीं, कोल्ड-रोल्ड (कोल्ड रड्यूस्ड) से आगे काम नहीं किया गया: 1 मिमी से अधिक लेकिन 3 मिमी से कम की मोटाई का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
704.	72		7209.27	- कॉइल्स में नहीं, कोल्ड-रोल्ड (कोल्ड पार्टिय रड्यूस्ड) से आगे काम नहीं किया गया: पिंघल 0.5 मिमी या अधिक लेकिन 1 मिमी से डालन अधिक नहीं की मोटाई का	
705.	72		7209.28	- कॉइल्स में नहीं, कोल्ड-रोल्ड (कोल्ड रड्यूस्ड) से आगे काम नहीं किया गया: 0.5 मिमी से कम की मोटाई का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
	72	7210		लोहे या गैर-मिश्र धातु स्टील के फ्लैट-रोल्ड उत्पाद, 600 मिमी या अधिक की चौड़ाई के, क्लैड, प्लेटेड या कोटिड	
706.	72		7210.11	- टिन के साथ प्लेटिड या कोटिड: 0.5 मिमी या अधिक मोटाई का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
707.	72		7210.12	- टिन के साथ प्लेटिड या कोटिड: 0.5 मिमी पार्टियों में से कम की मोटाई का पिंघला क डालना	
708.	72		7210.20	- टर्न-प्लेट सहित पारे के साथ प्लेटिड या पार्टियों में कोटिड पिंघला कर डालना	
709.	72		7210.30		
710.	72		7210.41	- जस्ता के साथ अन्यथा रूप से प्लेटिड या पार्टियों में कोटिड नालीदार पिंघला कर	

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					डालना
711.	72		7210.49	- जस्ता के साथ अन्यथा रूप से प्लेटिड या कोटिड: अन्य	पार्टियों में पिंघला कर डालना
712.	72		7210.50	- क्रोमियम ऑक्साइड या क्रोमियम और क्रोमियम ऑक्साइड के साथ प्लेटिड या कोटिड	पार्टियों में पिंघला कर डालना
713.	72		7210.61	- एल्यूमीनियम के साथ प्लेटिड या कोटिड: एल्यूमीनियम-जस्ता मिश्र धातुओं के साथ प्लेटिड या कोटिड	पार्टियों में पिंघला कर डालना
714.	72		7210.69	- एल्यूमीनियम के साथ प्लेटिड या कोटिड: की	पार्टियों में पिंघला कर डालना
715.	72		7210.70	- प्लास्टिक से पेंट किया हुआ, वार्निश किया हुआ या कोटेड	पार्टियों में पिंघला कर डालना
	72	7211		लोहे या गैर-मिश्र धातु स्टील के फ्लैट-रोल्ड उत्पाद, 600 मिमी से कम चौड़ाई का, क्लैड, प्लेटेड या कोटिड नहीं	
716.	72		7211.13	हॉट-रोल्ड, से आगे काम नहीं किया गया: चार चेहरों पर या एक बंद बॉक्स पास में रोल किया गया, 150 मिमी से अधिक की चौड़ाई और 4 मिमी से कम नहीं की मोटाई का, कॉइल में नहीं और रिलीफ में पैटर्न के बिना	पिँघला कर
717.	72		7211.14	हॉट-रोल्ड, से आगे काम नहीं किया गया: अन्य, 4,75 मिमी या अधिक मोटाई का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
718.	72		7211.19	हॉट-रोल्ड, से आगे काम नहीं किया गया: की	पार्टियों में पिंघला कर डालना
719.	72		7211.23	- कोल्ड-रोल्ड (कोल्ड रड्यूस्ड) से आगे काम नहीं किया गया: - कार्बन के 0.25% से कम वजन से युक्त:	पार्टियों में पिंघला कर डालना
720.	72		7211.29	- कोल्ड-रोल्ड (कोल्ड रड्यूस्ड) से आगे काम नहीं किया गया: अन्य	पार्टियों में पिंघला कर डालना
721.	72		7211.90	- अन्य	पार्टियों में

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					पिंघला कर डालना
	72	7212		लोहे या गैर-मिश्र धातु स्टील के फ्लैट-रोल्ड उत्पाद, 600 मिमी से कम चौड़ाई का, क्लैड, प्लेटेड या कोटिड	
722.	72		7212.10	- टिन के साथ प्लेटिड या कोटिड	पार्टियों में पिंघला कर डालना
723.	72		7212.20	- जस्ता के साथ इलेक्ट्रोलाइटिक रूप से प्लेटिड या कोटिड	पार्टियों में पिंघला कर डालना
724.	72		7212.30	- जस्ता के साथ अन्यथा रूप से प्लेटिड या कोटिड	पार्टियों में पिंघला कर डालना
725.	72		7212.40	- प्लास्टिक से पेंट किया हुआ, वार्निश किया हुआ या कोटेड	पार्टियों में पिंघला कर डालना
726.	72		7212.50	- अन्यथा प्लेटिड या कोटिड	पार्टियों में पिंघला कर डालना
727.	72		7212.60	- क्लैड	पार्टियों में पिंघला कर डालना
	72	7213		बार्स और रॉड, हॉट-रोल्ड, अनियमित रूप से लिपटे हुए कॉइल में, लोहे या गैर-मिश्र धातु स्टील के	
728.	72		7213.10	- रोलिंग प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न इंडेंटेशन, रिब्स, खांचे या अन्य विकृतियों से युक्त	पार्टियों में पिंघला कर डालना
729.	72		7213.20	- अन्य, फ्री-कटिंग स्टील का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
730.	72		7213.91	- अन्य: वृत्ताकार क्रॉस-सेक्शन का, जिसका पार्टियों व्यास 14 मिमी से कम है पिंघला डालना	
731.	72		7213.99	- अन्य: की	पार्टियों में पिंघला कर

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	72	7214		लोहे या गैर-मिश्र धातु स्टील की अन्य छड़ें	डालना
				और रोड्स, फोर्ज्ड, हॉट-रोल्ड, हॉट-ड्रॉ या हॉट-एक्सट्रूडेड की तुलना में आगे काम नहीं किया गया हो, लेकिन रोलिंग के बाद मुड़े हुए सहित	
732.	72		7214.10	- फोर्ज्ड	पार्टियों में पिंघला कर डालना
733.	72		7214.20	- रोलिंग प्रक्रिया के दौरान या रोलिंग के बाद मुड़े हुए, उत्पन्न इंडेंटेशन, रिब्स, खांचे या अन्य विकृतियों से युक्त	पार्टियों में पिंघला कर डालना
734.	72		7214.30	- अन्य, फ्री-कटिंग स्टील का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
735.	72		7214.91	- अन्य: आयताकार (वर्ग के अलावा) क्रॉस- सेक्शन के	पार्टियों में पिंघला कर डालना
736.	72		7214.99	- अन्य: अन्य	पार्टियों में पिंघला कर डालना
	72	7215		लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात की अन्य छड़ें और रोड्स	
737.	72		7215.10	- फ्री-कटिंग स्टील का, कोल्ड-फॉर्मेड या कोल्ड-फिनिश की तुलना में आगे काम नहीं किया गया	पार्टियों में पिंघला कर डालना
738.	72		7215.50	- अन्य, कोल्ड-फॉर्मेड या कोल्ड-फिनिश्ड से आगे काम नहीं किया	पार्टियों में पिंघला कर डालना
739.	72		7215.90	- अन्य	पार्टियों में पिंघला कर डालना
	72	7216		लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात के कोण, आकार और खंड	
740.	72		7216.10	- यू, आई या एच खंड, हॉट-रोल्ड, हॉट-ड्रॉ या एक्सटूडेड से आगे काम नहीं किया गया, जिसकी ऊंचाई 80 मिमी से कम हो	पार्टियों में पिंघला कर डालना

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
741.	72		7216.21	- एल या टी खंड, हॉट-रोल्ड, हॉट-ड्रॉ या एक्सट्रूडेड से आगे काम नहीं किया गया, जिसकी ऊंचाई 80 मिमी से कम हो: एल खंड	पार्टियों में पिंघला कर डालना
742.	72		7216.22	- एल या टी खंड, हॉट-रोल्ड, हॉट-ड्रॉ या एक्सट्रूडेड से आगे काम नहीं किया गया, जिसकी ऊंचाई 80 मिमी से कम हो: टी खंड	पार्टियों में पिंघला कर डालना
743.	72		7216.31	- यू, आई या एच खंड, हॉट-रोल्ड, हॉट-ड्रॉ या एक्सट्रूडेड से आगे काम नहीं किया गया, जिसकी ऊंचाई 80 मिमी या अधिक हो: यू खंड	पार्टियों में पिंघला कर डालना
744.	72		7216.32	- यू, आई या एच खंड, हॉट-रोल्ड, हॉट-ड्रॉ या एक्सट्रूडेड से आगे काम नहीं किया गया, जिसकी ऊंचाई 80 मिमी या अधिक हो: आई खंड	पार्टियों में पिंघला कर डालना
745.	72		7216.33	- यू, आई या एच खंड, हॉट-रोल्ड, हॉट-ड्रॉ या एक्सट्रूडेड से आगे काम नहीं किया गया, जिसकी ऊंचाई 80 मिमी या अधिक हो: टी खंड	पार्टियों में पिंघला कर डालना
746.	72		7216.40	- एल या टी खंड, हॉट-रोल्ड, हॉट-ड्रॉ या एक्सट्रूडेड से आगे काम नहीं किया गया, जिसकी ऊंचाई 80 मिमी या अधिक हो	पार्टियों में पिंघला कर डालना
747.	72		7216.50	- अन्य कोण, आकार और खंड, हॉट-रोल्ड, हॉट-ड्रॉ या एक्सट्रूडेड की तुलना में आगे काम नहीं किया गया	पार्टियों में पिंघला कर डालना
748.	72		7216.61	- कोण, आकार और खंड, कोल्ड-फोर्म्ड या कोल्ड-फिनिश्ड की तुलना में आगे काम नहीं किया गया: फ्लैट-रोल्ड उत्पादों से प्राप्त	पार्टियों में पिंघला कर डालना
749.	72		7216.91	- अन्य: फ्लैट-रोल्ड उत्पादों से कोल्ड-फॉर्मेड या कोल्ड-फिनिश्ड	पार्टियों में पिंघला कर डालना
750.	72		7216.99	- अन्य: अन्य पार्टियों में पिंघला क डालना	
	72	7217		लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात का तार	
751.	72		7217.10	- प्लेटिड या कोटिड नहीं, चाहे पॉलिश किया पार्टियों गया हो या नहीं पॉलिश डालना	

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
752.	72		7217.20	- जस्ता के साथ प्लेटिड या कोटिड	पार्टियों में पिंघला कर डालना
753.	72		7217.30	- अन्य बेस धातुओं के साथ प्लेटिड या कोटिड	पार्टियों में पिंघला कर डालना
754.	72		7217.90	- अन्य	पार्टियों में पिंघला कर डालना
	72	7218		सिल्लियों या अन्य प्राथमिक रूपों में स्टेनलेस स्टील; स्टेनलेस स्टील के अर्द्ध-तैयार उत्पाद	
755.	72		7218.10	- सिल्लियां और अन्य प्राथमिक रूप	पार्टियों में पिंघला कर डालना
756.	72		7218.91	- अन्य: आयताकार (वर्ग के अलावा) क्रॉस- सेक्शन के	पार्टियों में पिंघला कर डालना
757.	72		7218.99	- अन्य: अन्य	पार्टियों में पिंघला कर डालना
	72	7219		600 मिमी या उससे अधिक की चौड़ाई वाले स्टेनलेस स्टील के फ्लैट-रोल्ड उत्पाद	
758.	72		7219.12	- कॉइल्स में, हॉट-रोल्ड से आगे काम नहीं किया गया: 4.75 मिमी या अधिक की मोटाई लेकिन 10 मिमी से अधिक नहीं	पार्टियों में पिंघला कर डालना
759.	72		7219.13	- कॉइल्स में, हॉट-रोल्ड से आगे काम नहीं किया गया: 3 मिमी या अधिक की मोटाई लेकिन 4.75 मिमी से कम	पार्टियों में पिंघला कर डालना
760.	72		7219.14	- कॉइल्स में हॉट-रोल्ड से आगे काम नहीं किया गया: 3 मिमी से कम मोटाई का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
761.	72		7219.21	- कॉइल्स में नहीं, हॉट-रोल्ड से आगे काम नहीं किया: 10 मिमी से अधिक मोटाई का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
762.	72		7219.22	- कॉइल्स में नहीं, हॉट-रोल्ड से आगे काम नहीं किया: 4.75 मिमी या अधिक लेकिन 10 मिमी से अधिक मोटाई का नहीं	पार्टियों में पिंघला कर डालना

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
763.	72		7219.23	- कॉइल्स में नहीं, हॉट-रोल्ड से आगे काम नहीं किया: 3 मिमी या अधिक लेकिन 4.75 मिमी से कम की मोटाई का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
764.	72		7219.24	- कॉइल्स में नहीं, हॉट-रोल्ड से आगे काम नहीं किया: 3 मिमी से कम की मोटाई का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
765.	72		7219.31	- कोल्ड-रोल्ड (कोल्ड रड्यूस्ड) से आगे काम नहीं किया गया: 4.75 मिमी या अधिक मोटाई का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
766.	72		7219.32	- कोल्ड-रोल्ड (कोल्ड रड्यूस्ड) से आगे काम नहीं किया गया: 3 मिमी या अधिक लेकिन 4.75 मिमी से कम की मोटाई का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
767.	72		7219.34	- कोल्ड-रोल्ड (कोल्ड रड्यूस्ड) से आगे काम नहीं किया गया: 0.5 मिमी या अधिक लेकिन 1 मिमी से अधिक मोटाई का नहीं	पार्टियों में पिंघला कर डालना
768.	72		7219.35	- कोल्ड-रोल्ड (कोल्ड रड्यूस्ड) से आगे काम नहीं किया गया: 0.5 मिमी से कम की मोटाई का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
	72	7220		600 मिमी से कम चौड़ाई वाले स्टेनलेस स्टील के फ्लैट-रोल्ड उत्पाद	
769.	72		7220.11	हॉट-रोल्ड से आगे काम नहीं किया गया: 4.75 मिमी या अधिक मोटाई का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
770.	72		7220.12	हॉट-रोल्ड से आगे काम नहीं किया गया: 4.75 मिमी से कम की मोटाई का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
771.	72		7220.20	- कोल्ड-रोल्ड (कोल्ड रड्यूस्ड) से आगे काम नहीं किया गया	पार्टियों में पिंघला कर डालना
772.	72		7220.90	- अन्य	पार्टियों में पिंघला कर डालना
773.	72	7221	7221.00	छड़ें और रॉड, हॉट-रोल्ड, अनियमित रूप से लिपटे हुए कॉइल में, स्टेनलेस स्टील के	पार्टियों में पिंघला कर डालना
	72	7222		स्टेनलेस स्टील की अन्य छड़ें और रोड्स; स्टेनलेस स्टील के कोण, आकार और खंड	

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
774.	72		7222.11	- छड़ें और रॉड्स, हॉट-रोल्ड, हॉट-ड्रॉ या एक्सट्रूडेड से आगे काम नहीं किया गया: एक गोलाकार क्रॉस-सेक्शन का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
775.	72		7222.19	- छड़ें और रॉड्स, हॉट-रोल्ड, हॉट-ड्रॉ या एक्सट्रूडेड से आगे काम नहीं किया गया: की	पार्टियों में पिंघला कर डालना
776.	72		7222.20	- छड़ें और रॉड्स, कोल्ड-फॉर्मेड या कोल्ड- फिनिश्ड की तुलना में आगे काम नहीं किया गया	पार्टियों में पिंघला कर डालना
777.	72		7222.30	- अन्य छड़ें और रोड्स	पार्टियों में पिंघला कर डालना
778.	72		7222.40	- कोण, आकार और खंड	पार्टियों में पिंघला कर डालना
779.	72	7223	7223.00	स्टेनलेस स्टील के तार	पार्टियों में पिंघला कर डालना
	72	7224		सिल्लियों या अन्य प्राथमिक रूपों में अन्य मिश्र धातु इस्पात; अन्य मिश्र धातु इस्पात के अर्द्ध-तैयार उत्पाद	
780.	72		7224.10	- सिल्लियां और अन्य प्राथमिक रूप	पार्टियों में पिंघला कर डालना
781.	72		7224.90	- अन्य	पार्टियों में पिंघला कर डालना
	72	7225		600 मिमी या उससे अधिक की चौड़ाई वाले अन्य मिश्र धातु स्टील के फ्लैट-रोल्ड उत्पाद	
782.	72		7225.11	- सिलिकॉन-इलेक्ट्रिकल स्टील का: अनाज- उन्मुख	पार्टियों में पिंघला कर डालना
783.	72		7225.19	- सिलिकॉन-इलेक्ट्रिकल स्टील का: अन्य	पार्टियों में पिंघला कर डालना
784.	72		7225.30	- अन्य, कॉइल्स में हॉट-रोल्ड से आगे काम नहीं किया गया	पार्टियों में पिंघला कर

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					डालना
785.	72		7225.40	- अन्य, कॉइल्स में नहीं, हॉट-रोल्ड से आगे काम नहीं किया गया	पार्टियों में पिंघला कर डालना
786.	72		7225.91	- अन्य: - जस्ता के साथ इलेक्ट्रोलाइटिक रूप से प्लेटिड या कोटिड	पार्टियों में पिंघला कर डालना
787.	72		7225.92	- अन्य: - जस्ता के साथ अन्यथा रूप से प्लेटिड या कोटिड	पार्टियों में पिंघला कर डालना
788.	72		7225.99	- अन्य: अन्य	पार्टियों में पिंघला कर डालना
	72	7226		600 मिमी से कम चौड़ाई वाले अन्य मिश्र धातु स्टील के फ्लैट-रोल्ड उत्पाद	
789.	72		7226.11	- सिलिकॉन-इलेक्ट्रिकल स्टील का: अनाज- उन्मुख	पार्टियों में पिंघला कर डालना
790.	72		7226.19	- सिलिकॉन-इलेक्ट्रिकल स्टील का: अन्य	पार्टियों में पिंघला कर डालना
791.	72		7226.20	- हाई स्पीड स्टील का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
792.	72		7226.91	- अन्य: हॉट-रोल्ड से आगे काम नहीं किया गया	पार्टियों में पिंघला कर डालना
793.	72		7226.92	- अन्य: कोल्ड-रोल्ड (कोल्ड रड्यूस्ड) से आगे काम नहीं किया गया	पार्टियों में पिंघला कर डालना
794.	72		7226.99	- अन्य: अन्य	पार्टियों में पिंघला कर डालना
	72	7227		छड़ें और रॉड, हॉट-रोल्ड, अनियमित रूप से लिपटे हुए कॉइल में, अन्य मिश्र धातु स्टील के	
795.	72		7227.10	- हाई स्पीड स्टील का	पार्टियों में पिंघला कर

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					डालना
796.	72		7227.20	- सिलिको-मैंगनीज स्टील का	पार्टियों में पिंघला कर डालना
797.	72		7227.90	- अन्य	पार्टियों में पिंघला कर डालना
	72	7228		अन्य मिश्र धातु इस्पात की अन्य छड़ें और रोड्स; अन्य मिश्र धातु इस्पात के कोण, आकार और खंड; मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात की खोखली ड्रिल छड़ें और रोड्स	
798.	72		7228.10	- छड़ें और रोड्स, उच्च गति वाले स्टील की	पार्टियों में पिंघला कर डालना
799.	72		7228.20	- छड़ें और रोड्स, सिलिको-मैंगनीज स्टील की	पार्टियों में पिंघला कर डालना
800.	72		7228.30	- अन्य छड़ें और रॉड्स, हॉट-रोल्ड, हॉट-ड्रॉ या एक्सटूडेड से आगे काम नहीं किया गया	पार्टियों में पिंघला कर डालना
801.	72		7228.40	- अन्य छड़ें और रोड्स, जाली से आगे काम नहीं किया गया	पार्टियों में पिंघला कर डालना
802.	72		7228.50	- अन्य छड़ें और रॉड्स, कोल्ड-फॉर्मेड या कोल्ड-फिनिश्ड की तुलना में आगे काम नहीं किया गया	पार्टियों में पिंघला कर डालना
803.	72		7228.60	- अन्य छड़ें और रोड्स	पार्टियों में पिंघला कर डालना
804.	72		7228.70	- कोण, आकार और खंड	पार्टियों में पिंघला कर डालना
805.	72		7228.80	- खोखली ड्रिल छड़ें और रोड्स	पार्टियों में पिंघला कर डालना
	72	7229		अन्य मिश्र धातु इस्पात के तार	
806.	72		7229.20	- सिलिको-मैंगनीज स्टील का	पार्टियों में

क्र.सं.	अध्याय	टैरिफ शीर्ष	टैरिफ उप- शीर्ष	उत्पाद का वर्णन	सहमत पीएसआर प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					पिंघला कर डालना
807.	72		7229.90	- अन्य	पार्टियों में पिंघला कर डालना

[फा. सं. 20000/2/2015-ओएसडी (आईसीडी)]

हरीश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2022

No. 112/2022-Customs (N.T.)

- **G.S.R. 897(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -
- **1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Customs Tariff (Determination of Origin of Goods under the India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the 29th day of December, 2022.
- **2. Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
- (a) "Agreement" means the India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement;
- (b) "aquaculture including mariculture" means the farming of aquatic organisms including fish, molluscs, crustaceans, other aquatic invertebrates and aquatic plants from seed stock, including seed stock imported from non-parties, such as eggs, fry, fingerlings, or larvae, by intervention in the rearing or growth processes to enhance production such as regular stocking, feeding, or protection from predators;
- (c) "CIF value or Cost, Insurance and Freight value" means the price actually paid or payable to the exporter for a good when the good is loaded out of the carrier, at the port of importation, including the cost of the good, insurance, and freight necessary to deliver the good to the named port of destination;
- (d) "competent authority" means the Department of Commerce, for India;
- (e) "customs administration" means,-
 - (i) the Department of Home Affairs and its successors, for Australia; and
 - (ii) the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), for India;
- (f) "Customs Valuation Agreement" means the Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, set out in Annex 1A to the WTO Agreement;
- (g) "days" means calendar days, including weekends and holidays;

- (h) **"FOB value or Free-On-Board value"** means the price actually paid or payable to the exporter for a good when the good is loaded onto the carrier at the named port of exportation, including the cost of the good and all costs necessary to bring the good onto the carrier;
- (i) **"fungible goods or materials"** means goods or materials that are interchangeable for commercial purposes and whose properties are essentially identical;
- (j) "GATT 1994" means the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, set out in Annex 1A of the WTO Agreement;
- (k) "Generally Accepted Accounting Principles" means those principles recognised by consensus or with substantial authoritative support in the territory of a Party with respect to the recording of revenues, expenses, costs, assets and liabilities; the disclosure of information; and the preparation of financial statements. These principles may encompass broad guidelines for general application, as well as detailed standards, practices and procedures;
- (l) "goods" means any merchandise, product, article or material;
- (m) "Harmonized System (HS)" means the Harmonized Commodity Description and Coding System defined in the International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System, including its General Rules of Interpretation, and legal notes which includes Section Notes and Chapter Notes, as adopted and implemented by the Parties in their respective laws;
- (n) **"indirect materials"** means a material used in the production, testing or inspection of a good but not physically incorporated into the good; or a material used in the maintenance of buildings or the operation of equipment, associated with the production of a good, including,-
 - (i) fuel, energy, catalysts and solvents;
 - (ii) equipment, devices and supplies used to test or inspect the good;
 - (iii) gloves, glasses, footwear, clothing, safety equipment and supplies;
 - (iv) tools, dies and moulds;
 - (v) spare parts and materials used in the maintenance of equipment and buildings;
 - (vi) lubricants, greases, compounding materials and other materials used in production or used to operate equipment and buildings; and
 - (vii) any other material that is not incorporated into the good but the use of which in the production of the good can reasonably be demonstrated to be a part of that production;
- (o) **"issuing body or authority (as appropriate)"** means the body or authority designated by each Party for issuance of Certificates of Origin, as notified from time to time;
- (p) "material" means a good that is consumed in the production, physically incorporated or used in the production of another good;
- (q) "non-originating good or non-originating material" means a good or material that does not qualify as originating in accordance with these rules, which includes a good or material of undetermined origin;
- (r) "originating good or originating material" means a good or material that qualifies as originating in accordance with these rules;
- (s) "packing materials and containers for transportation and shipment" means goods used to protect another good during its transportation, but does not include the packaging materials or containers in which a good is packaged for retail sale;
- (t) "Parties" means the Government of the Republic of India ("India") and the Government of Australia ("Australia");
- (u) "Party" means the Government of the Republic of India ("India") or the Government of Australia ("Australia");
- (v) "producer" means a person who engages in the production of a good;

- (w) **"production"** means operations including growing, cultivating, raising, mining, harvesting, fishing, trapping, hunting, capturing, collecting, breeding, extracting, aquaculture, gathering, manufacturing, processing or assembling a good;
- (x) **"preferential tariff treatment"** means the customs duty rate applicable to an originating good, pursuant to each Party's Tariff Commitments;
- (y) "qualifying value content (QVC)" means the qualifying value content of a good, expressed as a percentage;
- (z) "territory" means,-
 - (i) in respect of Australia, the territory of Australia,-
 - (A) excluding all external territories other than the Territory of Norfolk Island, the Territory of Christmas Island, the Territory of Cocos (Keeling) Islands, the Territory of Ashmore and Cartier Islands, the Territory of Heard Island and McDonald Islands, and the Coral Sea Islands Territory; and
 - (B) including Australia's territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone and continental shelf over which Australia exercises sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with international law including the United Nations Convention on the Law of the Sea, done at Montego Bay on 10th December, 1982; and
 - (ii) in respect of India, the territory of the Republic of India, in accordance with the Constitution of India, including its land territory, its territorial waters, and the airspace above it and other maritime zones including the Exclusive Economic Zone and continental shelf over which the Republic of India has sovereignty, sovereign rights, and/or exclusive jurisdiction, in accordance with its laws and regulations in force, and international law, including the United Nations Convention on the Law of the Sea, done at Montego Bay, 10th December, 1982;
- (za) "value of non-originating materials" means the value of non-originating materials, including materials of undetermined origin, used in the production of the good;
- (zb) "value of originating materials" means the value of originating materials used in the production of the good in the territory of one or both Parties;
- (zc) "WTO" means the World Trade Organization; and
- (zd) **"WTO Agreement"** means the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, done at Marrakesh on the 15th April, 1994.
- (2) For the purposes of these rules,-
 - (a) the basis for tariff classification is the Harmonized System; and
 - (b) any cost and value referred to in these rules shall be recorded and maintained in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles applicable in the territory of the Party in which the good is produced.
- **3. Originating Goods.-** Except as otherwise provided in these rules, a good shall be regarded as originating if it is,-
 - (a) wholly obtained or produced in the territory of one or both of the Parties, as provided for in rule 5; or
 - (b) produced entirely in the territory of one or both of the Parties, using non-originating materials, provided the good satisfies all applicable requirements of rule 4 or Product Specific Rules of Origin in Annexure-B.
- 4. **Goods not Wholly Produced or Obtained.** For goods that do not have originating status under clause (a) of rule 3 and are not covered under Annexure-B, a good shall be considered originating if all non-originating materials have undergone at least a change in tariff sub-heading (CTSH) level of the Harmonized System, and the QVC of the good is not less than thirty-five per cent. of the FOB value as per build-up formula or forty-five per cent. of the FOB value calculated as per build-down formula under rule 7:

Provided that the final production process of the manufacture of the good is performed within the territory of the exporting Party.

- **5. Wholly Obtained or Produced Goods.-** For the purposes of clause (a) of rule 3, the following goods shall be considered to be wholly obtained or produced in the territory of one or both of the Parties, namely:-
 - (a) plant and plant goods, including fruit, flowers, vegetables, trees, seaweed, fungi, algae and live plants grown and harvested, picked, or gathered there;
 - (b) live animals born and raised there;
 - (c) goods obtained from live animals born and raised there;
 - (d) goods obtained by hunting, trapping, fishing, aquaculture, gathering, or capturing there;
 - (e) minerals and other naturally occurring substances, not included in clauses (a) to (d), extracted or taken from the soil or waters, seabed or subsoil beneath the seabed there;
 - (f) fish, shellfish, and other marine life extracted or taken from the sea, seabed or subsoil beyond the outer limits of the territories of each Party and, in accordance with international law, outside the territorial sea of non-parties by vessels that are registered, listed or recorded with a Party and entitled to fly the flag of that Party;
 - (g) goods produced on board a factory ship registered, listed or recorded with a Party and entitled to fly the flag of that Party from the goods referred to in clause (f);
 - (h) goods other than fish, shellfish and other marine life extracted or taken from the sea-bed or subsoil beneath the sea-bed outside the territorial sea of a Party:

Provided that the Party has rights to exploit such sea-bed or subsoil beneath the sea-bed in accordance with relevant international law;

(i) waste and scrap derived from production or consumption there:

Provided that such goods are fit only for the recovery of raw materials, or for recycling purposes; and

- (j) goods produced in the territory of one or both Parties solely from products referred to in clauses (a) to (i) or from their derivatives at any stage of production.
- **6. Accumulation.-** Goods and materials originating exclusively in the territory of a Party under the terms of these rules, and incorporated in the production of a good in the territory of the other Party shall be considered to originate in the territory of the other Party.
- 7. Calculation of Qualifying Value Content.- (1) Where a qualifying value content requirement is specified in these rules, including related Annexures, to determine whether a good is originating, the qualifying value content shall be calculated using one of the following methods, namely:-
 - (a) **Build-Down Formula:** based on the value of non-originating materials

$$[\mathit{QVC} = \frac{\mathit{FOBValue-Value of Non Originating materials}}{\mathit{FOBValue}} x \ 100]$$

(b) **Build-up Formula:** based on the value of originating materials

$$[QVC = \frac{Value \ of \ Originating \ materials}{FOB \ Value} x \ 100]$$

- (2) All values for the purposes of calculating qualifying value content shall be determined in accordance with the Customs Valuation Agreement.
- (3) All costs shall be recorded and maintained in conformity with the Generally Accepted Accounting Principles applicable in the territory of a Party where the good is produced.
- (4) If a non-originating material is used in the production of a good, the following may be added to the value of originating materials in determining whether the good meets the QVC requirement,-
 - (a) the value of production of the non-originating materials undertaken in the territory of one or both Parties; and

- (b) the value of originating materials used in the production of the non-originating material in the territory of one or both Parties by one or more producers.
- (5) The value of the materials used in production shall be,-
 - (a) for imported materials, the CIF value;
 - (b) for materials obtained within the territory of a Party,-
 - (i) the price paid or payable by the producer in the Party where the producer is located;
 - (ii) the value as determined for an imported material in clause (a); or
 - (iii) the earliest ascertainable price paid or payable in the territory of the Party; and
 - (c) for materials that are self-produced, all the costs incurred in the production of the material, which includes general expenses.
- (6) For originating materials, the following expenses may be added to the value of the material, if not included under sub-rule (5),namely:-
 - (a) the costs of freight, insurance, packing, and other transport-related costs incurred in transporting the good to the location of the producer of the good;
 - (b) duties, taxes, and customs brokerage fees on the material, paid in the territory of a Party, other than duties that are waived, refunded, refundable, or otherwise recoverable, which includes credit against duty or tax paid or payable; and
 - (c) the cost of waste and spoilage resulting from the use of the material in the production of the good, less the value of reusable scrap or by-product.
- (7) For non-originating materials or materials of undetermined origin, the following expenses may be deducted from the value of the material, namely:-
 - (a) the costs of freight, insurance, packing, and other transport-related costs incurred in transporting the good to the location of the producer of the good;
 - (b) duties, taxes, and customs brokerage fees on the material, paid in the territory of a Party, other than duties that are waived, refunded, refundable, or otherwise recoverable, which includes credit against duty or tax paid or payable; and
 - (c) the cost of waste and spoilage resulting from the use of the material in the production of the good, less the value of reusable scrap or by-product.
- (8) Where the expenses listed in sub-rules (5) to (7) are unknown or evidence is not available, then no adjustment is allowed for those costs.
- **8. Minimal Operations.-** (1) Notwithstanding any provisions of these rules, the following operations when undertaken on non-originating materials to produce a good shall be considered as insufficient working or processing to confer on that good the status of an originating good, namely:-
 - (a) preserving operations to ensure that the good remains in good condition for the purposes of transport or storage;
 - (b) packaging or presenting goods for transportation or sale;
 - simple processes, consisting of sifting, screening, sorting, classifying, sharpening, cutting, slitting, grinding, bending, coiling, or uncoiling;
 - (d) for textiles: attaching accessory articles such as straps, beads, cords, rings and eyelets; ironing or pressing of textiles;
 - (e) affixing or printing of marks, labels, logos, or other like distinguishing signs on goods or their packaging;
 - (f) mere dilution with water or another substance that does not materially alter the characteristics of the good;
 - (g) disassembly of products into parts;

- (h) slaughtering of animals;
- (i) simple painting and polishing operations;
- (j) simple peeling, stoning, or shelling;
- (k) simple mixing of goods, whether or not of different kinds; or
- (1) any combination of two or more operations referred to in clauses (a) to (k).

Explanation.- For the purpose of this sub-rule (1),-

- (a) "simple" describes activities which need neither special skills nor machines, apparatus or equipment especially produced or installed for carrying out the activity.
- (b) "simple mixing" describes activities which need neither special skills nor machines, apparatus or equipment especially produced or installed for carrying out the activity. However, simple mixing does not include a chemical reaction. Chemical reaction means a process, including a biochemical process, which results in a molecule with a new structure, by breaking intra-molecular bonds and by forming new intra-molecular bonds, or by altering the spatial arrangement of atoms in a molecule.
- (c) "slaughtering" means the mere killing of animals.
- (2) All operations carried out in a Party on given good shall be considered together when determining whether the working or processing undergone by that good is to be regarded as insufficient within the meaning of sub-rule (1).
- 9. **De Minimis.-** (1) A good, except for those falling within chapters 50 to 63 of the Harmonized System, that does not satisfy a change in tariff classification pursuant to Annexure-B shall nonetheless be an originating good if the value of non-originating materials used in the production of the good does not exceed ten per cent. of the FOB value of the good as defined under rule 2 and the good meets all of the other applicable requirements in these rules.
- (2) A good classified in Chapters 50 to 63 of the Harmonized System that does not qualify as originating good because certain non-originating materials used in the production of the good do not fulfil the requirements set out in Annexure-B, shall nonetheless be an originating good if the total weight of all such material does not exceed ten per cent. of the total weight of that good.
- (3) If a good described in sub-rule (1) or (2) is also subject to a qualifying value content requirement, the value of those non-originating materials shall be included in the value of non-originating materials for the applicable qualifying value content requirement.
- 10. Treatment of Packaging Materials and Containers for Retail Sale. (1) Packaging materials and containers in which a good is packaged for retail sale, if classified with the good, shall be disregarded in determining whether the non-originating materials used in the production of the good have satisfied the applicable process or change in tariff classification requirement set out in Annexure- B, or whether the good is wholly obtained or produced.
- (2) If the good referred to in sub-rule (1) is subject to the qualifying value content requirement, the value of such packaging materials and containers shall be taken into account as value of the originating or non-originating materials, as the case may be, in calculating the qualifying value content of the good.
- 11. Treatment of Packing Materials and Containers for Transportation and Shipment.- Packing materials and containers for transportation and shipment of a good shall not be taken into account in determining whether the good is originating.
- **12. Accessories, Spare Parts and Tools.-** (1) The origin of the accessories, spare parts or tools presented with a good,-
 - (a) shall be disregarded if the good is subject to a change in tariff classification requirement or production process requirements for origin specified in Annexure-B; and
 - (b) shall be taken into account as originating or non-originating materials, as the case may be, in calculating the qualifying value content of the good, if the good is subject to a qualifying value content requirement.

- (2) Sub-rule (1) shall only apply where,-
 - (a) the accessories, spare parts, tools and instructional or other information materials presented with the good are not invoiced separately from the originating good; and
 - (b) the quantities and value of the accessories, spare parts, tools and instructional or other information materials presented with the good are customary for that good.
- **13. Indirect Materials.-** An indirect material shall be considered to be originating without regard to where it is produced.
- 14. Fungible Goods.- (1) Fungible goods or materials shall be treated as originating based on the,-
 - (a) physical separation of the good or material; or
 - (b) use of any inventory management method recognised in the Generally Accepted Accounting Principles of the Party where the production is performed, if originating and non-originating fungible goods or materials are commingled:

Provided that the inventory management method selected is used throughout the fiscal year of the person that selected the inventory management method.

- (2) An inventory management system under clause (a) of sub-rule (1) must ensure that no more goods or materials receive originating status than would have been the case if the fungible goods or materials had been physically segregated.
- **15. Consignment.-** (1) A good shall retain its originating status as determined under rule 3 if either of the following conditions have been met, namely:-
 - (a) the good has been transported directly from the exporting Party to the importing Party; or
 - (b) the good has been transported through one or more non-Parties:

Provided that the good has not undergone any subsequent production or other operation outside the territories of the Parties other than unloading, reloading, storing, repacking, relabelling in accordance with the laws and regulations of the importing Party, splitting up of loads, consolidation of loads or any other operation necessary to preserve it in good condition or to transport the good to the territory of a Party and the good has remained under customs control in the non-Parties.

- (2) Compliance with clause (b) of sub-rule (1) shall be evidenced by presenting the customs administration of the importing Party either with customs documents of the non-Parties, or with any other appropriate documentation on request of the customs administration of the importing Party.
- (3) Appropriate documentation referred to in sub-rule (2) may include commercial shipping or freight documents such as airway bills, bills of lading, multimodal or combined transport documents, a copy of the original commercial invoice in respect of the good, financial records, a non-manipulation certificate, or other relevant supporting documents as may be requested by the customs administration of the importing Party.
- **16. Certificate of Origin.-** (1) The Certificate of Origin shall be issued by an issuing body or authority, as appropriate, of an exporting Party, upon an application by an exporter, producer, or their authorised representative.
- (2) It shall bear an authorised signature and official seal of the issuing body or authority, as appropriate. The signature and seal shall be applied manually or electronically.
- (3) A Certificate of Origin shall:
 - (a) be in writing or electronic format;
 - (b) be in the English language;
 - (c) specify that the good is originating and meets the requirements of these rules;
 - (d) contain information, as set out in Annexure-A (Minimum Information Requirements) and presented in the same format as provided for in Annexure-A;
 - (e) remain valid for twelve months from the date on which it is completed or issued;

- (f) apply to single importation of one or multiple goods:
 - Provided that each good qualifies as an originating good separately in its own right; and
- (g) bear a unique Certificate of Origin number, affixed by the issuing body or authority, as appropriate, in the exporting Party.
- (4) A Certificate of Origin may indicate two or more invoices issued for single importation.
- **17. Certification Procedures.-** (1) The Certificate of Origin shall be forwarded by the exporter or producer to the importer. The customs administration may require the original copy.
- (2) Neither erasures nor superimposition shall be allowed on the Certificate of Origin. Any alterations shall be made by striking out the erroneous material and making any addition(s) that may be required. Such alterations shall be approved by a person authorised to sign the Certificate of Origin and certified by the appropriate issuing body or authority. A new certificate may be issued to replace the erroneous one. Unused spaces shall be crossed out to prevent any subsequent addition(s).
- (3) The Certificate of Origin shall be issued prior to or within five working days of the date of exportation. However, under exceptional cases, where a Certificate of Origin has not been issued at the time of exportation or within five working days from the date of shipment due to involuntary errors or omissions, or any other valid reasons, the Certificate of Origin may be issued retrospectively, bearing the words "ISSUED RETROSPECTIVELY" in the Certificate of Origin, with the issuing body or authority also recording the reasons in writing on the exceptional circumstances due to which the certificate was issued retrospectively. The Certificate of Origin can be issued retrospectively no later than twelve months from the date of shipment.
- (4) In cases of theft, loss or accidental destruction of a Certificate of Origin, the exporter, producer or an authorised representative thereof may, within the term of validity of the original Certificate of Origin, make a written request to the issuing body or authority that issued the original certificate for a certified copy. The certified copy shall bear the words "CERTIFIED TRUE COPY". The certified copy shall have the same term of validity as the original Certificate of Origin.
- 18. Application for Certificate of Origin. (1) For the issue of a Certificate of Origin, the exporter or producer of the goods shall present, or submit electronically through the approved channel, to the issuing body or authority of the exporting Party the following, namely:-
 - (a) an application, together with appropriate supporting information and documents for proving origin, including but not limited to, the breakup of costs and any other relevant elements such as profits;
 - (b) information outlined in Annexure-A and consistent with the description in the invoice; and
 - (c) the corresponding commercial invoice and other documents necessary to establish the origin of the good.
- (2) Multiple items declared on the same Certificate of Origin shall be allowed:

Provided that each item must qualify separately in its own right.

- (3) Each Party may, in accordance with its domestic procedures and if it deems appropriate, allow its issuing body or authority to apply a risk management system to selectively conduct pre-export verification of the minimum information requirements filed by an exporter or producer.
- (4) The issuing body or authority, as appropriate, may, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for a Certificate of Origin to ensure that,-
 - (a) the application has been duly completed and signed by the authorised signatory;
 - (b) the origin of the good is in conformity with the requirements of these rules; and
 - (c) the information furnished in the Certificate of Origin corresponds to supporting information and documents submitted.

19. Non-Party Invoicing.- (1) An importing Party shall not deny a claim for preferential tariff treatment for the sole reason that an invoice was not issued by the exporter or producer:

Provided that the goods meet the requirements of these rules.

- (2) The exporter of the goods shall indicate "non-party invoicing" and the name, address, and country of the company issuing the invoice shall appear in a separate column in the Certificate of Origin.
- **20.** Authorities.- (1) The Certificate of Origin shall be issued by an issuing body or authority, as appropriate.
- (2) Each Party shall, within thirty days of the date of entry into force of these rules, inform the customs administration of the other Party of the issuing body or authority, as appropriate, and contact details of the authorised persons of such body or authority, designated to issue Certificates of Origin under these rules.
- (3) The Parties shall exchange specimen seals and signatures of the authorised signatories issuing Certificates of Origin.
- (4) Each Party shall promptly notify the other Party of any change to its issuing body or authority, as appropriate, and the names, designations, addresses, specimen signatures of authorised persons or seals of such issuing body or authority.
- 21. Claims for Preferential Tariff Treatment.- (1) Except as otherwise provided in rule 28, each Party shall grant preferential tariff treatment in accordance with these rules to an originating good on the basis of a Certificate of Origin.
- (2) Unless otherwise provided in these rules, for the purposes of claiming preferential tariff treatment, an importing Party shall provide that an importer,-
 - (a) make a declaration that the good qualifies as an originating good;
 - (b) have a valid Certificate of Origin in its possession at the time the declaration referred to in clause (a) is made;
 - (c) provide a copy of the Certificate of Origin to the importing Party if required by the Party; and
 - (d) if required by an importing Party, demonstrate that the requirements in rule 15 have been satisfied.
- (3) An importing Party may require that an importer who claims preferential tariff treatment shall provide documents and other information to support the claim.
- **22. Record Keeping Requirements.-** (1) Each Party shall require that,-
 - (a) its exporters, producers and issuing bodies or authorities, as appropriate, retain for at least five years from the date of issuance of the Certificate of Origin, or a longer period in accordance with its relevant laws and regulations, all records necessary to prove that the good for which the Certificate of Origin was issued was originating; and
 - (b) its importers retain, for at least five years from the date of importation of the good, or a longer period in accordance with its relevant laws and regulations, all records necessary to prove that the good for which preferential tariff treatment was claimed was originating.
- (2) The records referred to in sub-rule (1) may be maintained in any medium that allows for prompt retrieval, including in digital, electronic, optical, magnetic, or written form, in accordance with the Party's laws and regulations.
- 23. Waiver of Certificate of Origin.- A Certificate of Origin shall not be required if the importing Party has waived the requirement or does not require the importer to present a Certificate of Origin, as per their national laws.
- **24. Obligations of Exporter or Producer.-** (1) The exporter or producer shall submit the minimum information requirements, as referred to in Annexure-A, and supporting information and documents, as referred to in rule 18 for the issuance of a Certificate of Origin pursuant to the procedure established by the issuing body or authority, as appropriate, in the exporting Party, consistent with the provisions of these rules.

- (2) Any exporter or producer who incorrectly represents any material information relevant to the determination of origin of a good may be liable to be penalised under the laws and regulations of the exporting Party.
- (3) The exporter or producer shall keep the minimum required information, and supporting documents for a period no less than five years, starting from the end of the year of the date of issue of the Certificate of Origin.
- (4) For the purpose of determination of origin, the exporter or producer applying for a Certificate of Origin under these rules shall maintain appropriate commercial accounting records for the production and supply of goods (as well as relevant records and documents from the suppliers) qualifying for preferential treatment and keep all commercial and customs documentation relating to the material(s) used in the production of the good, including but not limited to breakup of costs relating to material(s), labour, other overheads and any other relevant elements such as profits and related components for at least five years from the date of issue of the Certificate of Origin. The exporter or producer shall, upon request of the issuing body or authority, of the exporting Party or the customs administration of the importing Party, make available records for inspection to enable verification of the origin of the good.
- (5) If the exporter or producer has reason(s) to believe that the Certificate of Origin is based on incorrect information that could affect the accuracy or validity of the Certificate of Origin, they shall be obliged to immediately notify the importer, the issuing body or authority and the customs administration of the importing Party in writing of any change affecting the originating status of each good to which the Certificate of Origin applies.
- **25. Post Importation Claim for Preferential Tariff Treatment.-** (1) An importer may apply for preferential tariff treatment and a refund of any excess duties paid for a good if the importer did not make a claim for preferential tariff treatment at the time of importation:

Provided that the good would have qualified for preferential tariff treatment when it was imported into its territory.

- (2) As a condition for preferential tariff treatment under sub-rule (1), the importing Party may require that the importer, not later than twelve months after the date of importation or a longer period if specified in the importing Party's laws and regulations, to,-
 - (a) make a claim for preferential tariff treatment;
 - (b) where applicable, provide a copy of Certificate of Origin; and
 - (c) provide such other documentation relating to the importation of the good as the importing Party may require.
- (3) If the importer has reason(s) to believe that the claim for preferential tariff treatment is based on incorrect information that could affect the accuracy or validity of the Certificate of Origin, the importer shall correct the importation document, and pay any customs duty and, if applicable, penalties owed.
- (4) When considering imposing a penalty in relation to a claim for preferential tariff treatment, the customs administrations of the Parties are encouraged to consider a voluntary notification given prior to the discovery of that error by the Party and in accordance with sub-rule (3) or sub-rule (5) of rule 24, as a mitigating factor:

Provided that in the case of a notification given by an importer, the importer corrects the error and repays any duties owed.

26. Verification of Origin.-

Initiating a verification of origin

- (1) For the purposes of determining whether goods imported into the territory of a Party from the territory of the other Party qualify as originating goods, the customs administration of the importing Party may conduct a verification process by proceeding in sequence, when required, with,-
 - (a) a written request or written requests for information from the importer of the good;
 - (b) a written request or written requests for information from the competent authority and issuing body or authority, as appropriate, of the exporting Party where the customs administration of the importing Party considers the information obtained under clause (a) is not sufficient to make a determination and requires additional information including the breakup of costs and any other relevant elements such as profits;

- (c) a written request or written requests for information from the exporter or producer of the goods, where the customs administration of the importing Party considers the information obtained under clause (a) and (b) is not sufficient to make a determination and requires additional information including the breakup of costs and any other relevant elements such as profits for the determination of origin of the good under rule 3 and rule 4 irrespective of the method adopted under rule 7;
- (d) visits to the premises of an exporter or a producer in the territory of another Party; or
- (e) any other procedures to which the Parties may agree.
- (2) A verification under sub-rule (1) may be conducted at the time that the customs import declaration is lodged, or before or after the release of the good by the customs administration of the importing Party.
- (3) For the purposes of clause (b) of sub-rule (1), the customs administration of the importing Party,-
 - (a) may request the competent authority or the issuing body or authority, as appropriate, of the exporting Party to assist it in verifying,-
 - (i) the authenticity of a Certificate of Origin;
 - (ii) the accuracy of any information contained in the Certificate of Origin; or
 - (iii) the authenticity and accuracy of the supporting information and documents, which may relate to the breakup of costs and any other relevant elements such as profits for the determination of origin of the good under rule 4 irrespective of the method adopted; and
 - (b) shall provide the competent authority or the issuing body or authority, as appropriate, with,-
 - (i) the reasons why such assistance is sought;
 - (ii) the Certificate of Origin, or a copy thereof; and
 - (iii) any information and documents as may be necessary for the purpose of providing such assistance.
- (4) Where a written request is made under clause (c) of sub-rule (1), the customs administration of the importing Party shall,-
 - (a) ensure that the information requested is limited to information pertaining to the fulfilment of the requirements of these rules as follows,-
 - (i) Certificate of Origin;
 - (ii) information supporting a claim that the good is originating under rule 3;
 - (iii) information on any tolerances relied on under rule 9; and
 - (iv) information confirming compliance with the non-alteration provisions under rule 15;
 - (b) allow the exporter or producer at least thirty days from the date of receipt of the request to provide the requested information; and
 - (c) notify the customs administration of the exporting Party of the request.

Release of goods subject to verification

- (5) During verification, the importing Party shall allow the release of the good, subject to payment of any duties or provision of any security as provided for in its laws and regulations. If as a result of the verification, the importing Party determines that the good is an originating good, it shall grant preferential tariff treatment to the good and refund any excess duties paid or release any security provided, unless the security also covers other obligations as provided for in the Party's laws and regulations.
- **27. Procedure for Verification.-** (1) Any request for information made by the customs administration of the importing Party pursuant to rule 26 shall be in accordance with the following procedures, namely:-

- (a) if requested, the issuing body or authority, as appropriate, of the exporting Party shall provide the following information within ninety days,-
 - (i) a confirmation pertaining to the authenticity or otherwise of the Certificate of Origin along with a copy of the minimum required information; and
 - (ii) if the request is on the grounds of suspicion of the accuracy of the determination of origin of the good, this period can be extended for a period of no more than sixty days;
- (b) if the importing Party is not satisfied with the verification undertaken in accordance with clause (a) to (c) of sub-rule (1) of rule 26, it may, under exceptional circumstances, request the exporter or producer for a verification visit. The importing Party shall notify in writing the exporter or producer whose premises are to be visited, the issuing body or authority, the customs administration of the exporting Party and the importer of its intention to conduct the verification visit.
- (2) The importing Party shall obtain the written consent of the exporter or producer whose premises are to be visited. When a written consent from the exporter or producer is not received within thirty days of receipt of the written request, the importing Party may deny preferential treatment on goods subject to the verification visit.
- (3) The written notification shall include the name of the exporter or producer whose premises are to be visited, the proposed date and time of visit, the purpose for the visit, reference to the goods subjected to verification, and a list of officials participating and their designations.
- (4) The exporter or producer shall identify two or more independent witnesses to be present during the verification visit.
- (5) The importing Party conducting the verification visit shall provide the exporter or producer as well as the issuing body or authority of the exporting Party with a written determination of whether the good qualifies as an originating good.
- (6) The verification visit process including the actual visit and notification of written determination of the origin of the good shall be completed within a maximum period of six months from the date when the verification visit was conducted.

Completion of verification procedure

- (7) The customs administration of the importing Party shall,-
 - (a) endeavour to make a determination following a verification as expeditiously as possible and in accordance with its laws and regulations; and
 - (b) provide the importer with a written determination of whether the good is originating that includes the basis for the determination.
- **28. Denial of Preferential Tariff Treatment.-** (1) The importing Party may deny a claim for preferential tariff treatment if,-
 - (a) it determines that the good does not qualify as originating within the terms of these rules or does not satisfy the requirement(s) of these rules;
 - (b) pursuant to a verification under rule 26, it has not received sufficient information, including minimum required information as provided in Annexure-A, to determine that the good qualifies as originating;
 - (c) the exporter or producer fails to respond to or refuses a written request for information in accordance with rule 26;
 - (d) the exporter or producer fails to comply with any of the relevant requirements for obtaining preferential tariff treatment;
 - (e) the exporter or producer or the issuing bodies or authorities, as appropriate, of the exporting Party fail to provide sufficient information and documents, within the timelines specified in clause (b) of sub-rule (4) of rule 26 or sub-rule (1) of rule 27. This may include but not be limited to the breakup of costs and any other relevant elements such as profits

- that the importing Party requested in order to determine that the good qualifies as originating, pursuant to initiation of verification under rule 26; or
- (f) the exporter or producer fails to give consent or respond to a request for a verification visit within thirty days of receipt of a request pursuant to sub-rule (2) of rule 27.
- (2) If an importing Party denies a claim for preferential tariff treatment, it shall issue a determination to the exporter or producer that includes the reasons for the determination.
- 29. Temporary Suspension of Preferential Treatment.- (1) The importing Party may suspend the tariff preference in respect of a good originating in the exporting Party, when the suspension is justified due to persistent failure to comply with the provisions of these rules by an exporter or producer or a persistent failure on part of the competent authority or the issuing bodies or authorities, as appropriate, of the exporting Party to respond to a request for verification.
- (2) Upon receipt of the notification of suspension, the exporting Party may request consultations through the Joint Technical Subcommittee established under the Agreement.
- (3) Pursuant to consultations between the Parties, and such measures as the Parties may agree, the Parties may resolve to extend preferential benefit to the good with retrospective or prospective effect.
- **30. Non-compliance of Goods with Rules of Origin and Penalties.-** (1) If the verification under rule 26 establishes non-compliance of the goods with the rules of origin, duties shall be levied in accordance with the laws and regulations of the importing Party.
- (2) Each Party shall also adopt or maintain measures that provide for the imposition of civil, administrative, and, where appropriate, criminal sanctions for violations of its customs laws and regulations, including those governing rules of origin, and the entitlement to preferential tariff treatment under these rules.
- 31. Goods in Transport or Storage.- In accordance with rule 25, the customs administration of the importing Party shall grant preferential tariff treatment for an originating good of the exporting Party which, on the date of entry into force of these rules,-
 - (a) is in the process of being transported from the exporting Party to the importing Party; or
 - (b) has not been released from customs control, including an originating good stored in a bonded warehouse regulated by the customs administration of the importing Party.
- **32. Minor Discrepancies or Errors.-** A Party shall not reject a Certificate of Origin due to minor errors or discrepancies, such as slight discrepancies between documents, minor omissions of information, spelling, typing or formatting errors, or protrusions from the designated field:

Provided that these minor discrepancies or errors do not create doubt as to the originating status of the good.

ANNEXURE - A

[see clause (d) of sub-rule (3) of rule 16]

Minimum Required Information

1.	Exporter's Name, Address, and Country:	Certification No. Number of pages			
2.	Producer's Name, Address, and Country:	INDIA-AUSTRALIA ECONOMIC COOPERATION AND TRADE AGREEMENT CERTIFICATE OF ORIGIN			
3.	Importer or Consignee's Name, Address, and Country:				
4.	Transport details:				
5.	Item number (as necessary); Marks and numbers; Number and kind of packages; Description of good(s); HS Code (six-digit level)	6. ORIGIN criterion (see overleaf note) Cumulation (if applicable)	7. Gross Weight or other Quantity 8. Invoice number (s) and date(s)		

9. Remarks: (if applicable) ☐ ISSUED RETROSPECTIVELY	10. Non-Party Invoicing Name, Address, and Country (if applicable)
11. Declaration by the exporter:	12. Certification
I, the undersigned, declare that:	It is hereby certified, on the basis of control carried
- the above details and statement are true and	out, that the declaration by the exporter is correct.
accurate;	Export Document Number:
- the good(s) described above meet the	Issuing Authority:
condition(s) required for the issuance of this	[Stamp]
certificate; and	Place and Date:
- the country of origin of the good(s) described	Signature:
above is:	
Place and Date:	
Signature:	
Name (printed):	
Company:	

Overleaf Notes -

- 1. The following origin criterion code should be inserted in Box 6:
 - (i) "WO" for wholly obtained or produced goods as provided in rule 5.
 - (ii) For goods that qualify originating status under product specific rules as provided in Annexure-B read with clause (b) of rule 3:
 - (a) "WO" for goods listed as "WO" in Annexure-B; or
 - (b) "PSR" for all other goods listed in Annexure-B.
 - (iii) For goods that qualify originating status under rule 4, "CTSH + QVC 35 Build-up" or "CTSH + QVC 45 Build-down", as the case may be.
 - (iv) There is no need to indicate '%' sign while writing qualifying value content in Box 6.
- 2. In Box 12, "Export Document Number" is applicable only for retrospective issuance of certificate of origin and following should be inserted:
 - (i) Shipping Bill (Export Declaration) Number and date; or
 - (ii) Bill of lading/ Airway Bill Number and date.

ANNEXURE - B

[see clause (b) of rule 3]

PRODUCT SPECIFIC RULES OF ORIGIN

Section A Headnotes to the Annexure

- 1. For the purposes of this Annexure,-
 - (a) **"chapter"** means the first two digits of the tariff classification number under the Harmonized System;
 - (b) "heading" means the first four digits of the tariff classification number under the Harmonized System;
 - (c) "section" means a section of the Harmonized System; and
 - (d) **"sub-heading"** means the first six digits of the tariff classification number under the Harmonized System.
- 2. The product specific rule, or set of product specific rules, that applies to a particular sub-heading is set out immediately adjacent to the sub-heading. All HS codes not listed in this Annex are subject to the general rule outlined in sub-rule (1) of rule 4.

- 3. A requirement of a change in tariff classification applies only to non-originating materials.
- 4. If a chapter, heading or sub-heading is excluded as part of a change in tariff classification rule, it means that non-originating materials of that chapter, heading or sub-heading may not be used to meet the change in tariff classification rule. All materials that are excluded must be originating goods.
- 5. Where a heading or sub-heading is subject to alternative product specific rules, the requirements of this Annexure will be considered to be satisfied if a good satisfies one of the alternative rules.
- 6. If a good is subject to a product specific rule that includes multiple requirements, the requirements of this Annexure will be considered to be satisfied for that good only if the good satisfies all applicable requirements.
- 7. For the purposes of Section B of this Annexure,-
 - (a) **"WO"** means that good must be wholly obtained in the territory of one or both of the Parties within the meaning of rule 5;
 - (b) "CC" means that all non-originating materials used in the production of the good have undergone a change in tariff classification at the two-digit level;
 - (c) "CTH" means that all non-originating materials used in the production of the good have undergone a change in tariff classification at the four-digit level;
 - (d) "CTSH" means that all non-originating materials used in the production of the good have undergone a change in tariff classification at the six-digit level;
 - (e) "QVC (X)" means that the good must have a qualifying value content as calculated under rule 7 of not less than (X) per cent whether using the build-up method or build-down method; and
 - (f) "melt and pour" in one or both of the Parties means that the product must have been melted and poured in one or both of the Parties wherein the raw material is first produced in an iron or steel-making furnace in a liquid state, and then poured into its first solid shape.

Section B: Product Specific Rules

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	CHAPTER 1			LIVE ANIMALS	
	1	0101		Live horses, asses, mules and hinnies	
1.	1		0101.21	- Horses: pure-bred breeding animals	WO
2.	1		0101.29	- Horses: other	WO
3.	1		0101.30	- Asses	WO
4.	1		0101.90	- Other	WO
	1	0102		Live bovine animals	
5.	1		0102.21	- Cattle: pure-bred breeding animals	WO
6.	1		0102.29	- Cattle: other	WO
7.	1		0102.31	- Buffalo: pure-bred breeding animals	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	1		0102.39	- Buffalo: other	WO
9.	1		0102.90	- Other	WO
	1	0103		Live swine	
10.	1		0103.10	- Pure-bred breeding animals	WO
11.	1		0103.91	- Other: weighing less than 50 kg	WO
12.	1		0103.92	- Other: weighing 50 kg or more	WO
	1	0104		Live sheep and goats	
13.	1		0104.10	- Sheep	WO
14.	1		0104.20	- Goats	WO
	1	0105		Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls	
15.	1		0105.11	- Weighing not more than 185 g: fowls of the species Gallus domesticus	WO
16.	1		0105.12	- Weighing not more than 185 g: turkeys	WO
17.	1		0105.13	- Weighing not more than 185 g: ducks	WO
18.	1		0105.14	- Weighing not more than 185 g: geese	WO
19.	1		0105.15	- Weighing not more than 185 g: guinea fowls	WO
20.	1		0105.94	- Other: fowls of the species Gallus domesticus	WO
21.	1		0105.99	- Other: other	WO
	1	0106		Other live animals	
22.	1		0106.11	- Mammals: primates	WO
23.	1		0106.12	- Mammals: whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)	WO
24.	1		0106.13	- Mammals: camels and other camelids (Camelidae)	WO
25.	1		0106.14	- Mammals: rabbits and hares	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26.	1		0106.19	- Mammals: other	WO
27.	1		0106.20	- Reptiles (including snakes and turtles)	WO
28.	1		0106.31	- Birds: birds of pray	WO
29.	1		0106.32	- Birds: psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos)	WO
30.	1		0106.33	- Birds: ostriches; emus (Dromaius novaehollandiae)	WO
31.	1		0106.39	- Birds: other	WO
32.	1		0106.41	- Insects: bees	WO
33.	1		0106.49	- Insects: other	WO
34.	1		0106.90	- Other	WO
	2			MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	
	2	0201		Meat of bovine animals, fresh or chilled	
35.	2		0201.10	- Carcasses and half-carcasses	WO
36.	2		0201.20	- Other cuts with bone in	WO
37.	2		0201.30	- Boneless	WO
	2	0202		Meat of bovine animals, frozen	
38.	2		0202.10	- Carcasses and half-carcasses	WO
39.	2		0202.20	- Other cuts with bone in	WO
40.	2		0202.30	- Boneless	WO
	2	0203		Meat of swine, fresh, chilled or frozen	
41.	2		0203.11	- Fresh or chilled: carcasses and half-carcasses	WO
42.	2		0203.12	- Fresh or chilled: hams, shoulders and cuts thereof, with bone in	WO
43.	2		0203.19	- Fresh or chilled: other	WO
44.	2		0203.21	- Frozen: carcasses and half-carcasses	WO
45.	2		0203.22	- Frozen: hams, shoulders and cuts thereof, with bone in	WO
46.	2		0203.29	- Frozen: other	WO

(1) (2) (3) (4) (5) (6)	Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
Chilled or frozen Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilled: carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilled: carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilled: carcasses and half-carcasses of lamb, frozen WO chilled: boneless WO chilled: bone	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0204			
Chilled: carcasses and half-carcasses	47.	2		0204.10		WO
Chilled: other cuts with bone in Solution Chilled: other cuts with bone in WO	48.	2		0204.21	chilled: carcasses and half-	WO
Chilled: boneless	49.	2		0204.22	•	WO
S2. 2 0204.41 - Other meat of sheep, frozen: wo carcasses and half-carcasses WO	50.	2		0204.23		WO
	51.	2		0204.30		WO
Cuts with bone in Cuts with bone in Cuts with bone in Cuts with bone in	52.	2		0204.41	•	WO
boneless boneless	53.	2		0204.42		WO
2	54.	2		0204.43	_	WO
Swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen	55.	2		0204.50	- Meat of goats	WO
hinnies, fresh, chilled or frozen		2	0205		swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or	
swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen 57. 2 0206.10 - Of bovine animals, fresh or chilled WO 58. 2 0206.21 - Of bovine animals, frozen: woo tongues WO 59. 2 0206.22 - Of bovine animals, frozen: livers WO 60. 2 0206.29 - Of bovine animals, frozen: other WO 61. 2 0206.30 - Of swine, fresh or chilled WO 62. 2 0206.41 - Of swine, frozen: livers WO 63. 2 0206.49 - Of swine, frozen: other WO	56.	2		0205.00		WO
58. 2 0206.21 - Of bovine animals, frozen: tongues WO 59. 2 0206.22 - Of bovine animals, frozen: livers WO 60. 2 0206.29 - Of bovine animals, frozen: other WO 61. 2 0206.30 - Of swine, fresh or chilled WO 62. 2 0206.41 - Of swine, frozen: livers WO 63. 2 0206.49 - Of swine, frozen: other WO		2	0206		swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or	
tongues 59. 2 0206.22 - Of bovine animals, frozen: livers WO 60. 2 0206.29 - Of bovine animals, frozen: other WO 61. 2 0206.30 - Of swine, fresh or chilled WO 62. 2 0206.41 - Of swine, frozen: livers WO 63. 2 0206.49 - Of swine, frozen: other WO	57.	2		0206.10	- Of bovine animals, fresh or chilled	WO
60. 2 0206.29 - Of bovine animals, frozen: other WO 61. 2 0206.30 - Of swine, fresh or chilled WO 62. 2 0206.41 - Of swine, frozen: livers WO 63. 2 0206.49 - Of swine, frozen: other WO	58.	2		0206.21	·	WO
61. 2 0206.30 - Of swine, fresh or chilled WO 62. 2 0206.41 - Of swine, frozen: livers WO 63. 2 0206.49 - Of swine, frozen: other WO	59.	2		0206.22	- Of bovine animals, frozen: livers	WO
62. 2 0206.41 - Of swine, frozen: livers WO 63. 2 0206.49 - Of swine, frozen: other WO	60.	2		0206.29	- Of bovine animals, frozen: other	WO
63. 2 0206.49 - Of swine, frozen: other WO	61.	2		0206.30	- Of swine, fresh or chilled	WO
	62.	2		0206.41	- Of swine, frozen: livers	WO
64. 2 0206.80 - Other, fresh or chilled WO	63.	2		0206.49	- Of swine, frozen: other	WO
	64.	2		0206.80	- Other, fresh or chilled	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
65.	2		0206.90	- Other, frozen	WO
	2	0207		Meat and edible offal, of the poultry of heading 0105, fresh, chilled or frozen	
66.	2		0207.11	- Of fowls of the species Gallus domesticus: not cut in pieces, fresh or chilled	WO
67.	2		0207.12	- Of fowls of the species Gallus domesticus: not cut in pieces, frozen	WO
68.	2		0207.13	- Of fowls of the species Gallus domesticus: cuts and offal, fresh or chilled	WO
69.	2		0207.14	- Of fowls of the species Gallus domesticus: cuts and offal, frozen	WO
70.	2		0207.24	- Of turkeys: not cut in pieces, fresh or chilled	WO
71.	2		0207.25	- Of turkeys: not cut in pieces, frozen	WO
72.	2		0207.26	- Of turkeys: cuts and offal, fresh or chilled	WO
73.	2		0207.27	- Of turkeys: cuts and offal, frozen	WO
74.	2		0207.41	- Of ducks: not cut in pieces, fresh or chilled	WO
75.	2		0207.42	- Of ducks: not cut in pieces, frozen	WO
76.	2		0207.43	- Of ducks: fatty livers, fresh or chilled	WO
77.	2		0207.44	- Of ducks: other, fresh or chilled	WO
78.	2		0207.45	- Of ducks: other, frozen	WO
79.	2		0207.51	- Of geese: not cut in pieces, fresh or chilled	WO
80.	2		0207.52	- Of geese: not cut in pieces, frozen	WO
81.	2		0207.53	- Of geese: fatty livers, fresh or chilled	WO
82.	2		0207.54	- Of geese: other, fresh or chilled	WO
83.	2		0207.55	- Of geese: other, frozen	WO
84.	2		0207.60	- Of guinea fowls	WO
	2	0208		Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen	

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
85.	2		0208.10	- Of rabbits or hares	WO
86.	2		0208.30	- Of primates	WO
87.	2		0208.40	- Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)	WO
88.	2		0208.50	- Of reptiles (including snakes and turtles)	WO
89.	2		0208.60	- Of camels and other camelids (Camelidae)	WO
90.	2		0208.90	- Other	WO
	2	0209		Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked	
91.	2		0209.10	- Of pigs	WO
92.	2		0209.90	- Other	WO
	2	0210		Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal	
93.	2		0210.11	- Meat of swine: hams, shoulders and cuts thereof, with bone in	WO
94.	2		0210.12	- Meat of swine: bellies (streaky) and cuts thereof	WO
95.	2		0210.19	- Meat of swine: other	WO
96.	2		0210.20	- Meat of bovine animals	WO
97.	2		0210.91	- Other, including edible flours and meals of meat or meat offal: of primates	WO
98.	2		0210.92	- Other, including edible flours and meals of meat or meat offal: of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
99.	2		0210.93	- Other, including edible flours and meals of meat or meat offal: of reptiles (including snakes and turtles)	WO
100.	2		0210.99	- Other, including edible flours and meals of meat or meat offal: other	WO
	CHAPTER 3			FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES	
	3	0301		Live fish	
101.	3		0301.11	- Ornamental fish: freshwater	WO
102.	3		0301.19	- Ornamental fish: other	WO
103.	3		0301.91	- Other live fish: trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)	WO
104.	3		0301.92	- Other live fish: eels (Anguilla spp.)	WO
105.	3		0301.93	- Other live fish: Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)	WO
106.	3		0301.94	- Other live fish: Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)	WO
107.	3		0301.95	- Other live fish: southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)	WO
108.	3		0301.99	- Other live fish: Other	WO
	3	0302		Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304	
109.	3		0302.11	- Salmonidae, excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)	
110.	3		0302.13	- Salmonidae, excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)	WO
111.	3		0302.14	- Salmonidae, excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)	WO
112.	3		0302.19	- Salmonidae, excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Other	WO
113.	3		0302.21	- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)	WO
114.	3		0302.22	- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Plaice (Pleuronectes platessa)	WO
115.	3		0302.23	- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Sole (Solea spp.)	WO
116.	3		0302.24	- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Turbots (Psetta maxima)	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
117.	3		0302.29	- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Other	WO
118.	3		0302.31	- Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)	WO
119.	3		0302.32	- Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Yellowfin tunas (Thunnus albacares)	WO
120.	3		0302.33	- Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Skipjack or stripe-bellied bonito	WO
121.	3		0302.34	- Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Bigeye tunas (Thunnus obesus)	WO
122.	3		0302.35	- Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)	WO
123.	3		0302.36	- Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
124.	3		0302.39	- Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Other	WO
125.	3		0302.41	- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)	WO
126.	3		0302.42	- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				affinis), bonitos (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Anchovies (Engraulis spp.)	
127.	3		0302.43	- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus)	WO
128.	3		0302.44	- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)	
129.	3		0302.45	- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Jack and horse mackerel (Trachurus spp.)	WO
130.	3		0302.46	- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Cobia (Rachycentron canadum)	
131.	3		0302.47	- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Swordfish (Xiphias cladius)	WO
132.	3		0302.49	- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Other	
133.	3		0302.51	- Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)	WO
134.	3		0302.52	- Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Haddock (Melanogrammus aeglefinus)	WO
135.	3		0302.53	- Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Coalfish (Pollachius virens)	WO
136.	3		0302.54	- Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)	WO
137.	3		0302.55	- Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae,	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Alaska Pollack (Theragra chalcogramma)	
138.	3		0302.56	- Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)	WO
139.	3		0302.59	- Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Other	WO
140.	3		0302.71	- Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Tilapias (Oreochromis spp.)	WO
141.	3		0302.72	- Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding edible fish offal of	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				subheading 0302.91 to 0302.99: Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clatias spp., Ictalurus spp.)	
142.	3		0302.73	- Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)	WO
143.	3		0302.74	- Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Eels (Anguilla spp.)	WO
144.	3		0302.79	- Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Other	
145.	3		0302.81	- Other fish, excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Dogfish and other sharks	WO
146.	3		0302.82	- Other fish, excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Rays and skates (Rajidae)	WO
147.	3		0302.83	- Other fish, excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Toothfish (Dissostichus spp.)	WO
148.	3		0302.84	- Other fish, excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Seabass (Dicentrarchus spp.)	WO
149.	3		0302.85	- Other fish, excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Seabream (Sparidae)	WO
150.	3		0302.89	- Other fish, excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: Other	WO
151.	3		0302.91	- Livers, roes, milt, fish fins, heads, tails, maws and other edible fish offal: Livers, roes and milt	WO
152.	3		0302.92	- Livers, roes, milt, fish fins, heads, tails, maws and other edible fish offal: Shark fins	WO
153.	3		0302.99	- Livers, roes, milt, fish fins, heads, tails, maws and other edible fish offal: Other	WO
	3	0303		Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304	
154.	3		0303.11	- Salmonidae, excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0302.99: Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka)	WO
155.	3		0303.12	- Salmonidae, excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0302.99: Other Pacific salmon	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(Orcorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorthynchus kisutch, Oncorthynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)	
156.	3		0303.13	- Salmonidae, excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)	WO
157.	3		0303.14	- Salmonidae, excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0302.99: Trout (Salmo trutts, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)	WO
158.	3		0303.19	- Salmonidae, excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0302.99: Other	WO
159.	3		0303.23	- Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Tilapias (Oreochromis spp.)	WO
160.	3		0303.24	- Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus)	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				and snakeheads (Channa spp.), excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)	
161.	3		0303.25	- Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)	WO
162.	3		0303.26	- Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Eels (Anguilla spp.)	WO
163.	3		0303.29	- Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Other	
164.	3		0303.31	- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)	WO
165.	3		0303.32	- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Plaice (Pleuronectes platessa)	WO
166.	3		0303.33	- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Sole (Solea spp.)	WO
167.	3		0303.34	- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Turbots (Psetta maxima)	WO
168.	3		0303.39	- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Other	WO
169.	3		0303.41	- Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
170.	3		0303.42	- Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Yellowfin tunas (Thunnus albacares)	WO
171.	3		0303.43	- Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Skipjack or stripe-bellied bonito	WO
172.	3		0303.44	- Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Bigeye tunas (Thunnus obesus)	WO
173.	3		0303.45	- Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)	WO
174.	3		0303.46	- Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)	WO
175.	3		0303.49	- Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Other	WO
176.	3		0303.51	- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				japonicus), Indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae), excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)	
177	3		0303.53	- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae), excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus)	WO
178.	3		0303.54	- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus),	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae), excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)	
179.	3		0303.55	- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae), excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Jack and horse mackerer (Trachurus spp.)	WO
180.	3		0303.56	- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae), excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Cobia (Rachycentron canadum)	
181.	3		0303.57	- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae), excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Swordfish (Xiphias gladius)	WO
182.	3		0303.59	- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae), excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Other	
183.	3		0303.63	- Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)	WO
184.	3		0303.64	- Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Haddock (Melanogrammus aeglefinus)	WO
185.	3		0303.65	- Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Coalfish (Pollachius virens)	WO
186.	3		0303.66	- Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae,	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Moridae and Muraenolepididae, excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)	
187.	3		0303.67	- Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Alaska Pollack (Theragra chalcogramma)	WO
188.	3		0303.68	- Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)	WO
189.	3		0303.69	- Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Other	WO
190.	3		0303.81	- Other fish, excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Dogfish and other sharks	WO
191.	3		0303.82	- Other fish, excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Rays and skates (Rajidae)	WO
192.	3		0303.83	- Other fish, excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Toothfish (Dissostichus spp.)	WO
193.	3		0303.84	- Other fish, excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to 0303.99: Seabass (Dicentrarchus spp.)	WO
194.	3		0303.89	- Other fish, excluding edible fish offal of subheading 0303.91 to	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				0303.99: Other	
195.	3		0303.91	- Livers, roes, milt, fish fins, heads, tails, maws and other edible fish offal: Livers, roes and milt	WO
196.	3		0303.92	- Livers, roes, milt, fish fins, heads, tails, maws and other edible fish offal: Shark fins	WO
197.	3		0303.99	- Livers, roes, milt, fish fins, heads, tails, maws and other edible fish offal: Other	WO
	3	0304		Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen	
198.	3		0304.31	- Fresh or chilled fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.): tilapias (Oreochromis spp.)	WO
199.	3		0304.32	- Fresh or chilled fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.): catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)	WO
200.	3		0304.33	- Fresh or chilled fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp.,	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.): Nile perch (Lates niloticus)	
201.	3		0304.39	- Fresh or chilled fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.): Other	CC
202.	3		0304.41	-Fresh or chilled fillets of other fish: Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho)	WO
203.	3		0304.42	- Fresh or chilled fillets of other fish: trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)	WO
204.	3		0304.43	- Fresh or chilled fillets of other fish: flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)	WO
205.	3		0304.44	- Fresh or chilled fillets of other fish: fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae	
206.	3		0304.45	- Fresh or chilled fillets of other fish: swordfish (Xiphias gladius)	WO
207.	3		0304.46	- Fresh or chilled fillets of other fish: toothfish (Dissostichus spp.)	WO
208.	3		0304.47	- Fresh or chilled fillets of other fish: Dogfish and other sharks	CC
209.	3		0304.48	- Fresh or chilled fillets of other fish: Rays and skates (Rajidae)	CC
210.	3		0304.49	- Fresh or chilled fillets of other fish: Other	CC
211.	3		0304.51	- Other, fresh or chilled: Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)	CC
212.	3		0304.52	- Other, fresh or chilled: salmonidae	CC
213.	3		0304.53	- Other, fresh or chilled: fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae	CC
214.	3		0304.54	- Other, fresh or chilled: swordfish (Xiphias gladius)	CC
215.	3		0304.55	- Other, fresh or chilled: toothfish (Dissostichus spp.)	CC
216.	3		0304.56	- Other, fresh or chilled: Dogfish and other sharks	WO
217.	3		0304.57	- Other, fresh or chilled: Rays and skates (Rajidae)	WO
218.	3		0304.59	- Other, fresh or chilled: Other	CC
219.	3		0304.61	- Frozen fillets of tilapias	CC

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.): tilapias (Oreochromis spp.)	
220.	3		0304.62	- Frozen fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.): catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)	CC
221.	3		0304.63	- Frozen fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.): Nile perch (Lates niloticus)	CC
222.	3		0304.69	- Frozen fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus	CC

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.): Other	
223.	3		0304.71	- Frozen fillets of fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae: cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)	CC
224.	3		0304.72	- Frozen fillets of fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae: haddock (Melanogrammus aeglefinus)	CC
225.	3		0304.73	- Frozen fillets of fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae: coalfish (Pollachius virens)	CC
226.	3		0304.74	- Frozen fillets of fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae: hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)	CC
227.	3		0304.75	- Frozen fillets of fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae: Alaska Pollack (Theragra chalcogramma)	CC
228.	3		0304.79	- Frozen fillets of fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and	CC

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Muraenolepididae: other	
229.	3		0304.81	-Frozen fillets of other fish: Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho)	CC
230.	3		0304.82	- Frozen fillets of other fish: trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)	CC
231.	3		0304.83	- Frozen fillets of other fish: flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)	CC
232.	3		0304.84	- Frozen fillets of other fish: swordfish (Xiphias gladius)	CC
233.	3		0304.85	- Frozen fillets of other fish: toothfish (Dissostichus spp.)	CC
234.	3		0304.86	- Frozen fillets of other fish: herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)	CC
235.	3		0304.87	- Frozen fillets of other fish: tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)	CC
236.	3		0304.88	-Frozen fillets of other fish: Dogfish, other sharks, rays and skates (Rajidae)	CC
237.	3		0304.89	- Frozen fillets of Other fish: Other	CC
238.	3		0304.91	- Other, frozen: swordfish (Xiphias gladius)	CC
239.	3		0304.92	- Other, frozen: toothfish (Dissostichus spp.)	CC
240.	3		0304.93	- Other, frozen: Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp	CC

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)	
241.	3		0304.94	- Other, frozen: Alaska Pollack (Theragra chalcogramma)	CC
242.	3		0304.95	- Other, frozen: fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, other than Alaska Pollack (Theragra chalcogramma)	CC
243.	3		0304.96	- Other frozen: Dogfish and other sharks	CC
244.	3		0304.97	- Other frozen: Rays and skates (Rajidae)	CC
245.	3		0304.99	- Other, Frozen: Other	CC
	3	0305		Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption	
246.	3		0305.10	- Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption	CC
247.	3		0305.20	- Livers, roes and milt of fish, dried, smoked, salted or in brine	CC
248.	3		0305.31	- Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked: Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus)	CC

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				and snakeheads (Channa spp.)	
249.	3		0305.32	- Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked: fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae	CC
250.	3		0305.39	- fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked: Other	CC
251.	3		0305.41	- Smoked fish, including fillets, other than edible fish offal: Pacific salmon (Oncorhynchus nerka,Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho)	CC
252.	3		0305.42	- Smoked fish, including fillets, other than edible fish offal: herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)	CC
253.	3		0305.43	- Smoked fish, including fillets, other than edible fish offal, other than edible fish offal: trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)	CC
254.	3		0305.44	- Smoked fish, including fillets, Other than edible fish offal: Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)	CC

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
255.	3		0305.49	- Smoked fish, including fillets, other than edible fish offal: Other	CC
256.	3		0305.51	- Dried fish, other than edible fish offal, whether or not salted but not smoked: cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)	CC
257.	3		0305.52	'- Dried fish, other than edible fish offal, whether or not salted but not smoked: Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)	SC
258.	3		0305.53	'- Dried fish, other than edible fish offal, whether or not salted but not smoked: Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, other than cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)	CC
259.	3		0305.54	'- Dried fish, other than edible fish offal, whether or not salted but not smoked: Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus	CC

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae)	
260.	3		0305.59	- Dried fish, other than edible fish offal, whether or not salted but not smoked: Other	CC
261.	3		0305.61	- Fish, salted but not dried or Smoked and fish in brine, other than edible fish offal: herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)	CC
262.	3		0305.62	- Fish, salted but not dried or smoked and fish in brine, other than edible fish offal: cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)	CC
263.	3		0305.63	- Fish, salted but not dried or smoked and fish in brine, other than edible fish offal: anchovies (Engraulis spp.)	CC
264.	3		0305.64	- Fish, salted but not dried or smoked and fish in brine, other than edible fish offal: Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)	CC
265.	3		0305.69	- Fish, salted but not dried or smoked and fish in brine, other than edible fish offal: Other	CC
266.	3		0305.72	- Fish fins, heads, tails, maws and other edible fish offal: fish heads, tails and maws	CC
267.	3		0305.79	- Fish fins, heads, tails, maws and other edible fish offal: other	CC
	3	0306		Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen,	

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				dried, salted or in brine; smoked crustaceans, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water, whether or not chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption	
268.	3		0306.11	- Frozen: rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)	CC
269.	3		0306.12	- Frozen: lobsters (Homarus spp.)	CC
270.	3		0306.14	- Frozen: crabs	CC
271.	3		0306.15	- Frozen: Norway lobsters (Nephrops norvegicus)	CC
272.	3		0306.16	- Frozen: cold-water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon)	CC
273.	3		0306.17	- Frozen: other shrimps and prawns	CC
274.	3		0306.31	- Live, fresh or chilled: Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)	WO
275.	3		0306.32	- Live, fresh or chilled: Lobsters (Homarus spp.)	WO
276.	3		0306.33	- Live, fresh or chilled: Crabs	WO
277.	3		0306.34	- Live, fresh or chilled: Norway lobsters (Nephrops norvegicus)	WO
278.	3		0306.35	- Live, fresh or chilled: Cold-water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon)	WO
279.	3		0306.36	- Live, fresh or chilled: Other shrimps and prawns	WO
280.	3		0306.39	- Live, fresh or chilled: Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption	WO
281.	3		0306.91	- Other: Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)	WO
282.	3		0306.92	- Other: Lobsters (Homarus spp.)	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
283.	3		0306.93	- Other: Crabs	WO
284.	3		0306.94	- Other: Norway lobsters (Nephrops norvegicus)	WO
285.	3		0306.95	- Other: Shrimps and prawns	WO
	3	0307		Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked molluscs, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of molluscs, fit for human consumption	
286.	3		0307.11	- Oysters: live, fresh or chilled	CC
287.	3		0307.12	- Oysters: Frozen	CC
288.	3		0307.19	- Oysters: Other	CC
289.	3		0307.21	- Scallops, including queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten: live, fresh or chilled	CC
290.	3		0307.22	- Scallops, including queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten: Frozen	CC
291.	3		0307.29	- Scallops, including queen Scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten: Other	CC
292.	3		0307.31	- Mussels (Mytilus spp., Perna spp.): live, fresh or chilled	CC
293.	3		0307.32	- Mussels (Mytilus spp., Perna spp.): Frozen	CC
294.	3		0307.39	- Mussels (Mytilus spp., Perna spp.): Other	CC
295.	3		0307.42	- Cuttle fish and squid: Live, fresh or chilled	CC
296.	3		0307.43	- Cuttle fish and squid: Frozen	CC
297.	3		0307.49	- Cuttle fish and squid: Other	CC
298.	3		0307.51	- Octopus (Octopus spp.): live, fresh or chilled	CC
299.	3		0307.52	- Octopus (Octopus spp.): Frozen	CC
300.	3		0307.59	- Octopus (Octopus spp.): Other	CC
301.	3		0307.60	- Snails, other than sea snails	CC

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
302.	3		0307.71	- Clams, cockles and ark shells (families Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactride, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae): live, fresh or chilled	CC
303.	3		0307.72	- Clams, cockles and ark shells (families Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactride, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae): Frozen	CC
304.	3		0307.79	- Clams, cockles and ark shells (families Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactride, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae): Other	CC
305.	3		0307.81	- Abalone (Haliotis spp.) and stromboid conchs (Strombus spp.): Live, fresh or chilled abalone (Haliotis spp.)	CC
306.	3		0307.82	- Abalone (Haliotis spp.) and stromboid conchs (Strombus spp.): Live, fresh or chilled stromboid conchs (Strombus spp.)	CC
307.	3		0307.83	- Abalone (Haliotis spp.) and stromboid conchs (Strombus spp.): Frozen abalone (Haliotis spp.)	CC
308.	3		0307.84	- Abalone (Haliotis spp.) and stromboid conchs (Strombus spp.): Frozen stromboid conchs (Strombus spp.)	CC
309.	3		0307.87	- Abalone (Haliotis spp.) and stromboid conchs (Strombus spp.): Other abalone (Haliotis spp.)	CC
310.	3		0307.88	- Abalone (Haliotis spp.) and stromboid conchs (Strombus spp.): Other stromboid conchs (Strombus spp.)	CC
311.	3		0307.91	- Other, including flours, meals and pellets, fit for human consumption:	CC

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Live, fresh or chilled	
312.	3		0307.92	- Other, including flours, meals and pellets, fit for human consumption: Frozen	CC
313.	3		0307.99	- Other, including flours, meals and pellets, fit for human consumption: Other	CC
	3	0308		Aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, fit for human consumption	
314.	3		0308.11	- Sea cucumbers (Stichopus japonicus, Holothuroidea): live, fresh or chilled	CC
315.	3		0308.12	- Sea cucumbers (Stichopus japonicus, Holothuroidea): Frozen	CC
316.	3		0308.19	- Sea cucumbers (Stichopus japonicus, Holothuroidea): Other	CC
317.	3		0308.21	- Sea urchins (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus): live, fresh or chilled	CC
318.	3		0308.22	- Sea urchins (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus): Frozen	CC
319.	3		0308.29	- Sea urchins (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus): Other	CC
320.	3		0308.30	- Jellyfish (Rhopilema spp.)	CC
321.	3		0308.90	- Other	CC
	CHAPTER 5			PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED	

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
322.	5	0501	0501.00	Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair	WO
	5	0502		Pigs', hogs' or boars' bristles and hair; badger hair and other brush making hair; waste of such bristles or hair	
323.	5		0502.10	- Pigs', hogs' or boars' bristles and hair and waste thereof	WO
324.	5		0502.90	- Other	WO
325.	5	0504	0504.00	Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked	WO
	5	0505		Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation; powder and waste of feathers or parts of feathers	
326.	5		0505.10	- Feathers of a kind used for stuffing; down	WO
327.	5		0505.90	- Other	WO
	5	0506		Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or degelatinised; powder and waste of these products	
328.	5		0506.10	- Ossein and bones treated with acid	WO
329.	5		0506.90	- Other	WO
	5	0507		Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste of these products	
330.	5		0507.10	- Ivory; ivory powder and waste	WO
331.	5		0507.90	- Other	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
332.	5	0508	0508.00	Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereof	WO
333.	5	0510	0510.00	Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved	WO
	5	0511		Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption	
334.	5		0511.10	- Bovine semen	WO
335.	5		0511.91	- Other: products of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates; dead animals of Chapter 3	WO
336.	5		0511.99	- Other: other	WO
	CHAPTER 6			LIVE TREES AND OTHER PLANTS; BULBS, ROOTS AND THE LIKE; CUT FLOWERS AND ORNAMENTAL FOLIAGE	
	6	0601		Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, in growth or in flower; chicory plants and roots other than roots of heading 1212	
337.	6		0601.10	- Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant	WO
338.	6		0601.20	- Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower; chicory plants and roots	WO
	6	0602		Other live plants (including their roots), cuttings and slips; mushroom spawn	

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
339.	6		0602.10	- Unrooted cuttings and slips	WO
340.	6		0602.20	- Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts	WO
341.	6		0602.30	- Rhododendrons and azaleas, grafted or not	WO
342.	6		0602.40	- Roses, grafted or not	WO
343.	6		0602.90	- Other	WO
	6	0603		Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared	
344.	6		0603.11	- Fresh: roses	WO
345.	6		0603.12	- Fresh: carnations	WO
346.	6		0603.13	- Fresh: orchids	WO
347.	6		0603.14	- Fresh: chrysanthemums	WO
348.	6		0603.15	- Fresh: lilies (Lillium spp.)	WO
349.	6		0603.19	- Fresh: other	WO
350.	6		0603.90	- Other	WO
	6	0604		Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, and grasses, mosses and lichens, being goods of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared	
351.	6		0604.20	- Fresh	WO
352.	6		0604.90	- Other	WO
	CHAPTER 7			EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS	
	7	0701		Potatoes, fresh or chilled	
353.	7		0701.10	- Seed	WO
354.	7		0701.90	- Other	WO
355.	7	0702	0702.00	Tomatoes, fresh or chilled	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	7	0703		Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled	
356.	7		0703.10	- Onions and shallots	WO
357.	7		0703.20	- Garlic	WO
358.	7		0703.90	- Leeks and other alliaceous vegetables	WO
	7	0704		Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled	
359.	7		0704.10	- Cauliflowers and headed broccoli	WO
360.	7		0704.20	- Brussels sprouts	WO
361.	7		0704.90	- Other	WO
	7	0705		Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled	
362.	7		0705.11	- Lettuce: cabbage lettuce (head lettuce)	WO
363.	7		0705.19	- Lettuce: other	WO
364.	7		0705.21	- Chicory: witloof chicory (Cichorium intybus var. foliosum)	WO
365.	7		0705.29	- Chicory: other	WO
	7	0706		Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled	
366.	7		0706.10	- Carrots and turnips	WO
367.	7		0706.90	- Other	WO
368.	7	0707	0707.00	Cucumbers and gherkins, fresh or chilled.	WO
	7	0708		Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled	
369.	7		0708.10	- Peas (Pisum sativum)	WO
370.	7		0708.20	- Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.)	WO
371.	7		0708.90	- Other leguminous vegetables	WO
	7	0709		Other vegetables, fresh or chilled	
372.	7		0709.20	- Asparagus	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
373.	7		0709.30	- Aubergines (egg-plants)	WO
374.	7		0709.40	- Celery other than celeriac	WO
375.	7		0709.51	- Mushrooms and truffles: mushrooms of the genus Agaricus	WO
376.	7		0709.59	- Mushrooms and truffles: other	WO
377.	7		0709.60	- Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta	WO
378.	7		0709.70	- Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach)	WO
379.	7		0709.91	- Other: globe artichoke	WO
380.	7		0709.92	- Other: olives	WO
381.	7		0709.93	- Other: pumpkins, squash and gourds (Cucurbita spp.)	WO
382.	7		0709.99	- Other: other	WO
	7	0710		Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen	
383.	7		0710.10	- Potatoes	WO
384.	7		0710.21	- Leguminous vegetables, shelled or unshelled: peas (Pisum sativum)	WO
385.	7		0710.22	- Leguminous vegetables, shelled or unshelled: beans (Vigna spp., Phaseolus spp.)	WO
386.	7		0710.29	- Leguminous vegetables, shelled or unshelled: other	WO
387.	7		0710.30	- Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach)	WO
388.	7		0710.40	- Sweet corn	WO
389.	7		0710.80	- Other vegetables	WO
390.	7		0710.90	- Mixtures of vegetables	CC or QVC40
	7	0711		Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption	
391.	7		0711.20	- Olives	WO
392.	7		0711.40	- Cucumbers and gherkins	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
393.	7		0711.51	- Mushrooms and truffles: mushrooms of the genus Agaricus	WO
394.	7		0711.59	- Mushrooms and truffles: other	WO
395.	7		0711.90	- Other vegetables; mixtures of vegetables	CC or QVC40
	7	0712		Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared	
396.	7		0712.20	- Onions	WO
397.	7		0712.31	- Mushrooms, wood ears (Auricularia spp.), jelly fungi (Tremella spp.) and truffles: mushrooms of the genus Agaricus	WO
398.	7		0712.32	- Mushrooms, wood ears (Auricularia spp.), jelly fungi (Tremella spp.) and truffles: wood ears (Auricularia spp.)	WO
399.	7		0712.33	- Mushrooms, wood ears (Auricularia spp.), jelly fungi (Tremella spp.) and truffles: jelly fungi (Tremella spp.)	WO
400.	7		0712.39	- Mushrooms, wood ears (Auricularia spp.), jelly fungi (Tremella spp.) and truffles: other	WO
401.	7		0712.90	- Other vegetables; mixtures of vegetables	CC or QVC40
	7	0713		Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split	
402.	7		0713.10	- Peas (Pisum sativum)	WO
403.	7		0713.20	- Chickpeas (garbanzos)	WO
404.	7		0713.31	- Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.): beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek	WO
405.	7		0713.32	- Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.): small red (Adzuki) beans (Phaseolus or Vigna angularis)	WO
406.	7		0713.33	- Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.): kidney beans, including white pea beans (Phaseolus vulgaris)	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
407.	7		0713.34	- Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.): bambara beans (Vigna subterranean or Voandzeia subterranean)	WO
408.	7		0713.35	- Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.): cow peas (Vigna unguiculata)	WO
409.	7		0713.39	- Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.): other	WO
410.	7		0713.40	- Lentils	WO
411.	7		0713.50	- Broad beans (Vicia faba var. major) and horse beans (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)	WO
412.	7		0713.60	- Pigeon peas (Cajanus cajan)	WO
413.	7		0713.90	- Other	WO
	7	0714		Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith	
414.	7		0714.10	- Manioc (cassava)	WO
415.	7		0714.20	- Sweet potatoes	WO
416.	7		0714.30	- Yams (Dioscorea spp.)	WO
417.	7		0714.40	- Taro (Colpcasia spp.)	WO
418.	7		0714.50	- Yautia (Xanthosoma spp.)	WO
419.	7		0714.90	- Other	WO
	CHAPTER 8			EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUIT OR MELONS	
	8	0801		Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled	
420.	8		0801.11	- Coconuts: desiccated	WO
421.	8		0801.12	- Coconuts: in the inner shell (endocarp)	WO
422.	8		0801.19	- Coconuts: other	WO
423.	8		0801.21	- Brazil nuts: in shell	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
424.	8		0801.22	- Brazil nuts: shelled	WO
425.	8		0801.31	- Cashew nuts: in shell	WO
426.	8		0801.32	- Cashew nuts: shelled	WO
	8	0802		Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled	
427.	8		0802.11	- Almonds: in shell	WO
428.	8		0802.12	- Almonds: shelled	WO
429.	8		0802.21	- Hazelnuts or filberts (Corylus spp.): in shell	WO
430.	8		0802.22	- Hazelnuts or filberts (Corylus spp.): shelled	WO
431.	8		0802.31	- Walnuts: in shell	WO
432.	8		0802.32	- Walnuts: shelled	WO
433.	8		0802.41	- Chestnuts (Castanea spp.): in shell	WO
434.	8		0802.42	- Chestnuts (Castanea spp.): shelled	WO
435.	8		0802.51	- Pistachios: in shell	WO
436.	8		0802.52	- Pistachios: shelled	WO
437.	8		0802.61	- Macadamia nuts: in shell	WO
438.	8		0802.62	- Macadamia nuts: shelled	WO
439.	8		0802.70	- Kola nuts (Cola spp.)	WO
440.	8		0802.80	- Areca nuts	WO
441.	8		0802.90	- Other	WO
	8	0803		Bananas, including plantains, fresh or dried	
442.	8		0803.10	- Plantains	WO
443.	8		0803.90	- Other	WO
	8	0804		Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried	
444.	8		0804.10	- Dates	WO
445.	8		0804.20	- Figs	WO
446.	8		0804.30	- Pineapples	WO
447.	8		0804.40	- Avocados	WO
448.	8		0804.50	- Guavas, mangoes and mangosteens	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	8	0805		Citrus fruit, fresh or dried	
449.	8		0805.10	- Oranges	WO
450.	8		0805.21	- Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids: Mandarins (including tangerines and satsumas)	WO
451.	8		0805.22	- Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids: Clementines	WO
452.	8		0805.29	- Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids: Other	WO
453.	8		0805.40	- Grapefruit, including pomelos	WO
454.	8		0805.50	- Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)	WO
455.	8		0805.90	- Other	WO
	8	0806		Grapes, fresh or dried	
456.	8		0806.10	- Fresh	WO
457.	8		0806.20	- Dried	WO
	8	0807		Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh	
458.	8		0807.11	- Melons (including watermelons): watermelons	WO
459.	8		0807.19	- Melons (including watermelons): other	WO
460.	8		0807.20	- Pawpaws (papayas)	WO
	8	0808		Apples, pears and quinces, fresh	
461.	8		0808.10	- Apples	WO
462.	8		0808.30	- Pears	WO
463.	8		0808.40	- Quinces	WO
	8	0809		Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh	
464.	8		0809.10	- Apricots	WO
465.	8		0809.21	- Cherries: sour cherries (Prunus	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				cerasus)	
466.	8		0809.29	- Cherries: other	WO
467.	8		0809.30	- Peaches, including nectarines	WO
468.	8		0809.40	- Plums and sloes	WO
	8	0810		Other fruit, fresh	
469.	8		0810.10	- Strawberries	WO
470.	8		0810.20	- Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries	WO
471.	8		0810.30	- Black, white or red currants and gooseberries	WO
472.	8		0810.40	- Cranberries, bilberries and other fruits of the genus Vaccinium	WO
473.	8		0810.50	- Kiwifruit	WO
474.	8		0810.60	- Durians	WO
475.	8		0810.70	- Persimmons	WO
476.	8		0810.90	- Other	WO
	8	0811		Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter	
477.	8		0811.10	- Strawberries	СТН
478.	8		0811.20	- Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black, white or red currants and gooseberries	СТН
479.	8		0811.90	- Other	СТН
	8	0812		Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption	
480.	8		0812.10	- Cherries	СТН
481.	8		0812.90	- Other	СТН
	8	0813		Fruit, dried, other than that of headings 0801 to 0806; mixtures of nuts or dried fruits of this	

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Chapter	
482.	8		0813.10	- Apricots	СТН
483.	8		0813.20	- Prunes	СТН
484.	8		0813.30	- Apples	СТН
485.	8		0813.40	- Other fruit	СТН
486.	8		0813.50	- Mixtures of nuts or dried fruits of this Chapter	СТН
	CHAPTER 9			COFFEE, TEA, MATÉ AND SPICES	
	9	0901		Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion	
487.	9		0901.11	- Coffee, not roasted: not decaffeinated	WO
	9	0902		Tea, whether or not flavoured	
488.	9		0902.10	- Green tea (not fermented) in immediate packings of a content not exceeding 3 kg	WO
489.	9		0902.20	- Other green tea (not fermented)	WO
490.	9	0903	0903.00	Maté	WO
	9	0904		Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta	
491.	9		0904.11	- Pepper: neither crushed nor ground	WO
492.	9		0904.12	- Pepper: crushed or ground	WO
493.	9		0904.21	- Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta: dried, neither crushed nor ground	WO
494.	9		0904.22	- Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta: crushed or ground	WO
	9	0905		Vanilla	
495.	9		0905.10	- Neither crushed nor ground	WO
496.	9		0905.20	- Crushed or ground	WO
	9	0906		Cinnamon and cinnamon-tree	

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				flowers	
497.	9		0906.11	- Neither crushed nor ground: cinnamon (Cinnamomum zeylanicum Blume)	WO
498.	9		0906.19	- Neither crushed nor ground: other	WO
499.	9		0906.20	- Crushed or ground	WO
	9	0907		Cloves (whole fruit, cloves and stems)	
500.	9		0907.10	- Neither crushed nor ground	WO
501.	9		0907.20	- Crushed or ground	WO
	9	0908		Nutmeg, mace and cardamoms	
502.	9		0908.11	- Nutmeg: neither crushed nor ground	WO
503.	9		0908.12	- Nutmeg: crushed or ground	WO
504.	9		0908.21	- Mace: neither crushed nor ground	WO
505.	9		0908.22	- Mace: crushed or ground	WO
506.	9		0908.31	- Cardamoms: neither crushed nor ground	WO
507.	9		0908.32	- Cardamoms: crushed or ground	WO
	9	0909		Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries	
508.	9		0909.21	- Seeds of coriander: neither crushed nor ground	WO
509.	9		0909.22	- Seeds of coriander: crushed or ground	WO
510.	9		0909.31	- Seeds of cumin: neither crushed nor ground	WO
511.	9		0909.32	- Seeds of cumin: crushed or ground	WO
512.	9		0909.61	- Seeds of anise, badian, caraway or fennel; juniper berries: neither crushed nor ground	WO
513.	9		0909.62	- Seeds of anise, badian, caraway or fennel; juniper berries: crushed or ground	WO
	9	0910		Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other spices	

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
514.	9		0910.11	- Ginger: neither crushed nor ground	WO
515.	9		0910.12	- Ginger: crushed or ground	WO
516.	9		0910.20	- Saffron	WO
517.	9		0910.30	- Turmeric (curcuma)	WO
518.	9		0910.91	- Other spices: mixtures referred to in Note 1 (b) to this Chapter	WO or QVC40
519.	9		0910.99	- Other spices: other	WO or QVC40
	CHAPTER 10			CEREALS	
	10	1001		Wheat and meslin	
520.	10		1001.11	- Durum wheat: seed	WO
521.	10		1001.19	- Durum wheat: other	WO
522.	10		1001.91	- Other: seed	WO
523.	10		1001.99	- Other: other	WO
	10	1002		Rye	
524.	10		1002.10	- Seed	WO
525.	10		1002.90	- Other	WO
	10	1003		Barley	
526.	10		1003.10	- Seed	WO
527.	10		1003.90	- Other	WO
	10	1004		Oats	
528.	10		1004.10	- Seed	WO
529.	10		1004.90	- Other	WO
	10	1005		Maize (corn)	
530.	10		1005.10	- Seed	WO
531.	10		1005.90	- Other	WO
	10	1006		Rice	
532.	10		1006.10	- Rice in the husk (paddy or rough)	WO
533.	10		1006.20	- Husked (brown) rice	WO
534.	10		1006.30	- Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed	WO
535.	10		1006.40	- Broken rice	WO
	10	1007		Grain sorgham	

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
536.	10		1007.10	- Seed	WO
537.	10		1007.90	- Other	WO
	10	1008		Buckwheat, millet and canary seeds; other cereals	
538.	10		1008.10	- Buckwheat	WO
539.	10		1008.21	- Millet: seed	WO
540.	10		1008.29	- Millet: other	WO
541.	10		1008.30	- Canary seed	WO
542.	10		1008.40	- Fonio (Digitaria spp.)	WO
543.	10		1008.50	- Quinoa (Chenopodium quinoa)	WO
544.	10		1008.60	- Triticale	WO
545.	10		1008.90	- Other cereals	WO
	CHAPTER 11			PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; MALT; STARCHES; INULIN; WHEAT GLUTEN	
	11	1107		Malt, whether or not roasted	
546.	11		1107.10	- Not roasted	WO
	11	1108		Starches; inulin	
547.	11		1108.11	- Starches: wheat starch	WO
548.	11		1108.12	- Starches: maize (corn) starch	WO
549.	11		1108.13	- Starches: potato starch	WO
550.	11		1108.14	- Starches: manioc (cassava) starch	WO
551.	11		1108.19	- Starches: other starches	WO
552.	11		1108.20	- Inulin	WO
553.	11	1109	1109.00	Wheat gluten, whether or not dried	WO
	CHAPTER 12			OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER	
	12	1201		Soya beans, whether or not broken	
554.	12		1201.10	- Seed	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
555.	12		1201.90	- Other	WO
	12	1202		Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken	
556.	12		1202.30	- Seed	WO
557.	12		1202.41	- Other: in shell	WO
558.	12		1202.42	- Other: shelled, whether or not broken	WO
559.	12	1203	1203.00	Copra	WO
560.	12	1204	1204.00	Linseed, whether or not broken	WO
	12	1205		Rape or colza seeds, whether or not broken	
561.	12		1205.10	- Low erucic acid rape or colza seeds	WO
562.	12		1205.90	- Other	WO
563.	12	1206	1206.00	Sunflower seeds, whether or not broken	WO
	12	1207		Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken	
564.	12		1207.10	- Palm nuts and kernels	WO
565.	12		1207.21	- Cotton seeds: seed	WO
566.	12		1207.29	- Cotton seeds: other	WO
567.	12		1207.30	- Castor oil seeds	WO
568.	12		1207.40	- Sesamum seeds	WO
569.	12		1207.50	- Mustard seeds	WO
570.	12		1207.60	- Safflower (Carthamus tinctorius) seeds	WO
571.	12		1207.70	- Melon seeds	WO
572.	12		1207.91	- Other: poppy seeds	WO
573.	12		1207.99	- Other: other	WO
	12	1208		Flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits, other than those of mustard	
574.	12		1208.10	- Of soya beans	WO
575.	12		1208.90	- Other	WO
	12	1209		Seeds, fruit and spores, of a kind	

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				used for sowing	
576.	12		1209.10	- Sugar beet seeds	WO
577.	12		1209.21	- Seeds of forage plants: lucerne (alfalfa) seeds	WO
578.	12		1209.22	- Seeds of forage plants: clover (Trifolium spp.) seeds	WO
579.	12		1209.23	- Seeds of forage plants: fescue seeds	WO
580.	12		1209.24	- Seeds of forage plants: Kentucky blue grass (Poa pratensis L.) seeds	WO
581.	12		1209.25	- Seeds of forage plants: rye grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) seeds	WO
582.	12		1209.29	- Seeds of forage plants: other	WO
583.	12		1209.30	- Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers	WO
584.	12		1209.91	- Other: vegetable seeds	WO
585.	12		1209.99	- Other: other	WO
	12	1210		Hop cones, fresh or dried, whether or not ground, powdered or in the form of pellets; lupulin	
586.	12		1210.10	- Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets	WO
587.	12		1210.20	- Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets; lupulin	WO
	12	1211		Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not cut, crushed or powdered	
588.	12		1211.20	- Ginseng roots	WO
589.	12		1211.30	- Coca leaf	WO
590.	12		1211.40	- Poppy straw	WO
591.	12		1211.50	- Ephedra	WO
592.	12		1211.90	- Other	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	12	1212		Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and other vegetable products (including unroasted chicory roots of the variety Cichorium intybus sativum) of a kind used primarily for human consumption, not elsewhere specified or included	
593.	12		1212.21	- Seaweeds and other algae: fit for human consumption	WO
594.	12		1212.29	- Seaweeds and other algae: other	WO
595.	12		1212.91	- Other: sugar beet	WO
596.	12		1212.92	- Other: locust beans (carob)	WO
597.	12		1212.93	- Other: sugar cane	WO
598.	12		1212.94	- Other: chicory roots	WO
599.	12		1212.99	- Other: other	WO
600.	12	1213	1213.00	Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets	WO
	12	1214		Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets	
601.	12		1214.10	- Lucerne (alfalfa) meal and pellets	CC
	CHAPTER 14			VEGETABLE PLAITING MATERIALS; VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED	
	14	1401		Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime bark)	
602.	14		1401.10	- Bamboos	WO
603.	14		1401.20	- Rattans	WO

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
604.	14		1401.90	- Other	WO
	14	1404		Vegetable products not elsewhere specified or included	
605.	14		1404.20	- Cotton linters	WO
606.	14		1404.90	- Other	WO
	CHAPTER 15			ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES	
	15	1504		Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified	
607.	15		1504.20	- Fats and oils and their fractions, of fish, other than liver oils	CC
608.	15	1505	1505.00	Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin)	CC
	15	1509		Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified	
609.	15		1509.10	- Virgin	WO
610.	15		1509.90	- Other	WO
	CHAPTER 16			PREPARATIONS OF MEAT, OF FISH OR OF CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES	
611.	16	1601	1601.00	Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food preparations based on these products	CC except HS 2 and 3
	16	1602		Other prepared or preserved meat, meat offal or blood	
612.	16		1602.10	- Homogenised preparations	CC
613.	16		1602.20	- Of liver of any animal	CC except HS 2 and 3
614.	16		1602.31	- Of poultry of heading 0105: of turkeys	CC

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 167

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
615.	16		1602.32	- Of poultry of heading 0105: of fowls of the species Gallus domesticus	CC except HS 2 and 3
616.	16		1602.39	- Of poultry of heading 0105: other	CC except HS 2 and 3
617.	16		1602.41	- Of swine: hams and cuts thereof	CC
618.	16		1602.42	- Of swine: shoulders and cuts thereof	CC
619.	16		1602.49	- Of swine: other, including mixtures	CC except HS 2 and 3
620.	16		1602.50	- Of bovine animals	CC except HS 2 and 3
621.	16		1602.90	- Other, including preparations of blood of any animal	CC except HS 2 and 3
622.	16	1603	1603.00	Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates	CC except HS 2 and 3
	CHAPTER 17			SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY	
	17	1702		Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel	
623.	17		1702.11	- Lactose and lactose syrup: containing by weight 99 % or more lactose, expressed as anhydrous lactose, calculated on the dry matter	CC
	CHAPTER 19			PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, STARCH OR MILK; PASTRYCOOKS' PRODUCTS	
	19	1901		Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 0401 to 0404, not	

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				containing cocoa or containing less than 5 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included	
624.	19		1901.10	- Preparations suitable for infants or young children, put up for retail sale	CC
625.	19		1901.20	- Mixes and doughs for the preparation of bakers' wares of heading 1905	CC
626.	19		1901.90	- Other	CC
	19	1902		Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared	
627.	19		1902.11	- Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared: containing eggs	CC
628.	19		1902.19	- Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared: other	CC
629.	19		1902.20	- Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared	CC
630.	19		1902.30	- Other pasta	CC
631.	19		1902.40	- Couscous	CC
	19	1904		Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), pre-cooked or otherwise prepared, not elsewhere specified or included	
632.	19		1904.10	- Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products	CC
633.	19		1904.30	- Bulgur wheat	CC
634.	19		1904.90	- Other	CC

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	19	1905		Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products	
635.	19		1905.10	- Crispbread	СТН
	CHAPTER 21			MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS	
	21	2101		Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof	
636.	21		2101.11	- Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee: extracts, essences and concentrates	CC
637.	21		2101.12	- Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee: preparations with a basis of extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee	CC
638.	21		2101.20	- Extracts, essences and concentrates, of tea or maté, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or maté	CC
639.	21		2101.30	- Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof	CC
	21	2102		Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 3002); prepared baking powders	

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
640.	21		2102.10	- Active yeasts	CC
641.	21		2102.20	- Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, dead	CC
642.	21		2102.30	- Prepared baking powders	CC
	CHAPTER 22			BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR	
	22	2201		Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow	
643.	22		2201.10	- Mineral waters and aerated waters	WO
644.	22		2201.90	- Other	WO
	CHAPTER 41			RAW HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS) AND LEATHER	
	41	4101		Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split	
645.	41		4101.20	- Whole hides and skins, unsplit, of a weight per skin not exceeding 8 kg when simply dried, 10 kg when dry-salted, or 16 kg when fresh, wet-salted or otherwise preserved	CC
646.	41		4101.50	- Whole hides and skins, of a weight exceeding 16 kg	CC
647.	41		4101.90	- Other, including butts, bends and bellies	CC
	41	4102		Raw skins of sheep or lambs (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not with wool on or split, other than those excluded by Note 1 (c) to this Chapter	
648.	41		4102.10	- With wool on	CC

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
649.	41		4102.21	- Without wool on: pickled	CC
650.	41		4102.29	- Without wool on: other	CC
	41	4103		Other raw hides and skins (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split, other than those excluded by Note 1 (b) or 1 (c) to this Chapter	
651.	41		4103.20	- Of reptiles	CC
652.	41		4103.30	- Of swine	CC
653.	41		4103.90	- Other	CC
	CHAPTER 43			FURSKINS AND ARTIFICIAL FUR; MANUFACTURES THEREOF	
	43	4301		Raw furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use), other than raw hides and skins of heading 4101, 4102 or 4103	
654.	43		4301.10	- Of mink, whole, with or without head, tail or paws	CC
655.	43		4301.30	- Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb, whole, with or without head, tail or paws	CC
656.	43		4301.60	- Of fox, whole, with or without head, tail or paws	CC
657.	43		4301.80	- Other furskins, whole, with or without head, tail or paws	CC
658.	43		4301.90	- Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use	CC
	CHAPTER 47			PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD	
	47	4707		Recovered (waste and scrap)	

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				paper or paperboard	
659.	47		4707.10	- Unbleached kraft paper or paperboard or corrugated paper or paperboard	CC
660.	47		4707.20	- Other paper or paperboard made mainly of bleached chemical pulp, not coloured in the mass	CC
661.	47		4707.30	- Paper or paperboard made mainly of mechanical pulp (for example, newspapers, journals and similar printed matter)	CC
662.	47		4707.90	- Other, including unsorted waste and scrap	CC
	CHAPTER 50			SILK Chapter Note: For the purposes of this Chapter, if a claim for origin is based on dyeing, printing and at least two subsequent finishing processes, washing or drying shall not be considered to be finishing processes. An indicative list of finishing processes is provided in this Annex's Appendix.	
663.	50	5001	5001.00	Silk-worm cocoons suitable for reeling	WO
664.	50	5002	5002.00	Raw silk (not thrown)	WO
665.	50	5003	5003.00	Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock)	WO
	CHAPTER 52			COTTON Chapter Note: For the purposes of this Chapter, if a claim for origin is based on dyeing, printing and at least two subsequent finishing processes, washing or drying shall not be considered to be finishing processes. An indicative list of finishing processes is provided in this Annex's Appendix	
666.	52	5201	5201.00	Cotton, not carded or combed	WO
	52	5202		Cotton waste (including yarn waste and garnetted stock)	

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
667.	52		5202.10	- Yarn waste (including thread waste)	WO
668.	52		5202.91	- Other: garnetted stock	WO
669.	52		5202.99	- Other: other	WO
670.	52	5203	5203.00	Cotton, carded or combed	WO
	71	7113		Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal	
671.	71		7113.11	- Of precious metal whether or not plated or clad with precious metal: of silver, whether or not plated or clad with other precious metal	CTSH + QVC 1.5%
672.	71		7113.19	- Of precious metal whether or not plated or clad with precious metal: of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metal	CTSH + QVC 1.5%
673.	71		7113.20	- Of base metal clad with precious metal	CTSH + QVC 1.5%
	71	7114		Articles of goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal	
674.	71		7114.11	- Of precious metal whether or not plated or clad with precious metal: of silver, whether or not plated or clad with other precious metal	CTSH + QVC 1.5%
675.	71		7114.19	- Of precious metal whether or not plated or clad with precious metal: of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metal	CTSH + QVC 1.5%
676.	71		7114.20	- Of base metal clad with precious metal	CTSH + QVC 1.5%
	71			Imitation jewellery	
677.			7117.11	- Of base metal, whether or not plated with precious metal: cuff-links and studs	CTSH + QVC 1.5%
678.			7117.19	- Of base metal, whether or not plated with precious metal: other	CTSH + QVC 1.5%
679.			7117.90	- Other	CTSH + QVC 1.5%

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	CHAPTER 72			IRON AND STEEL	
	72	7206		Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron of heading 7203)	
680.	72		7206.10	- Ingots	Melt and pour in the Parties
681.	72		7206.90	- Other	Melt and pour in the Parties
	72	7207		Semi-finished products of iron or non-alloy steel	
682.	72		7207.11	- Containing by weight less than 0.25 % of carbon: of rectangular (including square) cross-section, the width measuring less than twice the thickness	Melt and pour in the Parties
683.	72		7207.12	- Containing by weight less than 0.25 % of carbon: other, of rectangular (other than square) cross-section	Melt and pour in the Parties
684.	72		7207.19	- Containing by weight less than 0.25 % of carbon: other	Melt and pour in the Parties
685.	72		7207.20	- Containing by weight 0.25 % or more of carbon	Melt and pour in the Parties
	72	7208		Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated	
686.	72		7208.10	- In coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief	Melt and pour in the Parties
687.	72		7208.26	- Other, in coils, not further worked than hot-rolled, pickled: of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm	Melt and pour in the Parties
688.	72		7208.27	- Other, in coils, not further worked than hot-rolled, pickled: of a thickness of less than 3 mm	Melt and pour in the Parties
689.	72		7208.36	- Other, in coils, not further worked than hot-rolled: of a thickness exceeding 10 mm	Melt and pour in the Parties
690.	72		7208.37	- Other, in coils, not further worked than hot-rolled: of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm	Melt and pour in the Parties

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
691.	72		7208.38	- Other, in coils, not further worked than hot-rolled: of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm	Melt and pour in the Parties
692.	72		7208.39	- Other, in coils, not further worked than hot-rolled: of a thickness of less than 3 mm	Melt and pour in the Parties
693.	72		7208.40	- Not in coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief	Melt and pour in the Parties
694.	72		7208.51	- Other, not in coils, not further worked than hot-rolled: of a thickness exceeding 10 mm	Melt and pour in the Parties
695.	72		7208.52	- Other, not in coils, not further worked than hot-rolled: of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm	Melt and pour in the Parties
696.	72		7208.53	- Other, not in coils, not further worked than hot-rolled: of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm	Melt and pour in the Parties
697.	72		7208.54	- Other, not in coils, not further worked than hot-rolled: of a thickness of less than 3 mm	Melt and pour in the Parties
	72	7209		Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated	
698.	72		7209.15	- In coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced): of a thickness of 3 mm or more	Melt and pour in the Parties
699.	72		7209.16	- In coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced): of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm	Melt and pour in the Parties
700.	72		7209.17	- In coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced): of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm	Melt and pour in the Parties
701.	72		7209.18	- In coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced): of a thickness of less than 0.5 mm	Melt and pour in the Parties
702.	72		7209.25	- Not in coils, not further worked	Melt and pour

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				than cold-rolled (cold-reduced): of a thickness of 3 mm or more	in the Parties
703.	72		7209.26	- Not in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced): of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm	Melt and pour in the Parties
704.	72		7209.27	- Not in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced): of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm	Melt and pour in the Parties
705.	72		7209.28	- Not in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced): of a thickness of less than 0.5 mm	Melt and pour in the Parties
	72	7210		Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated	
706.	72		7210.11	- Plated or coated with tin: of a thickness of 0.5 mm or more	Melt and pour in the Parties
707.	72		7210.12	- Plated or coated with tin: of a thickness of less than 0.5 mm	Melt and pour in the Parties
708.	72		7210.20	- Plated or coated with lead, including terne-plate	Melt and pour in the Parties
709.	72		7210.30	- Electrolytically plated or coated with zinc	Melt and pour in the Parties
710.	72		7210.41	- Otherwise plated or coated with zinc: corrugated	Melt and pour in the Parties
711.	72		7210.49	- Otherwise plated or coated with zinc: other	Melt and pour in the Parties
712.	72		7210.50	- Plated or coated with chromium oxides or with chromium and chromium oxides	Melt and pour in the Parties
713.	72		7210.61	- Plated or coated with aluminium: plated or coated with aluminium-zinc alloys	Melt and pour in the Parties
714.	72		7210.69	- Plated or coated with aluminium: other	Melt and pour in the Parties
715.	72		7210.70	- Painted, varnished or coated with plastics	Melt and pour in the Parties
	72	7211		Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, not clad, plated or	

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				coated	
716.	72		7211.13	- Not further worked than hot- rolled: rolled on four faces or in a closed box pass, of a width exceeding 150 mm and a thickness of not less than 4 mm, not in coils and without patterns in relief	Melt and pour in the Parties
717.	72		7211.14	- Not further worked than hot- rolled: other, of a thickness of 4.75 mm or more	Melt and pour in the Parties
718.	72		7211.19	- Not further worked than hot- rolled: other	Melt and pour in the Parties
719.	72		7211.23	- Not further worked than cold-rolled (cold-reduced): containing by weight less than 0.25 % of carbon	Melt and pour in the Parties
720.	72		7211.29	- Not further worked than cold-rolled (cold-reduced): other	Melt and pour in the Parties
721.	72		7211.90	- Other	Melt and pour in the Parties
	72	7212		Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, clad, plated or coated	
722.	72		7212.10	- Plated or coated with tin	Melt and pour in the Parties
723.	72		7212.20	- Electrolytically plated or coated with zinc	Melt and pour in the Parties
724.	72		7212.30	- Otherwise plated or coated with zinc	Melt and pour in the Parties
725.	72		7212.40	- Painted, varnished or coated with plastics	Melt and pour in the Parties
726.	72		7212.50	- Otherwise plated or coated	Melt and pour in the Parties
727.	72		7212.60	- Clad	Melt and pour in the Parties
	72	7213		Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel	
728.	72		7213.10	- Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process	Melt and pour in the Parties

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
729.	72		7213.20	- Other, of free-cutting steel	Melt and pour in the Parties
730.	72		7213.91	- Other: of circular cross-section measuring less than 14 mm in diameter	Melt and pour in the Parties
731.	72		7213.99	- Other: other	Melt and pour in the Parties
	72	7214		Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling	
732.	72		7214.10	- Forged	Melt and pour in the Parties
733.	72		7214.20	- Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after rolling	Melt and pour in the Parties
734.	72		7214.30	- Other, of free-cutting steel	Melt and pour in the Parties
735.	72		7214.91	- Other: of rectangular (other than square) cross-section	Melt and pour in the Parties
736.	72		7214.99	- Other: other	Melt and pour in the Parties
	72	7215		Other bars and rods of iron or non-alloy steel	
737.	72		7215.10	- Of free-cutting steel, not further worked than cold-formed or cold-finished	Melt and pour in the Parties
738.	72		7215.50	- Other, not further worked than cold-formed or cold-finished	Melt and pour in the Parties
739.	72		7215.90	- Other	Melt and pour in the Parties
	72	7216		Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel	
740.	72		7216.10	- U, I or H sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm	Melt and pour in the Parties
741.	72		7216.21	- L or T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or	Melt and pour in the Parties

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				extruded, of a height of less than 80 mm: L sections	
742.	72		7216.22	- L or T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm: T sections	Melt and pour in the Parties
743.	72		7216.31	- U, I or H sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more: U sections	Melt and pour in the Parties
744.	72		7216.32	- U, I or H sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more: I sections	Melt and pour in the Parties
745.	72		7216.33	- U, I or H sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more: H sections	Melt and pour in the Parties
746.	72		7216.40	- L or T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more	Melt and pour in the Parties
747.	72		7216.50	- Other angles, shapes and sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded	Melt and pour in the Parties
748.	72		7216.61	- Angles, shapes and sections, not further worked than cold-formed or cold-finished: obtained from flat- rolled products	Melt and pour in the Parties
749.	72		7216.91	- Other: cold-formed or cold-finished from flat-rolled products	Melt and pour in the Parties
750.	72		7216.99	- Other: other	Melt and pour in the Parties
	72	7217		Wire of iron or non-alloy steel	
751.	72		7217.10	- Not plated or coated, whether or not polished	Melt and pour in the Parties
752.	72		7217.20	- Plated or coated with zinc	Melt and pour in the Parties
753.	72		7217.30	- Plated or coated with other base metals	Melt and pour in the Parties
754.	72		7217.90	- Other	Melt and pour in the Parties

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	72	7218		Stainless steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of stainless steel	
755.	72		7218.10	- Ingots and other primary forms	Melt and pour in the Parties
756.	72		7218.91	- Other: of rectangular (other than square) cross-section	Melt and pour in the Parties
757.	72		7218.99	- Other: other	Melt and pour in the Parties
	72	7219		Flat-rolled products of stainless steel, of a width of 600 mm or more	
758.	72		7219.12	- Not further worked than hot- rolled, in coils: of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm	Melt and pour in the Parties
759.	72		7219.13	- Not further worked than hot- rolled, in coils: of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm	Melt and pour in the Parties
760.	72		7219.14	- Not further worked than hot- rolled, in coils: of a thickness of less than 3 mm	Melt and pour in the Parties
761.	72		7219.21	- Not further worked than hot- rolled, not in coils: of a thickness exceeding 10 mm	Melt and pour in the Parties
762.	72		7219.22	- Not further worked than hot- rolled, not in coils: of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm	Melt and pour in the Parties
763.	72		7219.23	- Not further worked than hot- rolled, not in coils: of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm	Melt and pour in the Parties
764.	72		7219.24	- Not further worked than hot- rolled, not in coils: of a thickness of less than 3 mm	Melt and pour in the Parties
765.	72		7219.31	- Not further worked than cold- rolled (cold-reduced): of a thickness of 4.75 mm or more	Melt and pour in the Parties
766.	72		7219.32	- Not further worked than cold-rolled (cold-reduced): of a thickness of 3 mm or more but less	Melt and pour in the Parties

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				than 4.75 mm	
767.	72		7219.34	- Not further worked than cold- rolled (cold-reduced): of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm	Melt and pour in the Parties
768.	72		7219.35	- Not further worked than cold- rolled (cold-reduced): of a thickness of less than 0.5 mm	Melt and pour in the Parties
	72	7220		Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm	
769.	72		7220.11	- Not further worked than hot- rolled: of a thickness of 4.75 mm or more	Melt and pour in the Parties
770.	72		7220.12	- Not further worked than hot- rolled: of a thickness of less than 4.75 mm	Melt and pour in the Parties
771.	72		7220.20	- Not further worked than cold-rolled (cold-reduced)	Melt and pour in the Parties
772.	72		7220.90	- Other	Melt and pour in the Parties
773.	72	7221	7221.00	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of stainless steel	Melt and pour in the Parties
	72	7222		Other bars and rods of stainless steel; angles, shapes and sections of stainless steel	
774.	72		7222.11	- Bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded: of circular cross-section	Melt and pour in the Parties
775.	72		7222.19	- Bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded: other	Melt and pour in the Parties
776.	72		7222.20	- Bars and rods, not further worked than cold-formed or cold-finished	Melt and pour in the Parties
777.	72		7222.30	- Other bars and rods	Melt and pour in the Parties
778.	72		7222.40	- Angles, shapes and sections	Melt and pour in the Parties
779.	72	7223	7223.00	Wire of stainless steel	Melt and pour in the Parties
	72	7224		Other alloy steel in ingots or other	

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				primary forms; semi-finished products of other alloy steel	
780.	72		7224.10	- Ingots and other primary forms	Melt and pour in the Parties
781.	72		7224.90	- Other	Melt and pour in the Parties
	72	7225		Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of 600 mm or more	
782.	72		7225.11	- Of silicon-electrical steel: grain- oriented	Melt and pour in the Parties
783.	72		7225.19	- Of silicon-electrical steel: other	Melt and pour in the Parties
784.	72		7225.30	- Other, not further worked than hot-rolled, in coils	Melt and pour in the Parties
785.	72		7225.40	- Other, not further worked than hot-rolled, not in coils	Melt and pour in the Parties
786.	72		7225.91	- Other: electrolytically plated or coated with zinc	Melt and pour in the Parties
787.	72		7225.92	- Other: otherwise plated or coated with zinc	Melt and pour in the Parties
788.	72		7225.99	- Other: other	Melt and pour in the Parties
	72	7226		Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of less than 600 mm	
789.	72		7226.11	- Of silicon-electrical steel: grain- oriented	Melt and pour in the Parties
790.	72		7226.19	- Of silicon-electrical steel: other	Melt and pour in the Parties
791.	72		7226.20	- Of high speed steel	Melt and pour in the Parties
792.	72		7226.91	- Other: not further worked than hot-rolled	Melt and pour in the Parties
793.	72		7226.92	- Other: not further worked than cold-rolled (cold-reduced)	Melt and pour in the Parties
794.	72		7226.99	- Other: other	Melt and pour in the Parties
	72	7227		Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of other	

Sl.No.	Chapter	Tariff Heading	Tariff Sub- Heading	Product Description	Agreed PSR proposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				alloy steel	
795.	72		7227.10	- Of high speed steel	Melt and pour in the Parties
796.	72		7227.20	- Of silico-manganese steel	Melt and pour in the Parties
797.	72		7227.90	- Other	Melt and pour in the Parties
	72	7228		Other bars and rods of other alloy steel; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non- alloy steel	
798.	72		7228.10	- Bars and rods, of high speed steel	Melt and pour in the Parties
799.	72		7228.20	- Bars and rods, of silico-manganese steel	Melt and pour in the Parties
800.	72		7228.30	- Other bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded	Melt and pour in the Parties
801.	72		7228.40	- Other bars and rods, not further worked than forged	Melt and pour in the Parties
802.	72		7228.50	- Other bars and rods, not further worked than cold-formed or cold-finished	Melt and pour in the Parties
803.	72		7228.60	- Other bars and rods	Melt and pour in the Parties
804.	72		7228.70	- Angles, shapes and sections	Melt and pour in the Parties
805.	72		7228.80	- Hollow drill bars and rods	Melt and pour in the Parties
	72	7229		Wire of other alloy steel	
806.	72		7229.20	- Of silico-manganese steel	Melt and pour in the Parties
807.	72		7229.90	- Other	Melt and pour in the Parties

[F. No. 20000/2/2015-OSD (ICD)]

HARISH KUMAR, Under Secy.